

**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

**निर्णय सुरक्षित :- 29 नवंबर, 2022**

**निर्णय घोषित :- 24 जनवरी, 2023**

रि.या.(सि) 13361/2018, सि.वि.आ. 51972/2018 (रोक), सि.वि.आ.  
53437/2018 (निर्देश), सि.वि.आ. 33666/2022 (शीघ्र सुनवाई)

मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड

....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री अंकुर चावला, श्री गुरप्रीत  
सिंह, श्री सी.बी. बंसल, श्री  
आमिर खान, श्री शिवम टंडन  
और श्री आमिर खान तथा सुश्री  
प्रेरणा महाजन, अधिवक्तागण।

**बनाम**

भारत संघ व अन्य

....प्रत्यर्थागण

द्वारा : श्री जोहेब हुसैन और श्री विवेक  
गुरनानी, अधिवक्तागण सह प्रवर्तन  
निदेशालय के लिए श्री संतोख सिंह,  
उप-निदेशक और सुश्री कुमुद रंजन,  
प्रवर्तन अधिकारी।

**और**

रि.या.(सि) 4962/2019, सि.वि.आ. 22073/2019 (अंतरिम रोक),  
सि.वि.आ. 33664/2022 (शीघ्र सुनवाई)

प्रकाश थर्मल पावर लिमिटेड

....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री अंकुर चावला, श्री गुरप्रीत सिंह, श्री सी.बी. बंसल, श्री आमिर खान, श्री शिवम टंडन और श्री आमिर खान तथा सुश्री प्रेरणा महाजन, अधिवक्तागण।

बनाम

भारत संघ व अन्य

....प्रत्यर्थागण

द्वारा : श्री जोहेब हुसैन और श्री विवेक गुरनानी, अधिवक्तागण सह प्रवर्तन निदेशालय के लिए श्री संतोख सिंह, उप-निदेशक और सुश्री कुमुद रंजन, प्रवर्तन अधिकारी।

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा

निर्णय

क.	प्रस्तावना	अनुच्छेद 1-14
ख.	प्रारंभिक आपत्तियां	अनुच्छेद 15-25
ग.	याचिकाकर्ता की दलीलें	अनुच्छेद 26-35
घ.	प्रवर्तन निदेशालयक के तर्क	अनुच्छेद 36-42

ड.	अनंतिम कुर्की आदेश के आधार	अनुच्छेद 43-56
च.	धारा 3 और 5 का दायरा	अनुच्छेद 57-81
छ.	प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी गई शक्तियां	अनुच्छेद 82-86
ज.	धारा 66(2) और इसकी जटिलताएं	अनुच्छेद 87-93
झ.	गौण मुद्दे	अनुच्छेद 94-105
ञ.	धारा 8(3)(क) दलील	अनुच्छेद 106-108
ट.	निष्कर्ष	अनुच्छेद 109

**क. प्रस्तावना**

- ये दो रिट याचिकाएं प्रवर्तन निदेशालय की उन शक्तियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं, जिनसे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया जा सकता है यद्यपि एक स्वतंत्र कानून के तहत काम करने वाली सक्षम एजेंसी द्वारा विधेय अपराध जिसके संदर्भ में अनुसूचित अपराध गढ़ा गया है से संबंधित कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई | न्यायालय से जिस

गौण और फिर भी समान रूप से मौलिक मुद्दे का उत्तर देने के लिए कहा गया है, वह यह है कि क्या प्रवर्तन निदेशालय को केवल इस राय पर कि किसी जांच या पूछताछ के दौरान एकत्र की गई सामग्री किसी विधेय अपराध के होने का साक्ष्य देती है अधिनियम की धारा 5 में अनुध्यात उपायों को लागू करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, धन शोधन के अपराध की जांच करते समय प्रवर्तन निदेशालय को इस अधिनियम से प्राप्त शक्तियों के गौण मुद्दे के सवाल भी उठाये गए ।

2. रिट याचिकाओं में मुख्य रूप से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई की आलोचना की गई है, जिसने एक **अनंतिम कुर्की आदेश** दिनांकित 29 नवंबर 2018 पारित किया था। रि.या.(सि) 13361/2018 को दिनांक 9 दिसंबर 2018 को या उसके आसपास संस्थित किया गया था और उस समय याचिकाकर्ता पर अनंतिम कुर्की आदेश तामील किया जाना शेष था। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कार्यवाहियां, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पंजीकृत एक **प्रथम सूचना रिपोर्ट**, नियमित वाद सं. 219 2014 ई-0002 दिनांकित 26 मार्च 2014 और प्रवर्तन वाद सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) सं. 3/2014, जो प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 29 दिसंबर 2014 को दर्ज किया गया था, से उत्पन्न होती हैं। वर्तमान रिट

याचिकाओं के विचाराधीन रहने के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने अधिनियम की धारा 45 के संदर्भ में एक अलग शिकायत दर्ज करने की भी कार्रवाई की और बताया गया है कि इस पर आगे की जांच अभी भी जारी है। जहां तक प्रवर्तन वाद सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) का संबंध है, उसकी भी यही स्थिति है।

3. सीबीआई के इशारे पर दर्ज प्राथमिकी की कार्यवाही पर सबसे पहले गौर करने से यह पता चलता है कि दिनांक 30 अगस्त, 2014 को सक्षम न्यायालय के समक्ष एक समापन रिपोर्ट पेश की गई थी। इसके बाद दिनांक 2 नवंबर, 2016 को शिकायतकर्ताओं द्वारा एक विरोध याचिका दायर की गई। उपरोक्त विरोध याचिका दायर किए जाने के बाद, सीबीआई को आगे की जांच करने की अनुमति देने के लिए सक्षम अदालत के समक्ष एक प्रार्थना की गई थी। उस जांच के समापन पर, याचिकाकर्ता और अन्य नामित अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 17 नवंबर 2021 को सक्षम अदालत के समक्ष एक आरोप-पत्र दाखिल किया गया। सक्षम अदालत ने दिनांक 31 जनवरी 2022 के अपने आदेश के संदर्भ में उपरोक्त आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया और नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध सम्मन जारी किए।

4. पूर्वोक्त आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा वि.अनु.या. (आप.) संख्या 656-657/2022 और 3360/2022 के माध्यम से चुनौती दी गई। उपरोक्त विशेष अनुमति याचिकाओं पर, विशेष न्यायाधीश के समक्ष आगे की कार्यवाहियों पर रोक लगाते हुए क्रमशः दिनांक 06 और 09 मई 2022 को अंतरिम आदेश पारित किए गए। उन अंतरिम आदेशों का प्रवर्तन जारी है।
5. जहां तक प्रवर्तन वाद सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) का संबंध है, विशेष न्यायाधीश ने दिनांक 22 अक्टूबर 2022 के अपने आदेश में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी। आगे की जांच के समापन पर एक रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते हुए, मामले को बाद में स्थगित कर दिया गया और उस चरण पर लंबित है। इसी तरह धारा 45 की शिकायत पर, आदेश पत्र से यह पता चलता है कि प्रत्यर्थी को जांच पूरी करने देने के लिए मामले को लगातार स्थगित किया गया है।
6. जब रि.या.(सि) 13361/2018 पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया, तो दिनांक 08 जनवरी, 2019 को निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया गया :-

“ले.पे.अ. सं. 588/2018 में इसी तरह के मामले में दिनांक 12.12.2018 को पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, निर्णायक अधिकरण मामले पर आगे बढ़ेगा, लेकिन इस न्यायालय की अनुमति के बिना अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रति-शपथपत्र तैयार है और इसे दो दिनों के भीतर दाखिल किया जाएगा।

इसका प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, तो सुनवाई की अगली तारीख से पहले इसे दाखिल कर दिया जाए।

दिनांक 15 मार्च, 2019 को पुनः सूचीबद्ध करें।”

7. रि.या.(सि) 4962/2019 पर एक अंतरिम आदेश दिनांक 9 मई 2019 को इस आशय से पारित किया गया :-

“नोटिस जारी करें।

विद्वत अधिवक्ता प्रत्यर्था की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं और प्रति-शपथपत्र दाखिल करने के लिए समय चाहते हैं।

छह सप्ताह की अवधि के भीतर अपेक्षित कार्य किया जाए।

इसका प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, तो उसके बाद चार सप्ताह के भीतर दाखिल करें।

दिनांक 21.08.2019 को पुनः सूचीबद्ध करें।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वि.अनु.या. संख्या 33919-33920/2018 में दिनांक 11.01.2019 को पारित आदेश के मद्देनजर, विद्वान निर्णायक अधिकरण के समक्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही पर रोक रहेगी।

दस्ती”

8. उपरोक्त अंतरिम आदेशों के आधार पर, अधिनियम की धारा 8 के तहत अनुध्यात कोई भी अंतिम आदेश आज तक पारित नहीं किया गया है। अवधारण के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का विश्लेषण करने के प्रयोजनों के लिए, न्यायालय निम्नलिखित आवश्यक तथ्यों पर ध्यान देना उचित समझता है।
9. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कार्यवाही छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित फतेहपुर कोयला ब्लॉक के आवंटन से उत्पन्न होती है। दिनांक 13 नवम्बर, 2006 को केन्द्र सरकार के कोयला मंत्रालय ने 38 कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन प्रकाशित किया। कथित विज्ञापन के अनुसरण में याचिकाकर्ता ने उपरोक्त कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए 12 जनवरी, 2007, दिनांकित एक आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 6 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार ने कोयला ब्लॉक के आवंटन पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को इसके बारे में अवगत कराया। इसने याचिकाकर्ता और उसके संयुक्त उद्यम भागीदार से औपचारिक आदेश के लिए उस पत्र में वर्णित विकल्प प्रस्तुत करने के लिए कहा। इस पत्र के आधार पर, याचिकाकर्ता ने दिनांक 17 नवंबर, 2007 को **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज** को एक पत्र संबोधित किया जिसमें उसने फतेहपुर कोयला ब्लॉक के आवंटन को उसके पक्ष में होने के बारे में बताया



था। दिनांक 6 फरवरी, 2008 को याचिकाकर्ता और उसके संयुक्त उद्यम भागीदार मैसर्स एस.के.एस. इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड के पक्ष में आवंटन का एक पत्र बनाया गया। दिनांक 26 मार्च, 2014 को सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120ख सहपठित धारा 420 के साथ-साथ **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988** की धारा 13(2) और 13(1)(घ) के संदर्भ में अपराध करने का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की। कथित प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि जहां तक शुद्ध संपत्ति के संबंध में खुलासे का संबंध है, याचिकाकर्ता ने कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए अपने आवेदन में सक्रिय रूप से इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया था कि जबकि आवेदन में याचिकाकर्ता की शुद्ध संपत्ति 532 करोड़ रुपये बताई गई थी, जांच के दौरान यह पता चला कि उस समय उसकी वास्तविक शुद्ध संपत्ति (-)144.16 करोड़ रुपये थी। यह भी आरोप लगाया गया कि विद्युत मंत्रालय द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई सकारात्मक सिफारिशें तैयार नहीं करने के बावजूद, कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 सितंबर 2007 को गठित अनुवीक्षण समिति ने उसके संयुक्त उद्यम भागीदार के साथ याचिकाकर्ता के पक्ष में कोयला ब्लॉक के आवंटन की सिफारिश की थी। उक्त प्राथमिकी दर्ज किए जाने के तुरंत बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने समान आरोपों पर प्रवर्तन

वाद सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की। कथित प्रवर्तन वाद सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) उन आधारभूत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जो सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी का आधार थे, यह दर्ज करने के लिए आगे बढ़ी कि उपरोक्त उल्लेख किए गए आपराधिक अपराधों के होने पर, प्रत्यर्थी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अपराध की आय उत्पन्न हुई थी।

10. इस समय यह ध्यान देना प्रासंगिक हो जाता है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में फतेहपुर कोयला ब्लॉक का आवंटन अंततः **मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रधान सचिव व अन्य** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में रद्द कर दिया गया था। दिनांक 24 सितम्बर, 2014 को उपरोक्त निर्णय के दिए जाने के बाद यह प्रवर्तन वाद सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज हुई।
11. जैसा कि इस निर्णय के पूर्ववर्ती भागों में देखा गया था, ईसीआईआर निर्विवाद रूप से सीबीआई द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2014 को विशेष न्यायाधीश के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद पंजीकृत हुई थी। जब प्राथमिकी के साथ-साथ प्रवर्तन वाद सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के संबंध में आगे की जांच जारी थी, दिनांक 17 जुलाई 2018 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें इसे अधिनियम की धारा 45 के तहत होना बताया गया

था। इसके संस्थापित होने के उपरांत, उसी दिन शाम के 6:15 बजे विशेष न्यायाधीश ने निम्नलिखित आदेश पारित किया :-

**“सीआरसी संख्या**

**ईसीआर/03/सीडीज़ेडओ/2014**

**प्रवर्तन निदेशालय बनाम मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड व अन्य**

**धारा 3 और 4 पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत**

जांच अधिकारी सहायक निदेशक, श्री संतोख सिंह, प्रवर्तन निदेशालय, चंडीगढ़ द्वारा धारा 45 पीएमएलए, 2002 के तहत नई अभियोजन शिकायत दायर की गई है।

इसकी जांच की जाए और पंजीकृत की जाए।

**सायं 06:15 बजे**

**17.07.2018**

उपस्थित :- प्रवर्तन निदेशालय के लिए विद्वान विशेष लोक अभियोजक, श्री एन.के. मट्टा और विद्वान विशेष लोक अभियोजक, सुश्री तरन्नुम चीमा सह जांच अधिकारी सहायक निदेशक, श्री संतोख सिंह।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और इस मामले में की गई परिणामी जांच के बारे में पूछे जाने पर यह प्रस्तुत किया गया कि हालांकि मामले में आगे की जांच अभी भी जारी है, लेकिन शिकायत दर्ज करने की तात्कालिकता पीएमएलए, 2002 की धारा 8 में हाल ही में किए गए संशोधन के कारण उत्पन्न हुई, जिसमें कोई भी कुर्की, यदि की गई है, केवल तभी

जारी रखी जा सकती है यदि कोई कार्यवाही न्यायालय के समक्ष लंबित है।

सुना। अवलोकन किया।

क्योंकि न्यायालय द्वारा उठाए गए कई प्रश्नों का अभी तक जवाब नहीं मिला है, इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि जांच अधिकारी अगली तारीख को मामले की फाइल पेश करेगा, क्योंकि वह कहता है कि मामलों की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोई केस डायरी नहीं रखी जाती है।

इस मामले को दिनांक 18.08.2018 को केवल विचार हेतु रखा जा रहा है।

(भरत पाराशर)

विशेष न्यायाधीश, (पीसी अधिनियम),  
(सीबीआई-07), डीडी/पीएचडी  
17.07.2018”

12. प्रवर्तन वाद सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के साथ-साथ शिकायत के मामले की जांच अभी जारी है। केवल प्राथमिकी की कार्यवाही में ही आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। दिनांक 29 नवंबर 2018 को उप निदेशक ने आक्षेपित अनंतिम कुर्की आदेश पारित किया था। यह ध्यान देने योग्य है कि प्राथमिकी की विषय-वस्तु की रचना करने वाले आरोपों, प्रवर्तन वाद सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के साथ-साथ शिकायत के अलावा, अनंतिम कुर्की आदेश भी याचिकाकर्ता द्वारा वरीयता के आधार पर 62,50,000

इक्विटी शेयर जारी करके अपने शेयर की कीमतों में हेरफेर करने की कथित साजिश की ओर संकेत करता है। यह निम्नलिखित उद्धरणों से स्पष्ट है जैसा कि वे अनंतिम कुर्की आदेश में नजर आते हैं :-

“5.3. विभाग के प्रश्न के उत्तर में सेबी से दिनांक 19.10.2016 का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जो विभाग के दिनांक 07.10.2016 के पत्र के उत्तर में प्राप्त हुआ था, जिसमें 2007-2008 के दौरान शेयर मूल्य में वृद्धि के बारे में बीएसई जांच की रिपोर्ट अग्रेषित की गई थी। इस पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि :-

- (i) दिनांक 05.12.2007 को कंपनी ने बीएसई लिमिटेड को सूचित किया कि वह म्युचुअल फंडों, वित्तीय संस्थानों, एफआईएस, बॉडी कॉर्पोरेट, एनआरआई, प्रमोटरों और उनके सहयोगियों को वरीयता के आधार पर 62,50,000 इक्विटी शेयरों के आवंटन के लिए ईजीएम आयोजित कर रही है;
- (ii) ईजीएम के सदस्यों ने बार्कलेज कैपिटल मॉरीशस लिमिटेड या उसके द्वारा नामित व्यक्तियों को वरीयता के आधार पर शेयरों में परिवर्तनीय वारंट जारी करने के माध्यम से निवेश को मंजूरी दी थी;
- (iii) दिनांक 19.11.2007 को कंपनी ने बीएसई लिमिटेड को सूचित किया कि मंत्रालय ने विद्युत संयंत्र में क्षमता विस्तार के लिए

छत्तीसगढ़ में एक कोयला ब्लॉक आवंटित किया है।

(iv) बीएसई लिमिटेड द्वारा जांच की अवधि के दौरान वारंट शेयरों के निर्गम और रूपांतरण और क्षमताओं के विस्तार, नए बिजली संयंत्र की स्थापना और संचालन के बारे में विभिन्न घोषणाएं की गईं।

(v) शेयर की कीमत औसत दैनिक मात्रा 1,89,820 शेयरों के साथ 35.75 रुपये (2 जनवरी, 2007 को खुली) से बढ़कर 354.60 रुपये (1 जनवरी, 2008 को ऊंची) हो गई।”

13. अंतिम कुर्की आदेश अंततः इस प्रकार दर्ज करता है :-

“7.5 कि एक को छोड़कर सभी निवेशकों ने अपने संबंधित बयानों में यह भी प्रस्तुत किया कि उन्हें इस गलत घोषणा के संबंध में विश्वास दिलाया गया था कि बीएसई को कोयला ब्लॉक का आवंटन किया गया था, जिसके कारण मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर मूल्य में वृद्धि हुई और उनसे 180/- रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर तरजीही आधार पर मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश कराया गया और आगे कहा गया कि उनका निवेश का निर्णय उचित नहीं था और क्योंकि मूल्य में वृद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता था और उन्हें 39/- रुपये प्रति शेयर के मामूली मूल्य पर खरीदे गए इक्विटी शेयरों को बेचना पड़ा। यह ध्यान देने योग्य है कि 01.04.2007 को शेयरों का मूल्य भी 31 रुपये प्रति शेयर था।

7.6 बीएसई को झूठी घोषणा के कारण शेयर मूल्य में कृत्रिम वृद्धि के आधार पर प्रीमियम आधार पर शेयर जारी करने से मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 118.75 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ हुआ। यह लाभ वास्तव में अनुसूचित अपराध के किए जाने पर आधारित था क्योंकि यदि पार्टी ने कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन करते समय अपने वित्तीय आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया होता, तो फतेहपुर कोयला ब्लॉक के आवंटन के संबंध में बीएसई को कोई गलत घोषणा नहीं की जाती और इसके अलावा 118.75 करोड़ रुपये का लाभ नहीं होता।

7.7 मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आपराधिक गतिविधि के विस्तार के रूप में शेयर मूल्य में तेजी पैदा करने के लिए बीएसई में झूठी घोषणा प्रस्तुत की। रची गई तेजी के परिणामस्वरूप उनके शेयर मूल्य में वृद्धि हुई और इस शेयर के बढ़े हुए मूल्य को पांच निवेशकों द्वारा अभिदान द्वारा 180/- रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर तरजीही आधार पर इक्विटी शेयर जारी करके भुनाया गया। चूंकि यह पूरी प्रक्रिया आपराधिक गतिविधि पर आधारित थी और इसके परिणामस्वरूप 118.75 करोड़ रुपये तक का अपराध की आय अर्जित हुआ, जो पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन का अपराध था। मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अपनी विनिर्माण गतिविधियों के निरंतर विस्तार में अपराध की इस तरह की आय का उपयोग किया गया।

7.8 इस मामले में जैसा 118.75 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ अपराध से प्राप्त आय है, कि

पीएमएलए, 2002 की धारा 2(1)(प) द्वारा परिकल्पित है, जिसे यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है :-

*“धारा 2(1)(प) “अपराध की आय” का अभिप्राय किसी ऐसी संपत्ति या किसी ऐसी संपत्ति के मूल्य से है जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूची अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप व्युत्पन्न या प्राप्त की गई।”*

7.9 अपराध की आय का उपयोग पक्षकार द्वारा अपनी निरंतर निवेश प्रक्रिया में किया गया था और अपराध की आय पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के तहत जब्त की जा सकती है।

14. अनुच्छेद 8 में, अंतिम कुर्की आदेश उन अचल और चल संपत्तियों का विवरण निर्धारित करता है, जिन्हें सूचीबद्ध अपराधों के किए जाने से व्युत्पन्न और प्राप्त किया गया बताया जाता है और इस प्रकार अपराध की आय का गठन करता है। यहां इस बात पर प्रकाश डालना उचित होगा कि शेयर की कीमतों में हेरफेर और तरजीही शेयरों के आवंटन के उद्देश्य से दिए गए प्रलोभन से संबंधित आरोप न तो प्राथमिकी का और न ही ईसीआईआर आरोपों का हिस्सा हैं। चूंकि शिकायत अभिलेख पर नहीं रखी गई थी, इसलिए न्यायालय यह सुनिश्चित करने में असमर्थ है कि क्या शेयरों के तरजीही आवंटन का विषय उन कार्यवाहियों का हिस्सा है।

#### **ख. प्रारंभिक आपत्तियां**

15. विरोधी प्रस्तुतियों पर ध्यान देने के पहले जिन्हें संबोधित किया गया था, इस बिंदु पर प्रारम्भिक आपत्तियों का उल्लेख करना उचित होगा जो श्री हुसैन द्वारा संबोधित की गई थीं, जो ईडी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता हैं।



16. श्री हुसैन ने कहा कि वर्तमान रिट याचिकाओं में चुनौती एक कोयला ब्लॉक से संबंधित अंतिम कुर्की आदेश से संबंधित है जो याचिकाकर्ता को आवंटित किया गया था। श्री हुसैन ने यह भी कहा कि कोयला ब्लॉकों का रद्द किया जाना एक ऐसा मुद्दा था जिसका सीधा संबंध मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रधान सचिव व अन्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय से था। उन्होंने विशेष रूप से उपरोक्त मामले में 25 जुलाई, 2014 को पारित आदेश का उल्लेख किया, जिसके संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रावधान किया था कि कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित जांच की प्रगति में बाधा डालने हेतु रोक या आदेश वाली कोई भी प्रार्थना केवल विशेष अदालत के समक्ष रखी जाएगी और कोई भी अन्य अदालत इस पर विचार नहीं कर सकती है। श्री हुसैन ने तर्क दिया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के लिए न तो वर्तमान रिट याचिका पर विचार करना और न ही उस चुनौती का संज्ञान लेना अनुमेय होगा जो उठाई गई है। उपरोक्त प्रस्तुति को मनोहर लाल शर्मा और विशेष रूप से उस मामले में दिनांक 18 जुलाई, 2014 और 01 सितंबर, 2015 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों द्वारा और पुष्ट करने की मांग की गई थी।

17. यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि मनोहर लाल शर्मा के मामले में दिनांक 25 जुलाई, 2014 को पारित पहले के आदेश के द्वारा, उच्चतम

न्यायालय ने यह प्रावधान किया था कि कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी मामले विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएंगे। यह वह आदेश था जिसने विशेष न्यायाधीश को कोयला ब्लॉकों के आवंटन से उत्पन्न सभी आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त किया था। दिनांक 18 जुलाई, 2014 के अपने आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय ने इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि वे दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के एक अधिकारी को विशेष न्यायाधीश के रूप में नामित करें, जो भा.दं.सं., पीसी अधिनियम और पीएमएलए के तहत कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबंधित अपराधों की सुनवाई करेगा। पूर्वोक्त आदेश निम्नलिखित रूप से उद्धृत है :-

“1. हम इस न्यायालय के महासचिव को निर्देश देते हैं कि वे दिल्ली उच्च न्यायालय के महानिबंधक को एक पत्र लिखें कि वे माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के एक अधिकारी को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए आदेश प्राप्त करें, जो भारतीय दंड संहिता 1860, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और अन्य संबद्ध अपराधों से संबंधित अपराधों की सुनवाई करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय के महानिबंधक माननीय मुख्य न्यायाधीश के निर्णय की सूचना

दिनांक 25 जुलाई, 2014 को या उससे के पहले देंगे।

2. दिनांक 25 जुलाई, 2014 को अपराह्न 2 बजे इस समूह के मामलों को सूचीबद्ध करें।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 01 सितंबर, 2014 के अपने आदेश के अनुसार सभी लंबित मामलों के हस्तांतरण के निर्देश तैयार किए गए थे।

18. श्री हुसैन ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त आदेशों पर न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा **गिरीश कुमार सुनेजा बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** में विचार किया गया था और इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले में अभियुक्त द्वारा दायर एक याचिका को खारिज किया था। श्री हुसैन ने **गिरीश कुमार सुनेजा बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को भी इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत किया था, जिसने इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि की थी, जैसा इसमें ऊपर देखा गया है।

19. यह उल्लेखनीय है कि **गिरीश कुमार सुनेजा** के मामले में, उच्चतम न्यायालय से उन प्रतिबंधात्मक निर्देशों की चुनौती की जांच करने के लिए कहा गया था, जो **मनोहर लाल शर्मा** में दिए गए थे, जिसके संदर्भ में कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया था और इससे उत्पन्न चुनौतियों

से निपटने के लिए अन्य न्यायालयों के प्राधिकार को हटा दिया गया था। इस प्रकार लगाए गए प्रतिबंध और जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने के उच्च न्यायालय के अधिकार या उस मामले में इसकी पुनरीक्षण और अंतर्निहित शक्तियों को भी सीमित कर दिया था, की अंततः पुष्टि की गई थी। उपरोक्त प्रतिबंधों को बरकरार रखते हुए, उच्चतम न्यायालय ने गिरीश कुमार सुनेजा में निम्नलिखित टिप्पणी की :-

“43. हमारी राय में, ऐसा नहीं है कि एक ही मामले को सभी मामलों में से कथित रूप से भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए लिया गया है। कोयला ब्लॉकों के आवंटन से संबंधित सभी मामलों को अलग-अलग कर दिया गया है और उन्हें एक ही तरीके से निपटाया जाना आवश्यक है। कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों की एक पहचान योग्य श्रेणी है जो अन्य मामलों से अलग है क्योंकि उनका जनहित पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और कोयला ब्लॉकों के आवंटन से बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियां जुड़ी हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इन मामलों को अलग-अलग तरीके से लिया जाए क्योंकि वे एक अद्वितीय पहचान योग्य श्रेणी बनाते हैं। इन मामलों का निपटान निश्चित रूप से मनमाना नहीं है- इसके विपरीत, यह वर्गीकरण जनहित में और उन लोगों को कानून के शासन के भीतर लाने की दृष्टि से सार्वजनिक हित में है जिन्होंने कथित रूप से भ्रष्ट गतिविधियों को अंजाम दिया है। इसलिए यह प्रस्तुति स्वीकार करना संभव नहीं है कि कोयला ब्लॉक आवंटन के मामलों के पूरे समुह का न्यायालयों में सामान्य रूप

से आने वाले मामलों की तुलना में विशेष तरीके से निपटान करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

45. जहां तक वर्तमान अपीलों का संबंध है, ये मामले एक बिल्कुल अलग वर्ग में आते हैं, क्योंकि वे कोयला ब्लॉकों के अवैध और गैरकानूनी आवंटन से उत्पन्न होते हैं। केवल इन मामलों के संबंध में यह न्यायालय जांच की निगरानी करता है और केवल इन मामलों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा 25-7-2014 को आदेश पारित किया गया था [मनोहर लाल शर्मा बनाम भारत संघ, (2015) 13 एससीसी 35:(2015) 13 एससीसी 37:(2016) 1 एससीसी (सीआरआई) 418:(2016) 1 एससीसी (सीआरआई) 419]। ये मामले बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से संबंधित हैं जो कोयला ब्लॉकों के आवंटन को प्रदूषित करते हैं और वे एक स्पष्ट और विशिष्ट वर्ग बनाते हैं, जिन्हें उन मामलों से अलग तरीके से निपटाने की आवश्यकता है जिनसे हमारी न्याय-वितरण प्रणाली आमतौर पर सामना करती है। वर्गीकरण की पहचान और स्पष्ट होने के कारण, हम संविधान के अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं देखते हैं।

57. जहां तक अपीलार्थियों का संबंध है, इस संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ गलतफहमी है। यह न्यायालय किसी भी तरह से कोयला ब्लॉक आवंटन के मामलों में मुकदमे की प्रगति की निगरानी नहीं कर रहा है और न ही वह मुकदमे का पर्यवेक्षण कर रहा है। मुकदमा चलाना पूरी तरह से विद्वत विशेष न्यायाधीश का काम है। आदेश के अनुच्छेद 10 द्वारा केवल विचारण

की प्रगति में किसी भी प्रकार की बाधा दूर होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न केवल अभियुक्त व्यक्तियों के हित में, बल्कि जनहित में भी, वाद जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, कोई भी आवेदन जो विचारण को रोकने या बाधित करने का इरादा रखता है, इस न्यायालय के आदेशों के अधीन होगा। यह असाधारण कदम उन लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए उठाया गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे कोयला ब्लॉकों के अवैध आवंटन में शामिल थे और यह आरोपी के साथ-साथ व्यापक जनहित में भी था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभियुक्त के अधिकारों और व्यक्तिगत पीड़ित और समाज के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

59. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुच्छेद 10 उच्च न्यायालय के विवेकाधिकार पर इस धारणा पर रोक लगाता है कि उच्च न्यायालय के पास विचारण पर रोक लगाने का अबाधित विवेकाधिकार है। यह इतना आसान नहीं है-बल्कि किसी मुकदमे पर रोक लगाना एक असाधारण कदम है और इसे मांगने जाने पर नहीं उठाया जा सकता है।

20. हालांकि, यह न्यायालय निम्नलिखित कारणों के लिए इस संबंध में उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति मान लेना में असमर्थ है। जैसा कि **मनोहर लाल शर्मा** के मामले में पारित विभिन्न आदेशों से स्पष्ट है, विशेष अदालत की पहचान केवल कोयला ब्लॉक आवंटन से उत्पन्न अपराधों से निपटने और उन अपराधों के वाद के लिए की गई थी, जो भा.दं.सं., पीसी अधिनियम और उस अधिनियम के तहत किए गए हो सकते हैं, जिससे

हमारा संबंध है। लंबित वादों के हस्तांतरण का निर्देश भी स्पष्ट रूप से कोयला ब्लॉक आवंटन से उत्पन्न आपराधिक मामलों तक ही सीमित प्रतीत होता है। **गिरीश कुमार सुनेजा** के मामले में इस न्यायालय का निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका पर भी विचार कर रहा था और जिसने विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोप तय करने का निर्देश देने वाले एक आदेश को भी चुनौती दी थी।

21. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि **मनोहर लाल शर्मा** में निर्देश कोयला ब्लॉक आवंटन के संबंध में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही तक ही सीमित थे। उन निर्देशों का आशय या व्याख्या संभवतः अधिनियम के तहत जारी किए जा सकने वाले अनंतिम कुर्की आदेशों के संबंध में नहीं समझा जा सकता। न्यायालय इस तथ्य को भी ध्यान में रखता है कि स्पष्ट रूप से आपराधिक मामलों और अपराधों के विचारण के लिए इस प्रकार गठित विशेष न्यायाधीश के पास जारी किए जा सकने वाले अनंतिम कुर्की आदेश की वैधता से निपटने या नियम बनाने का अधिकार नहीं होगा। यदि इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संबोधित किए गए और उसकी ओर से पेश किए गए प्रस्तुति को स्वीकार किया जाता है, तो यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संरचित और रखे गए कुर्की आदेशों के संबंध में न्यायनिर्णयन तंत्र को विफल करने के बराबर होगा। यह स्पष्ट रूप से न तो **मनोहर लाल शर्मा** में पारित आदेशों का इरादा प्रतीत होता है और न ही उन निर्देशों को संभवतः अनंतिम कुर्की आदेश और अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शक्ति के प्रयोग

से संबंधित चुनौती स्वीकार करने के अधिकार क्षेत्र को इस न्यायालय से छीनने के रूप में माना जा सकता है।

22. श्री हुसैन ने **मनोहर लाल शर्मा** वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लेख करते हुए यह तर्क प्रस्तुत करने के लिए कि अनंतिम कुर्की आदेश के लिए एक चुनौती कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों की जांच या वाद में देरी या बाधा के बराबर होगी, **अशोक सुंदरलाल डागा बनाम भारत संघ व अन्य** वाले मामले में बम्बई उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय का भी अवलंब लिया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि **अशोक सुंदरलाल डागा** में, बम्बई उच्च न्यायालय मुख्य रूप से ईसीआईआर को दी गई चुनौती पर विचार कर रहा था जो पंजीकृत हो गई थी। उपरोक्त चुनौती से निपटने के दौरान, यह भी देखा गया कि पीएमएलए की धारा 8(5) के तहत कुर्की के आदेश पारित किए गए थे। तथापि, यह उल्लेख किया गया कि उक्त कुर्की आदेश संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती की विषय-वस्तु का गठन करते हैं। इस पृष्ठभूमि में बम्बई उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया :-

“24. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि ऐसे सभी मामले जो कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित किसी भी जांच या अपराध और दंड संहिता, 1860, भ्रष्टाचार



निवारण अधिनियम, 1988, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और अन्य संबद्ध अपराधों के तहत संबंधित मामलों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देखा जाना चाहिए।

25. वर्तमान मामले के तथ्यों से पता चलता है कि सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर की गई अनंतिम कुर्की आदेश और शिकायत कोयला ब्लॉक आवंटन के साथ अपराध की आय की सांठगांठ को दर्शाती है। प्रवर्तन विभाग का यह तर्क कि उसे केवल कोयला ब्लॉक आवंटन की जांच द्वारा अपराध की आय की जानकारी मिली थी, को इस स्तर पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी। याचिका की संधारणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति के संबंध में प्रत्यर्थागण द्वारा दाखिल उत्तर से पता चलता है कि दिनांक 07.08.2014 की प्राथमिकी के आधार पर, सीबीआई, नई दिल्ली ने दंड संहिता, 1860 की धारा 120ख और 420 के तहत एक मामला दर्ज किया और याचिकाकर्ता और उसकी कंपनी के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सीबीआई विशेष अदालत, नई दिल्ली के समक्ष पहले दिनांक 31.12.2015 को एक आरोप पत्र दायर किया गया। उस प्राथमिकी और चार्जशीट को सीबीआई द्वारा प्रत्यर्थी को अग्रेषित किया गया था क्योंकि मामले में आर्थिक अपराध और धन शोधन का अपराध शामिल था। प्रत्यर्थागण का दावा है कि यह एकमात्र ऐसा संगठन है जिसे धन शोधन के अपराध की जांच करने का अधिकार दिया गया है। उनका कहना है कि आपराधिक रिट याचिका संख्या 697/2017 के मामले में, अनुसूचित अपराध से संबंधित अपराध की आय पर गौर किया गया था और 1.67 करोड़ रुपये की संपत्तियों

को जब्त करने का अनंतिम कुर्की आदेश दिनांक 12.09.2016 को दिया गया था। उसके अनुच्छेद संख्या 9 से पता चलता है कि निर्णायक प्राधिकरण ने दिनांक 31 जनवरी, 2017 को संपत्ति की कुर्की की पुष्टि की है।

26. अभियुक्त व्यक्तियों ने 2002 अधिनियम के तहत नई दिल्ली में अपीलीय अधिकरण के समक्ष दिनांक 24 मार्च, 2017 को एक अपील दायर की है और यह उस अधिकरण के समक्ष लंबित है।

27. इन तथ्यों से कम से कम इस स्तर पर और इस न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में पर्याप्त रूप से पता चलता है कि कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए लंबित अभियोजन और कुर्की आदेश, जिससे वर्तमान रिट-याचिकाएं उत्पन्न हुई हैं, के बीच के संबंध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

30. इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम विद्वत ए.एस.जी.आई. द्वारा उठाई गई प्रारम्भिक आपत्ति को कायम रखते हैं। हम यह घोषित करते हैं कि इस न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाएं टिकाऊ नहीं हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारे द्वारा ऊपर की गई टिप्पणियां, प्रस्तुत किए गए तर्कों के प्रकाश में हैं और केवल उन्हीं की समीक्षा करने की आवश्यक सीमा तक हैं। इसका 2002 के अधिनियम के तहत अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित अपील या नई दिल्ली में विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित अभियोजन से कोई अभिप्राय या प्रभाव नहीं होगा।

23. इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि गुण-दोष के आधार पर किसी अनंतिम कुर्की आदेश को दी गई चुनौती पर उस विशेष न्यायाधीश के समक्ष संभवतः चुनौती नहीं दी जा सकती है, जो **मनोहर लाल शर्मा** में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार नियुक्त किया गया है। विशेष न्यायाधीश और न्यायालय, जिसका गठन उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में किया गया है, अनिवार्य रूप से कोयला ब्लॉकों के आवंटन से संबंधित और उससे उत्पन्न अपराधों के विचारण से संबंधित है। **मनोहर लाल शर्मा** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि वे अनिवार्य रूप से कोयला ब्लॉकों के आवंटन से उत्पन्न सभी अपराधों के मुकदमे को केंद्रीकृत करने के लिए थे और किसी भी मामले में विशेष जज को कुर्की आदेशों की वैधता से निपटने के लिए प्राधिकरण प्रदान करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। जो सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के तहत पारित किये गए हो | यदि श्री हुसैन के निवेदन को स्वीकार किया जाता है, तो यह अनिवार्य रूप से विशेष न्यायाधीश को विरासत में मिली उस शक्ति को मान्यता देने के बराबर होगा जो न केवल धारा 8 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के धारण करने के लिए है, बल्कि अधिनियम की धारा 8 के तहत अंततः पारित होने वाले आदेशों के खिलाफ अपील पर निर्णय लेने के लिए अपीलीय मंचों को अधिकार क्षेत्र

से वंचित करने के लिए भी है। इस प्रकार इस मुद्दे पर उठाई गई आपतियां नकारात्मक हैं।

24. श्री हुसैन ने यह भी तर्क दिया था कि जब रिट याचिका शुरू में दायर की गई थी, न्यायालय ने उस पर विचार किया था क्योंकि सीबीआई विशेष अदालत के समक्ष एक समापन आख्या दाखिल करने आई थी। यह प्रस्तुत किया गया कि उसके बाद, सीबीआई द्वारा दिनांक 17 नवंबर, 2021 को एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया। पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, श्री हुसैन द्वारा यह प्रतिवाद किया गया कि क्षेत्राधिकार संबंधी आधार, जिस पर रिट याचिकाकर्ता पर विचार किया गया था, स्पष्ट रूप से टिकता नहीं है और इसलिए याचिकाकर्ता को निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष सभी आपतियां उठाने के वैकल्पिक वैधानिक उपाय निकालना चाहिए।

25. न्यायालय ने इस संबंध में टिप्पणी की है कि यह सही हो सकता है कि सीबीआई ने बाद में और वर्तमान रिट याचिकाओं के विचाराधीन रहने के दौरान एक आरोप-पत्र प्रस्तुत किया हो, याचीगण ने अनंतिम कुर्की आदेश

के संबंध में ठोस न्यायिक चुनौतियों को उठाया है। याचिकाकर्तागण के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय को संभवतः किसी अनुसूचित अपराध के होने की जांच करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। ये और अन्य चुनौतियां, जिन पर इसके बाद ध्यान दिया जाएगा, स्पष्ट रूप से रिट याचिकाओं के प्रतिधारण और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा दिए जा रहे निर्णय को न्यायोचित ठहराने के लिए ठोस आधार गठित करती हैं।

**ग. याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें**

26. याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री चावला, विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों को संबोधित किया। विद्वत अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान रिट याचिकाओं में आक्षेपित अनंतिम कुर्की आदेश पूरी तरह से अवैध है क्योंकि यह विभिन्न तथ्यात्मक आरोपों और दावों पर आधारित है जो न तो प्राथमिकी, प्रवर्तन वाद सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) का हिस्सा हैं और न ही उस मामले में शिकायत जो बाद में दर्ज की गई। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अनंतिम कुर्की आदेश की नींव प्राथमिकी और सीबीआई द्वारा प्रस्तुत अंतिम आरोप-पत्र में सन्निहित विधेय अपराध से संबंधित आरोपों से कहीं आगे जाती है। यह तर्क दिया

गया था कि अनंतिम कुर्की आदेश के पठन से यह स्थापित होगा कि यह एक आरोप पर आधारित है कि याचिकाकर्ता ने अधिमानी प्रीमियम पर तरजीही शेयर जारी करके 118 करोड़ रुपये की राशि जुटाई और यह कि यह राशि अपराध की आय है। श्री चावला द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त तथ्य न तो सीबीआई द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र का हिस्सा हैं और न ही वे आरोप प्रवर्तन वाद सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) या आपराधिक शिकायत जो, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अधिनियम की खंड 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दायर की गई है, का हिस्सा हैं।

27. श्री चावला ने कहा कि पीएमएलए के तहत संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब धारा 3 के तहत किसी अपराध की पुष्टि होती है। यह प्रस्तुत किया गया कि पीएमएलए की धारा 2(1)(प) में निहित *अपराध की आय* की परिभाषा इसे सूचीबद्ध अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि से जोड़ती है। श्री चावला के अनुसार, यह मुद्दा कि क्या प्रत्यर्थी ने तरजीही शेयरों के आवंटन के दौरान कोई अपराध किया था, आपराधिक जांच का हिस्सा नहीं है, जो उसके खिलाफ प्राथमिकी और प्रवर्तन वाद सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के संदर्भ में शुरू की गई थी।

28. श्री चावला ने दलील प्रस्तुत की कि पीएमएलए प्रवर्तन निदेशालय को किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में न तो जांच करने और न ही रिपोर्ट दर्ज करने का अधिकार देता है। विद्वत अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थागण को केवल धन शोधन के अपराध की जांच करने का क्षेत्राधिकार दिया गया है। श्री चावला के अनुसार इस शक्ति को प्रवर्तन निदेशालय के अनुसूचित अपराधों की जांच करने या किसी अनुसूचित अपराध के किए जाने के बराबर गतिविधियों के आधार पर संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने के लिए स्वतंत्र रूप से सशक्त होने के रूप में नहीं देखा जा सकता है। विवाद का सार यह था कि तरजीही शेयरों के आवंटन से संबंधित किसी भी आपराधिक कार्यवाही को पंजीकृत या दर्ज किए जाए बिना, क्योंकि अनंतिम कुर्की आदेश उन आरोपों पर आधारित है, यह स्पष्ट रूप से अस्थिर हो जाता है।
29. श्री चावला ने तब प्रस्तुत किया कि जहां तक अपराध की आय वाले एक कोयला ब्लॉक के आवंटन का संबंध है, इस न्यायालय ने पहले ही प्रत्यर्था के विरुद्ध निर्णय दे दिया है। इस संबंध में **प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड व अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय [प्रकाश इंडस्ट्रीज-1]** वाले मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख किया गया है। आगे यह प्रतिवाद किया गया कि **हिमाचल ईएमटीए पावर लिमिटेड बनाम भारत संघ व अन्य** वाले मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान

में रखते हुए किसी भी स्थिति में वर्तमान कार्यवाही में चुनौती सफल होने योग्य है। श्री चावला ने प्रस्तुत किया कि निर्विवाद रूप से यद्यपि फतेहपुर कोयला ब्लॉक याचिकाकर्ता को आवंटित किया गया था, उसका कभी उपयोग नहीं किया गया और उसके अनुसार कोई कोयला नहीं निकाला गया। पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में श्री चावला ने न्यायालय के विचार के लिए हिमाचल ईएमटीए की सराहना की।

30. हिमाचल ईएमटीए में न्यायालय एक अनंतिम कुर्की आदेश को दी गई चुनौती पर विचार कर रहा था जो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किया गया था और जिसके द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी में याचीगण द्वारा किए गए निवेश के साथ-साथ सावधि जमा में रखी गई कुछ राशियों को कुर्क किया गया था। न्यायालय ने पाया कि न्यायालय ने निर्विवाद रूप से पाया कि, अपने पक्ष में किए गए आवंटन के अनुसरण में याचिकाकर्ता द्वारा कोई खनन गतिविधि नहीं की गई थी। इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा किए गए निवेशों को अपराध की आय का आगम माना जा सकता है अथवा नहीं, न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:- -

“18. आक्षेपित आदेश के सामान्य पठन से संकेत मिलता है कि ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय संभवतः यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि एचईपीएल द्वारा किया गया



निवेश किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप 'व्युत्पन्न' या 'अभिप्राप्त' था। आक्षेपित आदेश में, प्रवर्तन निदेशालय ने एचईपीएल के खिलाफ लगाए गए आरोप की विस्तार से चर्चा की है। यह भी दर्ज किया गया है कि कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन दायर करते समय एचईपीएल की पूंजी 5 लाख रुपये थी जो कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन दायर आदेश के बाद बढ़कर 7.91 करोड़ रुपये हो गई थी। एचईपीएल के संयुक्त उद्यम संघटकों नामतः हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और ईएमटीए द्वारा किए गए निवेश को एचईपीएल द्वारा सीजीएल के शेयरों को खरीदने सहित आगे निवेश किया गया था। इसे किसी भी मायने से अपराध का आगम नहीं माना जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने एचईपीएल में किए गए निवेश को इस आरोप पर कुर्की करने की मांग की है कि इसका इस्तेमाल एक अनुसूचित अपराध को कारित करने के लिए किया गया है। यह आक्षेपित आदेश के अनुच्छेद 7 व 16 से स्पष्ट है जो अधोलिखित हैं:

“7. और जबकि, कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन दायर करने के बाद 7.91,00,000/- रुपये का निवेश किया गया था, और इसका उपयोग अनुसूचित अपराध के लिए किया गया है। अर्थात् धोखाधड़ी के माध्यम से कोयला ब्लॉक का आवंटन और कथित आवंटन के आधार पर खनन पट्टा प्राप्त करना। इसके

अलावा, अनुच्छेद 5(xiv) और सावधि जमा संख्या 015340100288/8 दिनांकित 4.7.2017 के अनुसार बैंक खातों में 1,33,700/- रुपये बकाया है, जो कुल 11,86,710/- रुपये है।

\* \* \* \*

16. और जबकि, जहां निम्नलिखित राशियों का अनुसूचित अपराध करने में उपयोग किया गया है और पीएमएलए, 2002 की धारा 2(प) व 2(फ) के संदर्भ में अपराध से आगम हैं:-

क्र.सं.	रुपयों में राशि	टिप्पणियां
1.	2, 45, 00, 000	मैसर्स एचईपीएल द्वारा मैसर्स जीसीएल में निवेश और मैसर्स जीसीएल का कॉर्पोरेशन बैंक, भवानीपुर शाखा, कोलकाता में खाता संख्या 510101003473693 के रूप में
2.	11, 86, 710	सावधि जमा सं. 015340100288/8 दिनांकित 04.07.2017 के रूप में
3.	1, 26, 540	खाता संख्या 0153201100424 के रूप में
4.	7, 160	खाता संख्या 0153201002578 के रूप में
कुल	2, 58, 20, 410	

19. यह धारणा कि किसी अनुसूचित अपराध के करने में उपयोग की गई कोई भी राशि पीएमएल अधिनियम की धारा 2(1)(प) के तहत परिभाषित "अपराध के आगम" के दायरे में आएगी, मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। वर्तमान मामले में, एचईपीएल के खिलाफ आरोप है कि उसने दुर्वर्षदेशन के आधार पर कोयला ब्लॉक का

आवंटन प्राप्त किया था। हालांकि, इस पर कोई विवाद नहीं है कि ब्लॉक से कोयले का खनन शुरू नहीं हुआ था, इसलिए, एचईपीएल ने कोयला ब्लॉक से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने भी ऐसा कोई कारण इंगित नहीं किया है, जिससे यह विश्वास करा जा सके कि एचईपीएल ने कोयला ब्लॉक के आवंटन से कोई अन्य लाभ प्राप्त किया था।”

31. श्री चावला प्रस्तुत करते हैं कि **हिमाचल ईएमटीए** में भी यह आरोप था कि कोयला ब्लॉक आवंटन के बल पर निवेश किए गए। उपर्युक्त चुनौती से निपटते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया बुनियादी रूप से त्रुटिपूर्ण थी। यह नोट किया गया कि जबकि यह आरोप लगाया गया था कि कोयला ब्लॉक दुर्यपदेशन से प्राप्त किया गया था, उसके उपरांत कोई खनन गतिविधि नहीं की गई थी और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता था कि याचिकाकर्ता ने कथित आवंटन से कोई लाभ व्युत्पन्न या अभिप्राप्त किया था।

32. श्री चावला ने तब प्रस्तुत किया कि वह आधार जिस पर प्रत्यर्थी ने अधिमानी शेरों के आवंटन पर संदेह किया है, वह भी स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि याचीगण को **भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015** में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कोयला ब्लॉक आवंटन के संबंध में सांविधिक रूप से प्रकटीकरण करना पड़ा था। यह

भी आगे प्रतिवाद किया गया कि 180/- रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम का परिकलन भी अधिमानी मुद्दों के लिए सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को अधिमानी शेयरों के निर्गमन को अनुमोदित करने के लिए अपने शेयरधारकों के निकाय की कोई असाधारण बैठक बुलाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था क्योंकि यह **कंपनी अधिनियम, 1956** की धारा 81 के तहत एक अनिवार्य आवश्यकता थी।

33. आगे यह भी प्राख्यान किया गया कि प्रत्यर्थी की आक्षेपित कार्रवाई अधिनियम की धारा 8(3) का स्पष्ट उल्लंघन है। यह प्रतिवाद किया गया था कि अभिलेख से यह स्थापित होगा कि धारा 45 के अंतर्गत शिकायत दिनांक 17 जुलाई 2018 को दर्ज की गई थी और इस प्रकार स्पष्ट रूप से दिनांक 29 नवंबर 2018 को आक्षेपित आदेश के पारित होने से पहले की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया कि जैसा कि दिनांक 17 जुलाई, 2018 को विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होगा, शिकायत उक्त तिथि पर देर शाम दर्ज की गई और केवल धारा 8 की कठोरता की परिवंचना हेतु। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, विशेष न्यायाधीश का आदेश स्वयं उपर्युक्त को अभिलिखित तथा प्रमाणित करता है।

34. धारा 8(3) पर आधारित चुनौती निम्नलिखित आधार पर आगे बढ़ती है। श्री चावला के अनुसार धारा 8(3)(क) किसी कुर्की की पुष्टि करने वाले निर्णायक प्राधिकरण के लिए सुसंगत समय अनुध्यात किया गया और जो 90 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। दिनांक 29 मार्च, 2018 को लागू वित्त अधिनियम, 2018 के संदर्भ में धारा 8(3)(क) में संशोधन किए जाने से पहले यह स्थिति थी। श्री चावला ने प्रस्तुत किया कि धारा 5 के अनुसार वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) की वैधता 180 दिनों से अधिक नहीं हो सकती। इस आदेश की, धारा 8(3) (क) के संदर्भ में, जैसा कि यह 2018 में इसके संशोधन से पहले था, आवश्यक रूप से 90 दिनों की अवधि के भीतर पुष्टि करनी होगी। इस प्रकार वेतन एवं लेखा कार्यालय के पारित होने की तिथि से 270 दिनों की संचयी अवधि दिनांक 26 अगस्त, 2019 को समाप्त हो जाएगी। यह प्रस्तुत किया गया कि यदि संशोधित धारा 8(3)(क) को लागू माना जाए, तो जिस अधिकतम अवधि के लिए वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) कार्य कर सकता था वह 180 दिन + 365 दिन है। श्री चावला ने प्रस्तुत किया कि इस आलोक में देखने पर, अनंतिम कुर्की केवल 545 दिनों (180 + 365 दिनों) की अवधि के लिए जारी रह सकती थी और इस प्रकार दिनांक 27 मई 2022 को समाप्त हो रही है। श्री चावला ने आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया कि शिकायत दर्ज करना स्पष्ट रूप से असदभावपूर्वक था और स्पष्ट

रूप से कानून के साथ धोखाधड़ी के बराबर था। यह प्रतिवाद किया गया कि यह शिकायत ऐसे समय में दायर व संस्थित की गई जब सीबीआई द्वारा बंद करने की सिफारिश करने वाली अंतिम आख्या पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी थी और यहां तक कि आरोप-पत्र प्रस्तुत करने से पहले ही जो स्वीकार्य रूप से सक्षम न्यायालय के समक्ष दिनांक 17 नवंबर, 2021 को दायर किया गया था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उपरोक्त तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित करेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी और अवैध थी।

35. श्री चावला ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की विभिन्न संपत्तियों पर अनंतिम रूप से कुर्की जारी रखने की प्रत्यर्थी की कार्रवाई स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण है क्योंकि वे ईसीआईआर या धारा 45 के तहत दर्ज शिकायत के संबंध में जांच को पूरा करने में विफल रहे हैं। न्यायालय को उपरोक्त कार्यवाही से संबंधित आदेश पत्र विस्तार से समझाते हुए, यह बताया गया कि यह स्पष्ट होगा कि कार्यवाही लगातार स्थगित की जा रही है क्योंकि प्रत्यर्थी जांच पूर्ण करने में विफल रहा है। यह उपर्युक्त पृष्ठभूमि में है कि यह कहा गया था कि प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई उचित रूप से कानून के साथ एक धोखाधड़ी के समान है।

#### **घ. प्रवर्तन निदेशालय के तर्क**

36. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री हुसैन ने न्यायालय के विचार हेतु निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया है। सबसे पहले यह प्रस्तुत किया गया कि सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दुर्व्यपदेशन के नौ मामलों को स्थापित करता है जिससे यह कोयला ब्लॉक के आवंटन तक पहुंचा। उन्होंने आगे इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि उन दुर्व्यपदेशनों में से एक याचिकाकर्ता की कुल संपत्ति 532 करोड़ रुपये होने के संबंध में था, जबकि वास्तव में, और जैसा कि सीबीआई द्वारा प्रस्तुत आरोपपत्र के अनुच्छेद 16.34 से स्पष्ट होता है, कथित गणना प्रत्यक्ष रूप से गलत और भ्रामक पाई गई थी। पूर्वोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, श्री हुसैन ने प्रतिवाद किया कि प्रत्यर्थागण के पास अपराध के आगम को कुर्क करने के लिए आवश्यक अधिकारिता होगी तथा जो कथित अनुसूचित अपराध के किए जाने से व्युत्पन्न या सीधे प्राप्त किसी भी संपत्ति पर विस्तारित होगी। श्री हुसैन ने धारा 2(1)(प) में "से संबंधित" वाक्यांश के उपयोग पर यह प्रस्तुत करने के लिए जोर दिया है कि वाक्यांश "से संबंधित" या "से संबंधित माना जा सकने वाला" का उद्देश्य स्पष्ट रूप से "अपराध के आगम" की परिभाषा के दायरे का विस्तार करना है और इसे प्रतिबंधात्मक या संकीर्ण अर्थ नहीं दिया जा सकता है। श्री हुसैन ने पूर्वोक्त प्रतिवाद के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **डोयपैक सिस्टम्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत**

संघ में दर्ज निम्नलिखित टिप्पणियों का सहारा लेना चाहा है:

“50. अभिव्यक्ति “के सम्बन्ध में” (“से संबंधित” भी), एक व्यापक अभिव्यक्ति है जो एक अन्य विषय वस्तु की पूर्वकल्पना करता है। यह व्यापकता के शब्द है जिनका सन्दर्भ के अनुसार प्रत्यक्ष महत्व के साथ साथ अप्रत्यक्ष महत्व हो सकता है, “राज्य वक्फ बोर्ड बनाम अब्दुल अजीज [एआईआर 1968 मद 79, 81, अनुच्छेद 8 व 10], नीता चरण बागची बनाम सुरेश चंद्र पॉल [66 कैल डब्ल्यू. एन. 767], श्याम लाल बनाम एम. श्यामलाल [एआईआर 1933 ऑल 649] एवं 76 कार्पस ज्यूरिस सेकुंडम 621 का अनुसरण और अनुमोदन करते हुए देखें। यह मानते हुए कि शेयरों और भूमि में निवेश उपक्रम का हिस्सा नहीं है, बल्कि भिन्न-भिन्न विषयवस्तु हैं, फिर भी इन्हें उपरोक्त अभिव्यक्तियों के कारण निहित करने की परिधि के भीतर लाया जाएगा। इस संबंध में, पृष्ठ 620 और 621 पर 76 कार्पस ज्यूरिस सेकुंडम का सन्दर्भ दिया जा सकता है, जहां यह कहा गया है कि शब्द 'संबंधित' को संबंध में लाने या संबंध में के रूप में भी परिभाषित किया गया है। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि “से संबंधित” को “के सम्बन्ध में” तथा “संबंधित” के समान या समतुल्य माना गया है। अभिव्यक्ति “के सम्बन्ध में” एक विस्तार की अभिव्यक्ति है और ना कि संक्षेपण की।”

37. यह उनका तर्क था कि पीएओ के अनुच्छेद 7.6 स्पष्ट रूप से स्थापित करेगा कि आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप और विशेष रूप से धोखाधड़ी करने के लिए आपराधिक साजिश के अपराध के किए जाने पर याचिकाकर्ता द्वारा अवैध लाभ प्राप्त और उत्पन्न किए गए थे। श्री हुसैन ने प्रस्तुत किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख एक स्वाधीन तथा स्वतंत्र अपराध है और इसे इसी रूप में समझा और लिया जाना चाहिए। यह उनका निवेदन था कि



याचिकाकर्ता के अधिमानी शेर जारी करने से संबंधित कृत्य और प्रीमियम पर उनके आवंटन का सीधा संबंध कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए 12 जनवरी, 2007 के अपने मूल आवेदन में किए गए दुर्यपदेशन से था। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रारंभ से ही, याचिकाकर्ता ने आवंटन प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार को गुमराह और धोखा देने की कोशिश की थी और यह कि इसके संबंध में उठाए गए सभी कदम धोखा देने और अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे के क्रम में थे। यह प्रतिवाद किया गया है कि सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र से पता चलता है कि कई बार किए गए दुर्यपदेशन के अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक परियोजना आख्या प्रस्तुत करने के बजाय जानबूझकर एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता आख्या प्रस्तुत की थी। श्री हुसैन ने बताया कि उपरोक्त टीईएफआर स्वयं चंबा और कोरबा में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र के विस्तार से संबंधित है और इसमें 500 मेगावाट बिजली संयंत्र की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है जिसके लिए आवंटन की मांग की गई थी। श्री हुसैन के अनुसार, ये तथ्य, सीबीआई के आरोपपत्र के अनुच्छेद 16.3, 16.4 व 16.22 के पठन से प्रमाणित हैं। आरोप-पत्र के प्रासंगिक भाग निम्नानुसार उद्धृत किए गए हैं:-

“16.3 जांच के दौरान प्राथमिकी के आरोप सही नहीं पाए गए और यह पाया गया कि मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज के पास अंतिम उपयोग

क्षमता के लिए कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए विद्युत मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार पर्याप्त निवल मालियत थी जिसके लिए उसे कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया था। तथापि, फतेहपुर कोयला ब्लॉक में मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कोयले के हिस्से की गलत गणना करने में कोयला मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से कुछ प्रक्रियात्मक त्रुटियां पाई गईं। इसलिए तत्कालीन निदेशक श्री के. सी. समारिया, तत्कालीन अवर सचिव श्री वी. एस. राणा और तत्कालीन अनुभाग अधिकारी श्री आर. एन. सिंह के खिलाफ ऐसी कार्यवाही जैसा उचित समझा जाए की अनुशंसा करने वाली एक एसपी की आख्या को सीबीआई द्वारा पत्र दिनांकित 23.02.2015 के माध्यम से कोयला मंत्रालय को अग्रेषित किया गया।

1.6.4 इसके बाद दिनांक 20.11.2014 को इस माननीय न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के तहत मामले को बंद करने की सिफारिश करते हुए एक आख्या दायर की गई थी। तथापि, उक्त बंद करने की आख्या पर सुनवाई के दौरान श्री प्रकाश जावड़ेकर, श्री हंसराज अहीर और श्री भूपेन्द्र यादव, जिनकी शिकायत सीवीसी द्वारा जांच के लिए सीबीआई को अग्रेषित की गई थी, ने अपने अधिवक्ताओं द्वारा विरोध याचिका दायर की और मामले को बंद करने का विरोध किया। विरोध याचिका में उठाए गए मुद्दों के साथ-साथ कुछ नए पहलुओं, जो बाद में उजागर हुए, की भी माननीय न्यायालय को सूचित करते हुए सीबीआई द्वारा आगे जांच की गई।

6.22 जांच से आगे पता चला है कि मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में फतेहपुर कोयला ब्लॉक के लिए अपने आवेदन पत्र दिनांक

12.01.2007 में दुर्यपदेशन किया कि अंतिम उपयोग परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा चुकी है और इसका मूल्यांकन वित्तीय संस्थान द्वारा किया गया था। लेकिन जैसा कि विज्ञापन में उल्लेख किया गया है, “परियोजना आख्या” प्रस्तुत करने के बजाय इसने चंपा और कोरबा में एकीकृत इस्पात संयंत्र के विस्तार और श्री ए. के. चतुर्वेदी, अध्यक्ष (कारपोरेट कार्य) के हस्ताक्षर के अधीन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के लिए एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना के संबंध में एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता आख्या (टीईएफआर) प्रस्तुत की। इस तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता आख्या (टीईएफआर) में छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के चंपा गांव में 500 मेगावाट के कैप्टिव बिजली संयंत्र की स्थापना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। उक्त टीईएफआर अन्य बातों के साथ 375 मेगावाट कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट (फ्लूइडाइज्ड बेड बोलर) से संबंधित है जिसकी कंपनी द्वारा कोरबा, छत्तीसगढ़ में स्थापना प्रस्तावित है। जबकि ईयूपी यानी कैप्टिव पावर प्लांट, जिसके लिए कंपनी द्वारा कोयला ब्लॉक का आवेदन किया गया था, का स्थान जिला जांजगीर चंपा, छत्तीसगढ़ था। इस प्रकार यह एक अलग परियोजना के लिए टीईएफआर था। हालांकि, आवेदन प्रपत्र के कॉलम सं. 21(1) व (ii) में, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या डीपीआर तैयार किया जा चुका है और यदि हां, तो क्या एफआई (वित्तीय संस्थानों) द्वारा मूल्यांकन किया

गया है, मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दोनों कॉलम में 'हां' का उल्लेख किया था।”

38. यह भी बताया गया कि सीबीआई द्वारा दायर किया गया आरोप-पत्र निश्चित एवं स्पष्ट रूप से स्थापित कर्ता है कि न केवल याचिकाकर्ता ने कंपनी की निवल मालियत का दुर्व्यपदेशन किया, बल्कि केंद्र सरकार को कोयला ब्लॉक आवंटित करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक बड़ी साजिश रची। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने पूर्वोक्त योजना को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न अन्य कई व्यक्तियों के साथ काम किया था जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो उस समय कोयला मंत्रालय में तैनात थे। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने न केवल अपनी निवल मालियत के संबंध में कई दुर्व्यपदेशन किए थे, बल्कि उसने परियोजना के लिए उपलब्ध कुल भूमि, सिविल निर्माण, संयंत्र और मशीनरी के आदेश और पर्यावरण मंजूरी के संबंध में केंद्र सरकार को भी धोखा और गुमराह किया था। यह बताया गया कि याचिकाकर्ता ने झूठा आरोप लगाया था कि उसके पास 505.89 एकड़ भूमि है जबकि वास्तव में उस पर पहले से ही एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था और इसलिए 500 मेगावाट कैप्टिव बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए पूरी भूमि उपलब्ध नहीं थी। श्री हुसैन ने तर्क दिया कि जल की उपलब्धता के साथ-साथ पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित व्यवस्थाओं के संबंध में गलत सूचना

सीबीआई द्वारा आरोपपत्र के अनुच्छेद 16.48 व 16.63 में दर्ज तथ्यों से स्पष्ट है। आगे यह भी प्रतिवाद किया गया कि याचिकाकर्ता की ओर से दिया गया बयान कि उसने पहले ही 1150 करोड़ रुपये का निवेश कर दिया है और शेष की व्यवस्था इक्विटी और बैंक व वित्तीय संस्थानों से उधार के माध्यम से की जाएगी भी अंततः मिथ्या पाया गया। श्री हुसैन के अनुसार, दिनांक 10 फरवरी 2022 के आदेश में विशेष न्यायाधीश द्वारा इन दुर्व्यपदेशन पर ध्यान और संज्ञान लिया गया था। श्री हुसैन के अनुसार, उपरोक्त तथ्य स्पष्ट रूप से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रभावित अनंतिम कुर्की को उचित ठहराएंगे।

39. तब अधिमानी शेयरों के आवंटन से याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त आय के बारे में बात करते हुए, श्री हुसैन ने प्रस्तुत किया कि वे स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी करने के आपराधिक षड्यंत्र के एक अनुसूचित अपराध से संबंधित अवैध लाभ का गठन करेंगे। यह प्रतिवाद किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा 17 नवंबर 2007 को बीएसई में एक झूठी घोषणा की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि प्रश्नगत कोयला ब्लॉक उसके पक्ष में आवंटित किया गया था जबकि वास्तव में आवंटन केवल 6 फरवरी 2008 को किया गया था। श्री हुसैन ने उन निष्कर्षों और कारणों को संदर्भित किया जो इस पहलू के संबंध में पीएओ के अनुच्छेद 7.5 से 7.9 में दर्ज हैं।

40. यह प्रस्तुत किया गया कि जो वित्तीय लाभ याचिकाकर्ता द्वारा अधिमानी शेयरों के आवंटन से प्राप्त किए गए थे, वे स्पष्ट रूप से कोयला ब्लॉक आवंटन के उपयोग से प्राप्त और व्युत्पन्न किए गए अवैध लाभों के समान होंगे और इस प्रकार अपराध के आगम की कसौटी को संतुष्ट करेंगे जैसा कि प्रकाश इंडस्ट्रीज-1 में न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। श्री हुसैन के अनुसार, किसी भी मामले में, अधिमानी शेयरों के आवंटन से प्राप्त लाभ निश्चित रूप से एक अनुसूचित अपराध के होने पर आधारित थे। यह इसलिए कि यदि याचिकाकर्ता ने कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन करने के दौरान कंपनी की निवल मालियत से संबंधित तथ्यों का दुर्व्यपदेशन नहीं किया होता याचिकाकर्ता नहीं किया होता, तो वे न तो उसे आवंटित किए जाने के पात्र होते और न ही यह सुनिश्चित करने के बाद कि याचिकाकर्ता के शेयर के मूल्य में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है, अधिमानी शेयरों के आवंटन से 118.75 करोड़ रुपये का अवैध लाभ अर्जित करने की स्थिति में होते।

41. श्री हुसैन ने तब, याचिकाकर्ता के आदेश पर संबोधित प्रस्तुतियों का खंडन करते हुए और अधिनियम की धारा 8(3)(क) के एक स्पष्ट उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया कि धारा 8(3)(क) के अंतर्गत दिए गए तर्क के सम्बन्ध में रिट याचिका किसी भी अभिवचन या

प्रार्थना से वंचित है। श्री हुसैन ने प्रस्तुत किया कि यह तर्क कि धारा 45 के तहत शिकायत अनुचित रूप से दायर की गई थी और इसका उद्देश्य केवल धारा 8(3)(क) में निहित परिसीमन को रोकना था जो अनिवार्य रूप से जांच के लिए एक चुनौती होगी। यह प्रस्तुत किया गया कि केवल इसलिए कि कथित शिकायत पर आगे की जांच चल रही है, यह एक ऐसा आधार गठित नहीं कर सकता है जो इस न्यायालय के लिए यह निर्धारित करने के लिए विधि में पर्याप्त हो सकता है कि मूल शिकायत ही दूषित हो गई है। श्री हुसैन के अनुसार, किसी भी मामले में, इस संबंध में रिट याचिका में दावा किए गए या माँगी गई किसी राहत की अनुपस्थिति में अभियोजन शिकायत को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है।

42. श्री हुसैन ने आगे प्रस्तुत किया कि पीएमएलए की धारा 44(2) के संदर्भ में आगे जांच करने की प्रवर्तन निदेशालय की शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **विजय मदनलाल चौधरी व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य** के मामले में एक पूर्ण प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई है तथा शिकायतें दर्ज करने के लिए सशक्त होने की इसकी वैधानिक स्थिति स्वीकृत है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, सभी अतिरिक्त या बाद की शिकायतों को दर्ज की गई मूल शिकायत का एक हिस्सा माना जाएगा। श्री हुसैन ने आगे प्रस्तुत किया कि केवल

इसलिए की याचिकाकर्ता की धारणा के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच या तो अधूरी है, चल रही है या न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान नहीं लिया गया है, इससे इसे अधिनियम के तहत आगे बढ़ने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 8(3)(क) असंदिग्ध रूप से अनुबंध व निर्धारित करती है कि एक पीएओ तब तक कार्यरत रहेगा जब तक न्यायालय में कार्यवाहियां लंबित है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि संभवतः यह नहीं कहा जा सकता है कि कुर्की अवैध है। श्री हुसैन द्वारा आगे यह भी आग्रह किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश, जिसने विशेष न्यायाधीश के समक्ष केवल आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है, किसी अनुसूचित अपराध के किए जाने या अपराध के आगम के व्युत्पन्न व प्राप्त किए जाने के तथ्य को नष्ट या मिटा नहीं देगा।

### **ड. पीएओ के आधार**

43. विरोधी तर्कों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें संबोधित किया गया है और आगे बढ़ने से पहले, न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि सीबीआई द्वारा दायर प्राथमिकी और आरोपपत्र, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज ईसीआईआर तथा धारा 45 में संदर्भित करने योग्य शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति का पहले उल्लेख करना



प्रासंगिक होगा। जैसा कि इस निर्णय के पहले के हिस्सों में देखा गया था, सीबीआई द्वारा 26 मार्च 2014 को प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें धारा 120ख सहपठित भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के साथ-साथ धारा 13(2) सहपठित पीसी अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के संदर्भ में अपराध करने का आरोप लगाया गया। प्राथमिकी में सबसे पहले राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बिजली, इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों में कार्यरत निजी कंपनियों द्वारा कैप्टिव कोयला खनन की नीति का उल्लेख किया गया है। प्राथमिकी ने प्रत्यर्थी के प्रवर्तकों / निदेशकों, कोयला मंत्रालय द्वारा गठित 35वीं अनुवीक्षण समिति के सदस्यों, उस मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों पर दोषारोपण किया। प्राथमिकी सबसे पहले राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बिजली, इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों में लगी निजी संस्थाओं द्वारा कैप्टिव कोयला खनन की नीति को संदर्भित करती है। यह एक अनुवीक्षण समिति के गठन पर ध्यान देती है जिसे चयनित किए गए कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए सिफारिशें तैयार करने के लिए मंत्रालय द्वारा गठित किया गया था। इसमें कोयला मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है और जिन्हें अनुवीक्षण समिति द्वारा तैयार की सिफारिशों को नियंत्रित किया जाना था। प्राथमिकी अग्रसर है यह दर्ज करने के लिए कि दिनांक 13 नवंबर 2006 को कैप्टिव खनन के लिए 35 कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए एक विज्ञापन

प्रकाशित किया गया था। उपर्युक्त में से 15 ब्लॉक विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए आरक्षित थे, जबकि शेष इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे।

44. कथित है कि याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले के चंपा गांव में 650 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त आवेदन की तिथि 12 जनवरी, 2007 कथित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आवेदन की विद्युत मंत्रालय के साथ-साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जांच की गई है। लगाए गए आरोपों के अनुसार, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के लिए निर्धारित अधिकतम क्षमता में से आवेदक कंपनी की कुल संपत्ति 0.50 करोड़ प्रति मेगावाट होनी चाहिए। परियोजना की क्षमता न्यूनतम 500 मेगा वाट की गणना की गई थी। प्राथमिकी के आरोपों के अनुसार, कुल 187 आवेदनों के अनुवीक्षण के बाद जो प्राप्त हुई थी, 115 पूर्व-अर्हता प्राप्त सिद्ध हुई। चयन किए गए 44 आवेदनों की पहचान की गई। आगे किए गए चयन में, 44 आवेदनों की पहचान की गई। याचिकाकर्ता अपनाए गए मानदंडों को पूर्ण नहीं कर पाया और इन 44 आवेदनों की सूची में शामिल नहीं था। इसके बाद कथित है कि इस मामले की आगे विद्युत मंत्रालय द्वारा जांच की गई, जिसने आवंटन के लिए

अनुवीक्षण समिति को निर्दिष्ट ब्लॉकों के अनुसार 27 निकायों की पहचान की और अनुशंसा की। चयनित 27 आवेदकों की इस सूची में भी याचिकाकर्ता का नाम नहीं था।

45. प्राथमिकी में आगे बल दिया गया है कि याचीगण ने अपने आवेदन पत्र में दिनांक 31 मार्च 2006 तक अपनी निवल मालियत 532 करोड़ रुपये घोषित की थी। हालांकि, प्राथमिकी में ऐसा आरोप लगाया गया है, उचित जांच और अन्वेषण पर यह पाया गया है कि उस तारीख पर याचिकाकर्ता की निवल मालियत वास्तव में (-) 144.16 करोड़ रुपये थी। प्राथमिकी में आगे आरोप लगाया गया है कि अभिलेख पर मौजूद इन तथ्यों के बावजूद, अनुवीक्षण समिति ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अपनी सिफारिशों को केवल उसके द्वारा की गई स्व-घोषणाओं के आधार पर आगे बढ़ाया और वित्तीय विशेषज्ञों द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच किए जाने पर विचार करने में भी विफल रही है। अनुवीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर, फतेहपुर कोयला ब्लॉक अंततः दिनांक 6 फरवरी 2008 को याचिकाकर्ता को औपचारिक रूप से आवंटित किया गया।

46. अभिलेख से आगे यह भी पता चलता है कि प्रारंभ में सीबीआई ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के संदर्भ में बंद करने की सिफारिश करते हुए एक अंतिम आख्या प्रस्तुत की थी। हालांकि उपरोक्त अंतिम

आख्या को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि इस बीच शिकायतकर्ताओं द्वारा विरोध आपत्तियां दायर की गई थीं, सीबीआई ने अंततः दिनांक 17 नवंबर 2021 को आरोपपत्र दायर किया। अनुवीक्षण समिति और कोयला मंत्रालय के समक्ष की गई कार्यवाहियों से संबंधित आरोप पत्र में निम्नलिखित आरोप लगाए गए हैं:-

“16.13 जांच से आगे यह पता चला है कि कोयला मंत्रालय में आवेदन प्रपत्रों के प्रसंस्करण के संबंध में निम्नलिखित अनुदेशों का उल्लेख “आवेदन के प्रसंस्करण” शीर्षक के तहत विज्ञापन में किया गया था:-

“पात्रता और पूर्णता की जांच के बाद कोयला मंत्रालय में पांच प्रतियों में प्राप्त आवेदनों को उनके मूल्यांकन और सिफारिशों के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / राज्य सरकार को भेजा जाएगा। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / राज्य सरकार की सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद अनुवीक्षण समिति आवेदनों पर विचार करेगी और अपनी सिफारिशें देगी। अनुवीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर कोयला मंत्रालय आवंटन का निर्धारण करेगा।

16.14 इसके बाद, कोयला मंत्रालय में यह निर्णय लिया गया कि बिजली क्षेत्र के लिए कोयला ब्लॉकों के लिए आवेदन करने वाली सभी कंपनियों को उनकी अंतिम उपयोग परियोजना (ईयूपी) के संबंध में प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाएगा और वे अपने ईयूपी की नवीनतम स्थिति का उल्लेख करते हुए एक प्रतिसूचना प्रपत्र भी जमा करेंगी।

16.15 जांच से आगे यह भी पता चला है कि फतेहपुर कोयला ब्लॉक छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक गैर-कोकिंग कोयला ब्लॉक था और इसे

बिजली क्षेत्र के लिए उद्दिष्ट किया गया था। मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहित कुल 69 आवेदक कंपनियों ने फतेहपुर कोयला ब्लॉक के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत किए थे। मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने मौजूदा 65 मेगावाट + प्रस्तावित 500 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के लिए आवेदन किया था जो ग्राम चंपा, जिला जांजगीर, छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाना था। मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आवेदन दिनांक 12 जनवरी, 2007 को श्री ए. के. चतुर्वेदी, अध्यक्ष (कारपोरेट कार्य) के हस्ताक्षर के अंतर्गत जमा किया गया था, जिन्हें 6पीए दिनांकित 20 अप्रैल, 2006 के माध्यम से कंपनी के तत्कालीन पूर्णकालिक निदेशक श्री जी. एल. मोहता द्वारा इसके लिए अधिकृत किया गया था।

16.16 जांच से यह भी पता चलता है कि मैसर्स प्रकाश पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को वर्ष 1980 में निगमित किया गया था और इसे 1980-81 के पंजीकरण संख्या 10724 द्वारा दिनांक 31.07.1980 को आरओसी, दिल्ली और हरियाणा में पंजीकृत किया गया था। बाद में इसका नाम आरओसी अनुमोदन पत्र संख्या, 21/एच-10724/20166 दिनांकित 01.11.1990 द्वारा बदलकर मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया।

16.17 जांच से यह भी पता चला है कि कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए विज्ञापन के उत्तर में प्राप्त आवेदनों की उनकी पात्रता और पूर्णता के लिए जांच नहीं की गई थी जैसा कि विज्ञापन में उल्लेख किया गया था और उन्हें इसके बिना ही मूल्यांकन और सिफारिशों के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था। तत्कालीन सचिव श्री एच. सी. गुप्ता और तत्कालीन संयुक्त सचिव श्री के. एस. क्रोफा, कोयला मंत्रालय इस तथ्य से भली-भांति अवगत थे कि इन आवेदनों को पात्रता और पूर्णता की जांच किए बिना राज्य सरकार और प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा जा रहा है।

16.18. जांच से आगे यह भी पता चला है कि कोयला मंत्रालय ने पत्र एम. ओ. 130आई6/55/2006-सी.ए.-1 दिनांकित 19/28.02.2007 द्वारा फतेहपुर कोयला ब्लॉक के लिए प्राप्त आवेदनों को छत्तीसगढ़ सरकार को प्रेषित किया था।

16.19 श्री देबाशीष दास, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, ऊर्जा विभाग, ने पत्र संख्या 1293/2/13/ईडी/कोयला बीआई, आवं./ 2007 रायपुर

दिनांकित 18.06.2007 के माध्यम से गैर-कोकिंग कोयला ब्लॉकों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की सिफारिश से अवगत कराया। मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 715 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट क्षमता के लिए एक कोयला ब्लॉक आवंटित करने की सिफारिश की गई थी।

16.20 जांच से आगे यह पता चला है कि कोयला मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र के लिए प्राप्त आवेदनों को श्री के. सी. समरिया, पीवाई सचिव, कोयला मंत्रालय के अनुमोदन के साथ श्री वी. एस. राणा, अवर सचिव के हस्ताक्षर के अंतर्गत पत्र संख्या 13016/65/2005-सीए-1 (भाग) दिनांकित 17.04.2007 के माध्यम से विद्युत मंत्रालय को अग्रेषित किया था।

16.21 विद्युत मंत्रालय के सचिव ने पत्र संख्या शून्य दिनांकित 30.07.2007 के माध्यम से अपनी सिफारिश कोयला मंत्रालय के सचिव को अग्रेषित की थी, विद्युत मंत्रालय ने मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को किसी भी कोयला ब्लॉक के आवंटन की सिफारिश नहीं की थी।

16.22 जांच से यह भी पता चला है कि मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में फतेहपुर कोयला ब्लॉक के लिए दिनांक 12 जनवरी, 2007 के अपने आवेदन प्रपत्र में दुर्व्यपदेशन किया था कि अंतिम उपयोग परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना आख्या (डीपीआर) तैयार कर ली गई है और इसका मूल्यांकन वित्तीय संस्थान द्वारा किया गया है। लेकिन जैसा कि विज्ञापन में उल्लेख किया गया है, "परियोजना आख्या" प्रस्तुत करने के बजाय इसने अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में श्री ए. के. चतुर्वेदी, अध्यक्ष (कारपोरेट कार्य) के हस्ताक्षर के अधीन चंपा और कोरबा में एकीकृत इस्पात संयंत्र के विस्तार और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के लिए एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना के संबंध में एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता आख्या (टीईएफआर) प्रस्तुत की। इस तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता आख्या (टीईएफआर) में छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के चंपा गांव में 500 मेगावाट क्षमता वाले कैप्टिव बिजली संयंत्र की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है। कथित टीईएफआर अन्य बातों के साथ 375 मेगावाट के कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट (फिउडाइज्ड बेड बॉयलर) से संबंधित है जिसे जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ में कम्पनी द्वारा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जबकि ईयूपी यानी कैप्टिव पावर प्लांट, जिसके लिए

कंपनी द्वारा कोयला ब्लॉक का आवेदन किया गया था, का स्थान जिला जांजगीर चंपा, छत्तीसगढ़ था। इस प्रकार यह एक अलग परियोजना के लिए टीईएफआर था। हालांकि, आवेदन प्रपत्र के तदनुरूपी कॉलम संख्या 21 (i) व (ii) में, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या डीपीआर तैयार की गई है और यदि हां, तो क्या एफआई (वित्तीय संस्थानों) द्वारा मूल्यांकन किया गया है, मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दोनों कॉलम में 'हां' भरा था।

16.23 जांच से आगे यह भी पता चला है कि “परियोजना आख्या” उन आवश्यक दस्तावेजों में से एक थी जो अनुवीक्षण समिति को उपयुक्त सिफारिश करने के लिए आवेदक कंपनी का प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत की जानी थी।

16.24 जबकि मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक अप्रासंगिक टीईएफआर प्रस्तुत किया, जिसमें ग्राम चंपा, जिला जांजगीर, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 500 मेगावाट बिजली संयंत्र का कोई विवरण नहीं था जो कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार, यदि अंतिम उपयोग संयंत्र के संबंध में परियोजना आख्या आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं की गई हो, तो आवेदन प्रपत्र को अपूर्ण माना जाता और इसे प्रारंभिक चरण में खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

16.25 जांच से आगे यह पता चला है कि कोयला मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री एच. सी. गुप्ता और कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव श्री के. एस. क्रोफा ने आवेदक कंपनियों से प्राप्त आवेदन प्रपत्रों की पात्रता तथा पूर्णता की संवीक्षा सुनिश्चित नहीं की थी और उन अपूर्ण आवेदनों पर विचार करने हेतु अग्रसर हो गए जिन्हें प्रारंभिक चरण में ही अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए था।

16.26. मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने ईयूपी यानी चंपा, जांजगीर, छत्तीसगढ़ में 500 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना के लिए अपनी तैयारी के संबंध में आवेदन पत्र में निम्नलिखित दावे किए थे।

क्र. स.	शीर्ष	दावा

1.	31.03.2006 तक निवल मालियत	532.73 करोड़
2.	भूमि	200 हेक्टेयर पर कब्जा
3.	जल	अनुबंध / समझौता निष्पादित
4.	उपकरण	आदेश दिए गए
5.	वित्त	स्रोत पर लागू
6.	पहले से किए गए निवेश	1150 करोड़ रुपये
7.	समाशोधन	राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा के माध्यम से एमओईएफ समाशोधन के लिए आवेदन
8.	मौजूदा क्षमता	65 मेगावाट सीपीपी तथा 8 इटपा एसआई संयंत्र
9.	डीपीआर	तैयार और एफआई द्वारा अवगत
10.	पूर्व आवंटन	चोटिया और मदनपुर (उत्तर)

16.27. जांच से आगे यह पता चला है कि अनुवीक्षण समिति की बैठकें दिनांक 20.06.2007, 21.06.2007, 22.06.2007, 23.05.2007, 30.07.2007 और 13.09.2007 को आयोजित की गई थीं।

16.28 दिनांक 20.06.2007 से 23.05.2007 के दौरान आवेदक कंपनियों ने अनुवीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुतियां दीं और प्रतिसूचना प्रपत्र जमा किए। कोयला मंत्रालय के सचिव श्री एच. सी. गुप्ता और कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री के. एस. क्रोफा ने सभाध्यक्ष एवं सदस्य संयोजक क्रमशः के रूप में उक्त बैठकों में भाग लिया।

16.29. जांच से आगे यह भी पता चला है कि कोयला मंत्रालय के निदेशक श्री के. सी. समरिया के हस्ताक्षर के अंतर्गत मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अनुवीक्षण समिति की उस बैठक हेतु दिनांक 6 जून, 2007 को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कंपनियों को प्रस्तुति देनी थी। प्रस्तुति के दौरान आवेदक कंपनी को प्रतिसूचना प्रपत्र को 25 प्रतियों में प्रस्तुत करना था। प्रतिसूचना प्रपत्र का शीर्षक “अंतिम उपयोग संयंत्र की नवीनतम स्थिति” था, जिसके लिए कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन किया गया था।

16.30. जांच से आगे यह भी पता चला है कि दिनांक 21.06.2007 को



श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, सीएमडी, श्री एच आर सुराना, ईडी(एमडी), श्री के पी सिंह, अध्यक्ष, श्री ए के चतुर्वेदी, कार्यकारी निदेशक (सीए) और श्री संजय जैन, उपाध्यक्ष (परियोजना) मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से अनुवीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित हुए। अनुवीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुति श्री वेद प्रकाश अग्रवाल तथा श्री ए के चतुर्वेदी द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी और ईयूपी की नवीनतम स्थिति से युक्त प्रतिसूचना प्रपत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिसमें कंपनी द्वारा ईयूपी की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित दावे किए गए थे।

क्र.सं.	शीर्ष	दावा
1.	31.03.2006 तक निवल मालियत	532 करोड़
2	भूमि	200 एकड़ भूमि पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है
3.	जल	23500 एम <sup>3</sup> / दिन का टाई अप
4.	उपकरण	15% उपकरण अधिकृत
5.	वित्त	वित्तीय समापन हासिल कर लिया गया है और 250 करोड़ रुपये पहले ही निवेश किए जा चुके हैं।
6.	पहले से किए गए निवेश	250 करोड़ रुपये
7.	समाशोधन	125 मेगावाट के पहले चरण हेतु पर्यावरण मंजूरी पहले ही प्राप्त कर ली गई है और शेष क्षमता प्रगति पर है।
	सिविल समाशोधन की स्थिति	35%
8.	मौजूदा क्षमता	65 मेगावाट सीपीपी और 8 इटपा एसआई संयंत्र
9.	डीपीआर	तैयार
10.	पूर्व आवंटन	चोटिया और मदनपुर (उत्तर)

47. इसके बाद सीबीआई ने कोल इंडिया लिमिटेड के दो वित्तीय विशेषज्ञों की

सहायता सूचीबद्ध की। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नामित दोनों विशेषज्ञों के अनुसार, जांच पर याचिकाकर्ता की निवल मालियत केवल 264.20 करोड़ रुपये थी। यह आरोप-पत्र के अनुच्छेद 16.34 से स्पष्ट है जो यहां निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:-

"16.34 इसके बाद, जीआईएल के दो अधिकारी नामतः श्री समीरन दत्ता तथा श्रीमती सुष्मिता सेनगुप्ता, दोनों कोल इंडिया लिमिटेड में वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त), ने श्री के. एस. क्रोफा, संयुक्त सचिव, एमओसी और श्री के. सी. समरिया, निदेशक, सीएटी अनुभाग, एमओसी को रिपोर्ट किया। श्री के. एस. क्रोफा और के. सी. समरिया के निर्देशों के अनुसार, उन्होंने आवेदक कंपनियों द्वारा उनके आवेदनों के साथ प्रस्तुत की गई तुलनपत्र आदि द्वारा आवेदक कंपनियों की निवल मालियत का सत्यापन किया और एक आख्या प्रस्तुत की। श्री के. सी. समरिया द्वारा उक्त निवल मालियत सत्यापन आख्या टाइप करवाई गई थी, लेकिन उन्होंने इस पर श्री समीरन दत्ता और श्रीमती सुष्मिता सेनगुप्ता के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किए थे। तथापि, कोयला मंत्रालय से एकत्र की गई उक्त आख्या पर श्री के. एस. क्रोफा के हस्तलेख में कुछ लिखा हुआ था। उक्त आख्या के अनुसार, मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की निवल मालियत की गणना के अनुसार आवेदन प्रपत्र और प्रतिसूचना प्रपत्र में किए गए 532 करोड़ रुपये के दावे के मुकाबले 31.03.2006 को केवल 264.20 करोड़ रुपए ही थी। क्यूएल के दोनों वित्तीय विशेषज्ञों ने हालांकि इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है क्योंकि इन पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं।"

48. सीबीआई ने याचिकाकर्ता के कब्जे वाली भूमि के मुद्दे पर कार्रवाई करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"16.51. जांच से पता चला कि मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने आवेदन में 500 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता और 200 हेक्टेयर (यानी

494.2 एकड़) के कब्जे का दावा किया था। प्रतिसूचना प्रपत्र में मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भूमि की आवश्यकता को 500 एकड़ के रूप में और पहले से ही अर्जित भूमि के रूप में 200 एकड़ का उल्लेख किया। 16.52 एसआईपीबी, छत्तीसगढ़ को प्रेषित पत्र दिनांकित 01.09.2007 में मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 505.89 एकड़ भूमि पर कब्जा तथा एसआईपीबी के माध्यम से 42.68 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया में होने, वन विभाग द्वारा 98.75 एकड़ भूमि और 123 एकड़ भूमि की सीधी खरीद का दावा किया था।

16.53 जांच से पता चला है कि मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को स्पंज आयरन और अन्य इस्पात और मिश्र धातुओं और इसके अन्य अनुषंगी उद्देश्यों के लिए एक परियोजना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) के पूर्ववर्ती एमपी औद्योगिक केंद्र विकास निगम द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान 326 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। इसके अलावा वर्ष 2001-02 में मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सीएसआईडीसी द्वारा स्पंज आयरन और इसके अनुषंगी उद्देश्यों के निर्माण के लिए 77.05 एकड़ सरकारी भूमि आवंटित की गई थी और भूमि का कब्जा भी दिया गया था। इसके बाद, मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दिनांक 04.01.2007 को स्पंज आयरन प्लांट के विस्तार के लिए जांजगीर चंपा जिले में 40.897 हेक्टेयर (101.0568) सरकारी भूमि के आवंटन के लिए एक अन्य आवेदन प्रस्तुत किया जिसे सीएसआईडीसी ने अपने पत्र दिनांकित 05.11.2007 के माध्यम से आवंटित किया था।

16.54 जांच से आगे यह पता चला है कि उपरोक्त के अलावा मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फरवरी-मार्च, 2007 में अपने एकीकृत इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए एसआईपीबी को 17,139 हेक्टेयर (42 एकड़) निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए भी आवेदन किया था, जिसे एसआईपीबी पत्र दिनांकित 01.03.2007 के माध्यम से उद्योग विभाग को अग्रेषित किया गया था। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पत्र दिनांकित 01.02.2008 द्वारा कंपनी को उक्त भूमि के आवंटन को सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किया था। नतीजतन, कलेक्टर जांजगीर चंपा ने 11.391 एकड़ भूमि के लिए दिनांक 20.08.2010 को कंपनी के पक्ष में ही अधिनिर्णय पारित किया। हालांकि, अब तक कलेक्टर द्वारा भूमि का कब्जा मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आगे हस्तांतरित करने के लिए उद्योग विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया है।

16.55 जांच से आगे पता चला है कि मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वन संरक्षण अधिनियम, 1988 के तहत 97.50 हेक्टेयर भूमि के पट्टे के लिए वन संरक्षक, राजपुर को अपने पत्र दिनांकित 17.10.2006 के माध्यम से चंपा में अपने एकीकृत इस्पात संयंत्र के विस्तार के उद्देश्य से आवेदन किया था। विधिवत प्रक्रिया के उपरांत, वन भूमि प्रबंधन के मुख्य संरक्षक ने अपने पत्र दिनांकित 12.07.2010 द्वारा बिलासपुर के वन संरक्षक को 39.25 हेक्टेयर भूमि मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। अंततः, दिनांक 29.07.2010 को 39.25 हेक्टेयर भूमि मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हस्तांतरित की गई। इस प्रकार, कंपनी द्वारा राज्य सरकार को आवेदन प्रपत्र, प्रतिसूचना प्रपत्र और कंपनी द्वारा दिनांक 01.09.2007 को सूचना जमा करने तक मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कोई वन भूमि आवंटित और हस्तांतरित नहीं की गई थी।

16.56 जांच से आगे यह पता चलता है कि मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज की ओर से अभियुक्त ए.के. चतुर्वेदी ने 09 मार्च, 2007 को छत्तीसगढ़ के चंपा के गांव हथनेयरा के एक प्रॉपर्टी डीलर श्री परमेश्वर बैश के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत श्री परमेश्वर मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में ग्रामीणों/भूमि मालिकों द्वारा 123 एकड़ भूमि की बिक्री की व्यवस्था करने के लिए सहमत हुए थे। हालाँकि, उक्त विलेख के निष्पादन के लगभग डेढ़ महीने के बाद ही ए.के. चतुर्वेदी ने श्री परमेश्वर बैश को सूचित किया कि मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की अपनी योजना छोड़ दी है और इसलिए, उसे किसी भूमि की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कोई निजी भूमि खरीदने का कोई इरादा नहीं था और श्री परमेश्वर बैश के साथ समझौते का निष्पादन केवल आंख में एक धूल झोंकना था।”

49. पानी के संबंध में समझौते से निपटने के लिए, आरोपपत्र में निम्नलिखित

आरोप लगाए गए हैं:-

“16.59 जांच से पता चला कि मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज को छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा उनके 100 मेगावाट सीपीपी के साथ एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए जिसमें 25 मेगावाट बिजली सह-उत्पादन

और 75 मेगावाट एफएसबी शामिल थे, दिनांक 05.10.2004 के आवंटन पत्र द्वारा 23000 सीएम जल आवंटित किया गया था और परिणामस्वरूप, उक्त के लिए दिनांक 10.12.2004 को जल संसाधन विभाग द्वारा एक समझौता किया गया था। इसप्रकार, पानी का उपरोक्त आवंटन मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 500 मेगावाट सीपीपी के लिए नहीं था। वास्तव में 13.01.2008 को मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने 525 मेगावाट सीपीपी के लिए प्रति दिन 50,000 सीएम के आवंटन के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए इसे फतेहपुर कोयला ब्लॉक का आवंटन किया गया था और जल संसाधन विभाग ने 14.01.2011 को इसे मंजूरी दे दी थी। इस प्रकार, कंपनी ने पानी के समझौते के बारे में गलत जानकारी दी थी।”

50. सीबीआई ने आरोपपत्र में यह भी पाया है कि याचिकाकर्ता का यह दावा कि उसने प्रस्तावित बिजली संयंत्र के 125 मेगावाट के संबंध में पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की थी, भी झूठा है। यह पैरा 16.63 में अभिलिखित है जो इस प्रकार है:-

“16.63 इस प्रकार, कंपनी ने 500 मेगावाट सीपीपी के किसी भी भाग के लिए न तो आवेदन किया था और न ही पर्यावरण मंजूरी जारी की थी, जो मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रस्तावित बिजली संयंत्र की नींव था, जिसके लिए इसके द्वारा कोयला ब्लॉक” के लिए आवेदन किया गया था। मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आवेदन, प्रतिपुष्टि प्रपत्र और एसआईपीबी को लिखा गया पत्र गलत है कि उसने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन किया था और पहले चरण की 125 मेगावाट क्षमता के लिए एमओईएफ मंजूरी प्राप्त की थी और इस गणना पर उसने गलत प्रतिनिधित्व किया था।”

51. उपकरण, सिविल निर्माण, मौजूदा क्षमता और वित्त/निवेश के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा अब तक की गई घोषणाओं के संबंध में इसी तरह के गलत बयानों और गलत प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। इसने अंततः याचिकाकर्ता के खिलाफ निम्नलिखित आरोप लगाए हैं:-

16.71 आवेदन पत्र और प्रतिपुष्टि प्रपत्र में मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 532.73 करोड़ रुपये के शुद्ध सम्पत्ति का दावा किया था। सीआईएल विशेषज्ञों द्वारा कथित रूप से तैयार की गई शुद्ध सम्पत्ति गणना रिपोर्ट के अनुसार इसकी शुद्ध सम्पत्ति 264.20 करोड़ रुपये थी और जांच के दौरान, यूएमपीपी फार्मूला के अनुसार, पीएफसी के विशेषज्ञों द्वारा इसकी शुद्ध सम्पत्ति 312.69 करोड़ रुपये आंकी गई थी। जांच के दौरान यूएमपीपी फार्मूले के अनुसार सीआईएल के उन्हीं विशेषज्ञों द्वारा मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुद्ध सम्पत्ति की पुनः गणना की गई और इसकी गणना 258.58 करोड़ रुपये की गई थी।

16.72 इस प्रकार, जांच से पता चला है कि निर्धारित उद्देश्य के अनुसार शुद्ध सम्पत्ति की गणना प्रत्येक विशेषज्ञ के लिए एक व्यक्तिपरक मुद्दा रहा है। इसलिए हर गणना एक अलग आंकड़ा देती है। हालांकि, किसी भी उपर्युक्त विशेषज्ञ ने मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुद्ध सम्पत्ति की गणना 532 करोड़ रुपये के रूप में नहीं की है, जैसा कि इसके द्वारा इसके आवेदन और प्रतिपुष्टि प्रपत्र में दावा किया गया है।

16.73 जांच से आगे पता चला है कि श्री ए.के. चतुर्वेदी द्वारा एसआईपीबी, उप-निदेशक, एसआईपीबी, छत्तीसगढ़ को दिनांक 01.09.2007 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की गई जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर प्रपत्र पर जानकारी को संकलित किया गया और इसे ऊर्जा विभाग को दिनांक 03.09.2007 के पत्र द्वारा अग्रेषित किया गया। उक्त प्रपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि पूरी परियोजना के लिए 505.89 एकड़ भूमि पहले से ही मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कब्जे में है, जो 8.40 एमसीएम प्रति वर्ष है यानी पूरी परियोजना के लिए 23000 सीएम प्रति दिन पानी आवंटित किया गया था, 65 मेगावाट सीपीपी परिचालन में था और 185 मेगावाट सीपीपी के लिए लगभग 75% निर्माण पूरा कर लिया गया था और 87.5 मेगावाट सीपीपी के लिए एमओईएफ द्वारा दिनांक 27.01.2005 के पत्र द्वारा पर्यावरण मंजूरी दी गई थी। ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव श्री देबाशीष दास ने दिनांक 05.09.2007 और 11.09.2007 के पत्र द्वारा अन्य आवेदक कंपनियों के संबंध में सत्यापन रिपोर्टों के साथ उक्त रिपोर्ट कोयला मंत्रालय को अग्रेषित की थी।

16.74 जांच से यह भी पता चला है कि 13.09.2007 को 35वीं अनुवीक्षण समिति की बैठक में क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य संयोजक के रूप में एच.सी. गुप्ता और के.एस. क्रोफा तथा सीए-आई धारा, एमओसी, के निदेशक श्री के.सी.

समरिया ने मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेसर्स एसकेएस इस्पात और पावर लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित फतेहपुर कोयला ब्लॉक के आवंटन की सिफारिश की थी।

16.75 श्री के.एस. क्रोफा और श्री के.सी. समरिया के निर्देशों के तहत तैयार की गई 35वीं अनुवीक्षण समिति के कार्यवृत्त में और इसके पश्चात इसे मिसिल में रखने से पहले श्री एच.सी. गुप्ता को दिखाया गया था, यह गलत तरीके से उल्लेख किया गया है कि जैसाकि अनुरोध किया गया था, अधिकांश राज्य सरकारों की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हुई और प्राप्त सूचना का अनुपालन किया गया और अनुवीक्षण समिति के समक्ष रखा गया, सीआईएल के वित्तीय विशेषज्ञों की मदद से आवेदक कंपनियों की वित्तीय क्षमता की स्वतंत्र रूप से जांच की गई।

16.76 जांच से यह भी पता चला कि अनुवीक्षण समिति के कार्यवृत्त के अनुलग्नक-2 में मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ईयूपी की क्षमता 625 मेगावाट बताई गई थी, जबकि कंपनी ने केवल अपने प्रतिपुष्टि प्रपत्र में 500 मेगावाट के रूप में अपनी क्षमता का उल्लेख किया था। बैठक के कार्यवृत्त को जानबूझकर किसी भी सदस्य को उनकी पुष्टि/अवलोकन/आपत्ति, यदि कोई हो, के लिए परिचालित नहीं किया गया था।

16.77 जांच से पता चला है कि अनुवीक्षण समिति के कार्यवृत्त के पैरा 8 में यह झूठा उल्लेख किया गया था कि “आवेदकों द्वारा दिए गए आंकड़ों और राज्य सरकारों तथा विद्युत मंत्रालय से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर समिति ने एंड-यूज परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, एंड-यूज परियोजना स्थापित करने की तैयारी की स्थिति, परियोजनाओं के निष्पादन में पिछले तरीके/रिकॉर्ड, आवेदक कंपनियों की वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं, राज्य सरकारों और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिशों आदि जैसे मामलों को ध्यान में रखते हुए आवेदनों का मूल्यांकन किया।”

16.78 इसके अलावा, 35वीं अनुवीक्षण समिति के कार्यवृत्त के पैरा 13 में, यह फिर से झूठा उल्लेख किया गया था कि “उसके बाद, अनुवीक्षण समिति ने प्रस्तुतियों के दौरान और उसके बाद, आवेदक कंपनियों द्वारा आवेदन प्रपत्रों में दी गई जानकारी पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। समिति ने विद्युत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकारों के विचारों/टिप्पणियों, कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों और उपर्युक्त पैराग्राफ 10 में उल्लिखित अन्य कारकों पर भी विचार किया।”

16.79 जांच से पता चला है कि अनुवीक्षण समिति द्वारा आवेदक कंपनियों की किसी भी पारस्परिक योग्यता का आकलन नहीं किया गया था क्योंकि कोयला मंत्रालय द्वारा कोई तुलनात्मक चार्ट तैयार नहीं किया गया था और बैठक के दौरान अनुवीक्षण समिति के सदस्यों को प्रदान किया गया था। विद्युत मंत्रालय ने भी विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए अपर्याप्त तैयारी के कारण मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को किसी भी ब्लॉक के आवंटन की सिफारिश नहीं की थी, हालाँकि, इसके विचारों को श्री एच.सी. गुप्ता और के.एस. क्रोफा द्वारा नज़रंदाज़ किया गया और उन्होंने नीरस तरीके से मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स एसकेएस इस्पात लिमिटेड को संयुक्त रूप से फतेहपुर कोयला ब्लॉक के आवंटन की सिफारिश की।

16.80 जांच से यह भी पता चला है कि 35वीं अनुवीक्षण समिति की बैठक के कार्यवृत्त श्री एस.के. समरिया, निदेशक, सीए-1, श्री के.एस. क्रोफा के माध्यम से कोयला सचिव के अनुमोदन के लिए श्री आर.एन. सिंह, धारा अधिकारी, सीएए-1 धारा, एमओसी द्वारा 14.09.2007 को मिसिल में रखे गए थे और कोयला सचिव श्री एच.सी. गुप्ता द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद इसे कोयला राज्य मंत्री श्री दसारी नारायण राव द्वारा 16.09.2007 को कोयला मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के समक्ष रखा गया था। तथापि, प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत मिसिल को मैसर्स भूषण एनर्जी लिमिटेड के अभ्यावेदन पर कोयला मंत्रालय की टिप्पणियों के लिए PMO ID No. 200/31/C/83/06-ES-1 दिनांक 21.09.2007 के साथ वापस प्राप्त किया गया था, जिसे तत्कालीन विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे ने प्रधानमंत्री को भेजा था। उक्त अभ्यावेदन की जांच के बाद, मिसिल को फिर से प्रधानमंत्री के समक्ष रखा गया। अनुवीक्षण समिति की सिफारिशों को कोयला मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था और प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक श्री आशीष गुप्ता के दिनांक 23.10.2007 के नोट द्वारा कोयला मंत्रालय को सूचित किया गया था। इस प्रकार, फतेहपुर कोयला ब्लॉक का आवंटन मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स एसकेएस इस्पात लिमिटेड को संयुक्त रूप से आवंटित किया गया था।

16.81 जांच से पता चला है कि कोयला मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के अनुमोदन के अनुसार, मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड, संयुक्त आवंटियों को संयुक्त रूप से कोयला ब्लॉक के विकास और खनन के लिए उनके द्वारा चुने गए विकल्प का पता लगाने के लिए, श्री वी.एस. राणा, अवर सचिव, कोयला मंत्रालय के हस्ताक्षर के तहत



दिनांक 06.11.2007 का विकल्प पत्र जारी किया गया था। विकल्प पत्र के जवाब में, मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड, दोनों ने दिनांक 29 जनवरी, 2008 के पत्र के माध्यम से विकल्प-1 के तहत अपनी इच्छा और संयुक्त उद्यम समझौते को प्रस्तुत किया। आवंटन करने वाली कंपनियों से प्राप्त विकल्प को मिसिल पर संसाधित किया गया और इसे 05.02.2008 को श्री एच.सी.गुप्ता द्वारा अनुमोदित किया गया।

16.82 तदनुसार, मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड को विकल्प-1 के तहत, श्री वी.एस. राणा, अवर सचिव, कोयला मंत्रालय के हस्ताक्षर के तहत, ईयूपी/कोयले की मात्रा की निम्नलिखित क्षमता के लिए दिनांक 06.02.2008 को संयुक्त आवंटन पत्र जारी किया गया था।

क्र.मांक	कोयला ब्लॉक का नाम	भूगर्भीय संरक्षित	अस्थायी खान क्षमता	कंपनी का नाम	30 वर्षों के लिए कोयले की आवश्यकता	कोयले के भंडार का आनुपातिक हिस्सा
1.	फतेहपुर	120 एमटी	30 एमटीपीए	मैसर्स एसकेएस इस्पात और पावर लिमिटेड	खरस्फा तहसील, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ में 1000 मेगावाट आईपीपी के लिए 4.6 X 30 '138	73.86 एमटी
2				मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	गाँव चंपा, जिला जांगीर, चंपा, छत्तीसगढ़ में 625 मेगावाट (सीपीपी) के लिए 2.875 K 30 = 86.2,5	46.15 एमटी

16.83 जैसेकि, मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को डाई प्रतिपुष्टि प्रपत्र में उल्लिखित 500 मेगावाट की क्षमता के मुकाबले इसकी 625 मेगावाट क्षमता के लिए कोयला आवंटित किया गया था ।

16.84 आगे की जांच के दौरान वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तुलन पत्र में परिलक्षित 372 करोड़ रुपये के ऋण माफी के दावे का भी सत्यापन किया गया, जिसे वास्तविक पाया गया।

16.85 इस प्रकार, जांच से पता चला कि मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके सीएमडी श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, इसके कार्यकारी निदेशक श्री ए.के. चतुर्वेदी और इसके निदेशक श्री जी.एल. मोहता ने प्रस्तावित आबद्ध बिजली संयंत्र की स्थापना और झूठे/मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत कर इसकी तैयारी के बारे में झूठे दावे करके फतेहपुर कोयला ब्लॉक आवंटन प्राप्त किया। कोयला मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री एच.सी. गुप्ता, कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव श्री के.एस. क्रोफा और कोयला मंत्रालय के तत्कालीन निदेशक श्री के.सी. समरिया ने कंपनी के उपर्युक्त अधिकारियों की मिलीभगत से कंपनी के अधूरे आवेदनों की जांच किए बिना कार्रवाई की और इस संबंध में कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कोयला ब्लॉक का आवंटन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोयला मंत्री को भी गुमराह किया कि आवंटन योग्यता के आधार पर किया गया था।

16.86 जांच से पता चला है कि मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, सीएमडी, श्री ए.के. चतुर्वेदी, कार्यकारी निदेशक (कंपनी मामले) और मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक श्री जी.एल. मोहता ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन सचिव और 35वीं अनुवीक्षण समिति के अध्यक्ष श्री एच.सी. गुप्ता और कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव और 35वीं अनुवीक्षण समिति के सदस्य संयोजक श्री के.ए.स क्रोफा के साथ आपराधिक साजिश रची और उक्त आपराधिक साजिश के तहत मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने में अधूरा आवेदन प्रस्तुत किया और चंपा, जिला जांजगीर, छत्तीसगढ़ में इसके 500 मेगावाट बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए डीपीआर तैयार करने और इसके वित्तीय संस्था द्वारा मूल्यांकन, भूमि का अधिग्रहण, पानी का आवंटन, पर्यावरण मंजूरी, उपकरण के लिए आदेश, सिविल निर्माण, पहले से किए गए निवेश, नेट-वर्थ आदि के संबंध में गलत तरीके से झूठी जानकारी प्रस्तुत की। फतेहपुर कोयला ब्लॉक के आवंटन को सुरक्षित करने की बेहतर तैयारी दिखाने के लिए और 625 मेगावाट क्षमता के लिए फतेहपुर कोयला ब्लॉक को आवंटित किया गया जबकि इसकी ईयूपी क्षमता को अपने प्रतिपुष्टि प्रपत्र में केवल 500 मेगावाट

के रूप में दिखाया गया और इस प्रकार कोयला मंत्रालय को धोखा दिया गया और कोयला मंत्रालय के तत्कालीन सचिव और अध्यक्ष, 35वीं अनुवीक्षण समिति श्री एच.सी. गुप्ता और कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव और 35वीं अनुवीक्षण समिति के सदस्य संयोजक श्री के.एस. क्रोफा, ने संसाधित किया और अधूरे आवेदन पर विचार किया और मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड के नाम पर संयुक्त रूप से फतेहपुर कोल ब्लॉक की सिफारिश करके मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पर संयुक्त रूप से फतेहपुर कोयला ब्लॉक की सिफारिश करके मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अनुचित रूप से लाभ पहुँचाया और इसतरह एक लोक सेवक के रूप में आपराधिक कदाचार किया।

16.87 मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके सीएमडी श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, इसके कार्यकारी निदेशक (सीए) श्री ए.के. चतुर्वेदी, इसके निदेशक श्री जी.एल. मोहता, कोयला मंत्रालय के तत्कालीन सचिव और अध्यक्ष, 35वीं अनुवीक्षण समिति श्री एच.सी. गुप्ता और कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव और 35वीं अनुवीक्षण समिति के सदस्य संयोजक श्री के.एस. क्रोफा की ओर से उपर्युक्त कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के साथ 420, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (घ) के साथ 13 (2) और उसके मूल अपराध के अधीन दंडनीय अपराधों का गठन करते हैं।

52. जहां तक ईसीआईआर का संबंध है, जो बाद में 29 दिसंबर, 2014 को दर्ज की गई, प्रत्यर्थी ने प्राथमिकी के आधार पर, जो दर्ज की गई थी, निम्नलिखित आरोप लगाए:-

“7. सीबीआई द्वारा की गई जांच से यह भी पता चला कि मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने प्रस्तावित उष्मीय बिजली संयंत्र की स्थापना में शुद्ध मूल्य की गणना के बारे में अपने आवेदन/प्रतिपुष्टि प्रपत्र में गलत जानकारी दी थी। कंपनी ने, आवेदन प्रपत्र और प्रतिपुष्टि प्रपत्र में 31 मार्च, 2006 को 532 करोड़ रुपये का अपना शुद्ध मूल्य प्रस्तुत किया था। हालांकि जांच के दौरान यह पाया गया कि 31.03.06 को कंपनी का वास्तविक शुद्ध मूल्य (-)144.16 करोड़ रुपये था।

8. सीबीआई द्वारा की गई जांच से यह भी पता चला है कि कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने कंपनी के शुद्ध मूल्य के पहलू

को नजरअंदाज कर दिया, अन्यथा यह कंपनी को कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए अयोग्य बना देता। अनुवीक्षण समिति की 35वीं बैठक के कार्यवृत्त में कहा गया है कि सीआईएल के वित्तीय विशेषज्ञों की मदद से आवेदक कंपनियों की वित्तीय क्षमता की स्वतंत्र रूप से जांच की गई थी। तथापि, सीआईएल विशेषज्ञों की ऐसी कोई रिपोर्ट न तो अनुवीक्षण समिति के समक्ष रखी गई और न ही मिसिल में अभिलेख पर रखी गई। इस प्रकार, जैसा कि सुझाव दिया गया था, शुद्ध मूल्य सत्यापन नहीं किया गया था, या यदि ऐसा किया गया था, तो इसे कोयला मंत्रालय के अनुवीक्षण/लोक सेवकों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था।

9. यह भी पता चला है कि विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुशंसित न किए जाने और कंपनी द्वारा उपर्युक्त संख्या का गलत प्रतिनिधित्व किए जाने के बावजूद, अनुवीक्षण समिति ने 13.09.2007 को आयोजित अपनी बैठक में मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स एसकेएस इंस्पेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को संयुक्त रूप से फतेहपुर कोयला ब्लॉक के आवंटन की सिफारिश की थी। आबंटित कंपनियों को अंतिम आवंटन पत्र कोयला मंत्रालय द्वारा 6 जनवरी, 2008 को जारी किया गया था।

10. इस प्रकार मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के आधार पर फतेहपुर कोयला ब्लॉक प्राप्त किया। इसके अलावा 35वीं अनुवीक्षण समिति के सदस्यों और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने कोयला ब्लॉक के आवंटन के दिशा-निर्देशों का जानबूझकर पालन नहीं करके और मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाकर आपराधिक कदाचार किया।

11. कोयला ब्लॉक का आवंटन हासिल करने के लिए संदिग्ध कंपनी/व्यक्तियों द्वारा की गई उपरोक्त आपराधिक गतिविधियां, प्रथम दृष्टया, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आधिकारिक स्थिति के दुरुपयोग के अपराध के होने का खुलासा करती है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा के 420 के साथ 120-ख, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (घ) के साथ 13 (2) तहत दंडनीय हैं, जो धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 2 (1) (म) के तहत परिभाषित (यथा संशोधित) के

अनुसूची अपराध हैं।”

53. इस न्यायालय के समक्ष इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि धारा 45 के तहत अंततः दायर की गई शिकायत उन आरोपों से परे नहीं है जो प्राथमिकी, बाद में दायर किया गया आरोपपत्र और ईसीआईआर में शामिल हैं। शेयर की कीमतों में हेराफेरी और इस तरह की गतिविधियों से अपराध की आय के सृजन के संबंध में आरोप शामिल है और पीएओ में पहली बार सामने रखे गए हैं। पीएओ में दिखाई देने वाले निम्नलिखित पैराग्राफ के पढ़न से यह स्पष्ट होता है:-

"5.1 प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अब तक की गई जांच से पता चला है कि मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज के शेयरों में भारी वृद्धि हुई है, जो छत्तीसगढ़ में "फतेहपुर कोयला ब्लॉक" के आवंटन के लिए उनके आवेदन के साथ मेल खाता है और इसके बाद "बीएसई लिमिटेड" को 06/02/2008 को इसके वास्तविक आवंटन के पहले 17/11/2007 को गलत जानकारी/घोषणा प्रस्तुत करने की घटना हुई।"

5.2 यह कि अन्य बातों के साथ-साथ प्रासंगिक अवधि के दौरान शेयर मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति के उचित विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्रवर्तन निदेशालय, चंडीगढ़ द्वारा 17.03.2016 को मैसर्स दुग्गल गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट नियुक्त किए गए थे। अभिलेख आधारित तथ्यों के आधार पर, मैसर्स दुग्गल गुप्ता एंड एसोसिएट्स ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.08.2016 को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का खुलासा करते हुए प्रस्तुत की:

(i) इस कंपनी के प्रवर्तकों ने वित्त वर्ष क्रमशः 2006-07 और 2007-08 के दौरान 16.26 लाख और 66.96 लाख (66,96,316 शेयर) शेयरों की बिक्री की थी।

(ii) 31 मार्च, 2006 तक प्रवर्तकों के पास कंपनी के 70.25% शेयर थे। 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार, यह घटकर 61.74% और 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार घटकर 52.60% रह गई।

(iii) अतः 31 मार्च, 2006 को प्रवर्तकों के शेयरों की संख्या

690,64,998 थी, जो घटकर 607,42,652 रह गई अर्थात् वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान 83,22,346 शेयरों की बिक्री की गई, जिनमें से 66,96,316 शेयरों की बिक्री प्रवर्तकों द्वारा वित्त वर्ष 2007-08 में की गई।

वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान, मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज के शेयरों के मूल्य में अनुकरणीय वृद्धि देखी गई, जो छत्तीसगढ़ राज्य में फतेहपुर कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए उनके आवेदन के साथ मेल खाता है। वर्ष 2007 की शुरुआत में, और उन्हें इसके आवंटन की प्रक्रिया इस प्रकार थी:

02 अप्रैल, 2007 की स्थिति के अनुसार, शेयर की कीमत 31 रुपये प्रति शेयर थी।

वित्त वर्ष 2007-2008-

अवधि	प्रति शेयर मूल्य	
02.04. 2007 को	31 रुपये	
अप्रैल 2007 के अंत में	48.10 रुपये	
मई 2007 के अंत में	55.90 रुपये	
जून 2007 के अंत में	54.40 रुपये	
जुलाई 2007 के अंत में	73.05 रुपये	
अगस्त 2007 के अंत में	94.05 रुपये	
सितंबर 2007 के अंत में	128.95 रुपये	
(अनुवीक्षण समिति की बैठक 13.09.2007 को हुई जब शेयर की कीमत 102.00 रुपये थी)		
अक्टूबर 2007 के अंत में	187.20 रुपये	बीएसआई को
नवंबर 2007 के अंत में	239.85 रुपये	17.11.2007 को
		आवेदन भेजा गया
दिसम्बर 2007 के अंत में	337.75 रुपये	
जनवरी 2008 के अंत में	281.35 रुपये	01. 01. 2008 को
फरवरी 2008 के अंत में	285.00 रुपये	354.60 रुपये पर
मार्च 2008 के अंत में	249.55 रुपये	ऊंचाई को छुआ

{मैसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड और मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कोयला मंत्रालय के पत्र संख्या 38011/1/2007-सीए-आई, दिनांक 06.02.2008 के अनुसार फतेहपुर कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया था।}

5.3. विभाग के प्रश्न के उत्तर में, सेबी से दिनांक 19.10.2016 का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जो विभाग के दिनांक 07.10.2016 के पत्र के उत्तर में प्राप्त हुआ था, जिसमें 2007-2008 के दौरान शेयर मूल्य में वृद्धि के बारे में बीएसई की जांच को अग्रेषित किया गया था। इस पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि:

(i) कंपनी ने 05.12.2007 को बीएसई लिमिटेड को सूचित किया कि वह म्यूचुअल फंडों, वित्तीय संस्थानों, एफआईआई, बॉडी कॉर्पोरेट, एनआरआई, प्रवर्तकों और उनके सहयोगियों को प्राथमिकता के आधार पर 62,50,000 इक्विटी शेयरों के आवंटन के लिए ईजीएम आयोजित कर रही है।

(ii) ईजीएम के सदस्यों ने बार्कलेज कैपिटल मॉरीशस लिमिटेड या या उसके द्वारा नामित व्यक्तियों को वरीयता के आधार पर जारी वारंट को उक्त कंपनी के शेयरों की बिक्री द्वारा इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने के माध्यम से निवेश को मंजूरी दी थी।

(iii) 19 नवम्बर, 2007 को कंपनी ने बीएसई लिमिटेड को सूचित किया कि मंत्रालय ने विद्युत संयंत्र में क्षमता विस्तार के लिए छत्तीसगढ़ में एक कोयला ब्लॉक आवंटित किया है।

(iv) बीएसई लिमिटेड द्वारा जांच की अवधि के दौरान वारंट शेयरों के निर्गम और रूपांतरण और क्षमताओं के विस्तार, नए विद्युत संयंत्र की स्थापना और संचालन के बारे में विभिन्न घोषणाएं की गई थी।

(v) शेयर की कीमत औसत दैनिक मात्रा 1,89,820 शेयरों के साथ 35.75 रुपये (2 जनवरी, 2007 को खुली) से बढ़कर 354.60 रुपये (1 जनवरी, 2008 को ऊंची) हो गई।

5.4. मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा बीएसई लिमिटेड को दी

गई उपरोक्त जानकारी/घोषणाएं कंपनी के शेयर मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ इसके प्रवर्तकों द्वारा कंपनी के शेयरों की बिक्री के साथ हुई। विदेशी निवेशकों को “बार्कलेज इन्वेस्टमेंट्स मॉरीशस लिमिटेड और उसके द्वारा नामित”; “एफआईआई”; “अप्रवासी भारतीय” कहा गया था।

5.5 विभाग द्वारा की गई जांच से पता चला कि मैसर्स प्रकाश इंस्ट्रीज लिमिटेड और इसके प्रवर्तकों ने अपने शेयरों की कीमत में उपर्युक्त वृद्धि का फायदा उठाया और भारी मुनाफा कमाया, जो उनके फतेहपुर कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा हुआ है। यह खुलासा किया गया कि “फतेहपुर कोयला ब्लॉक” के आवंटन के समय कंपनी ने 62,50,000 इक्विटी शेयर प्राथमिकता के आधार पर (कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड को दी गई सूचना के अनुसार म्युचुअल फंडों, वित्तीय संस्थानों, एफआईआई, बॉडी कॉर्पोरेट, एनआरआई, प्रवर्तकों और उनके सहयोगियों को) आवंटित किए गए थे। ये शेयर 180 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर जारी किए गए थे, जिससे प्रीमियम के रूप में 112,50,00,000 रुपये प्राप्त हुए जबकि कुल राशि 118,75,00,000 रुपये प्राप्त हुए थे, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तिथि	विवरण	प्रीमियम (रुपये में)	नाममात्र राशि प्रति शेयर (रुपये में)	शेयरों की संख्या	कुल मूल्य (रुपये में)
03.01.08	प्राथमिकता के आधार पर इक्विटी शेयर 190/- रुपए प्रति शेयर पर आवंटित किए गए	180	10	6250000	118,75,00,000
180 X 6250000 शेयरों की दर से एकत्रित प्रीमियम = 112,50,00,000 रुपये 190 x 6250000 शेयरों की दर से कुल मूल्य = 118,75,00,000 रुपये					



5.6 जैसा कि ऊपर बताया गया है, कंपनी द्वारा 05.12.2007 को बीएसई लिमिटेड को दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने बीएसई लिमिटेड को सूचित किया कि वह म्युचुअल फंडों, वित्तीय संस्थानों, एफआईआई, बॉडी कॉर्पोरेट, एनआरआई, प्रवर्तकों और उनके सहयोगियों को वरीयता के आधार पर 62,50,000 इक्विटी शेयरों के आवंटन के लिए ईजीएम आयोजित कर रही है। (सन्दर्भ-भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड-सेबी से दिनांक 19.10.2016 के पत्र के आवरण के तहत विभाग को प्राप्त बीएसई परीक्षा रिपोर्ट)। इस प्रकार स्पष्ट रूप से, यह राशि बड़े पैमाने पर जनता और म्युचुअल फंड प्रबंधकों सहित निवेशकों से प्राप्त की गई।”

54. अधिमान शेयरों के वास्तविक आवंटन से निपटने के लिए आगे बढ़ते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता की परिसंपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

“5.12 जबकि आगे की जांच में, यह पाया गया कि कंपनी ने वरीयता के आधार पर 180 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर 62.50 लाख रुपये के नए इक्विटी शेयर आवंटित किए थे और यह शेयर निम्नलिखित संस्थाओं को आवंटित किए गए थे:

क्र.सं.	निवेशक इकाई का नाम	खरीदे गए वरीयता वाले शेयर की संख्या
1.	डॉयचे सेक्योरिटीज मॉरीशस लिमिटेड	25,00,000
2.	जे.एम. फाइनेंशियल वेचर्स लिमिटेड	10,00,000
3.	दिव्या शक्ति व्यापार सेवाएं लिमिटेड	12,50,000
4.	बीआरओएमएलपी मॉरीशस होल्डिंग्स-II	6,03,000
5.	बीआरपीएल मॉरीशस होल्डिंग-II	8,97,000
	कुल मिलाकर	62,50,000

चूंकि फतेहपुर कोयला ब्लॉक के आवंटन के संबंध में 17 नवंबर, 2007 को बीएसई लिमिटेड को झूठी घोषणा प्रस्तुत करने के बाद इक्विटी शेयरों का आवंटन किया गया था और 180/- रुपये के प्रीमियम पर कथित इक्विटी शेयरों की खरीद के लिए उनकी स्वीकृति के संबंध में निवेशकों के निर्णय पर इस तरह की घोषणा के प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट जांच की गई थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

5. 13 इस प्रयोजन के लिए, एकत्रित अभिलेखों से यह पता लगाया गया कि मूल शेयर प्रमाणपत्र वास्तविक रूप में उपर्युक्त सभी निवेशकों को अग्रेषित किए गए थे, ऐसे मूल शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से आरंभ में ऐसे शेयर प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता के बारे में पूछा गया था। यह पाया गया कि (... sic...) अर्थात् बीआरओएमएलपी मॉरीशस होल्डिंग्स-॥, बीआरएलपी मॉरीशस होल्डिंग्स-॥ और दिव्य शक्ति ट्रेडिंग सर्विसेज लिमिटेड में मूल शेयर प्रमाण पत्र शेयर के संबंधित आवंटियों को अग्रेषित नहीं किए गए थे, बल्कि मेसर्स ब्लू रिज ओएमएलपी मॉरीशस होल्डिंग्स-॥ और मेसर्स ब्लू रिज एलपी मॉरीशस होल्डिंग्स-॥ और मेसर्स आइरिस रॉडरिज के संबंध में मेसर्स निशीथ देसाई एसोसिएट्स के व्यापक देसाई नाम के किसी नामक तीसरे पक्ष को अग्रेषित किए गए थे और मेसर्स दिव्या शक्ति ट्रेडिंग सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में रिलायंस म्यूच्युअल फंड्स के मधुसुअन केला के सहायक को अग्रेषित किए गए थे। आगे यह भी पता चला कि इन शेयरों की खरीद में तीसरे पक्षों का भी सहयोग था, इसलिए तीसरे पक्ष के प्रतिनिधियों की भी जांच की गई।”

55. उपरोक्त सामग्री और तथ्यों के आधार पर, जो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच के दौरान एकत्र किए गए थे और अधिनियम की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयानों के प्रकाश में सामने आए साक्ष्य के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:-

“7.1 मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्ष 2006 तक वित्तीय संकट में थी और बीआईएफआर में थी और वर्ष 2006-07 में कंपनी ने आईएफसीआई और अन्य ऋणदाताओं के साथ आईएफजीआई के 900 करोड़ रुपये के ऋण के निपटान सौदे के रूप में केवल 240 करोड़ रुपये का समझौता किया था। पक्षकार ने 31.03.2006 को, कोयला

ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन करते समय अपनी शुद्ध संपत्ति 532 करोड़ रुपये घोषित की थी और उस समय चल रहे वित्तीय परिदृश्य में, शुद्ध संपत्ति का सही उल्लेख नहीं किया गया था।

7.2 कोयला मंत्रालय ने पक्षकार को कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए विचार के दौरान पक्षकार के वित्तीय आंकड़ों की कोई जांच नहीं की। कोयला मंत्रालय के तत्कालीन अवर सचिव, श्री विजय सिंह राणा ने दिनांक 05.11.2018 को अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा था कि कोयला मंत्रालय द्वारा वित्तीय घोषणाओं की ऐसी कोई जांच नहीं की गई थी और इस परिदृश्य में भी कंपनी के शुद्ध मूल्य की घोषणा को प्रथमदृष्टया सच और सही नहीं माना जा सकता क्योंकि यह अपनी सत्यता के संदर्भ में किसी भी जांच का सामना नहीं कर पाया था।

7.3 यह कि मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बोफनबे स्टॉक एक्सचेंज में घोषणा प्रस्तुत करते हुए झूठी घोषणाएं प्रस्तुत करना जारी रखा। कोयला ब्लॉक के आवंटन के तहत 17 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया, जो वास्तव में 6 फरवरी, 2008 को आवंटित किया गया था। घोषणा झूठी होने का पता इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसे प्रस्तुत करने का एक स्पष्ट उद्देश्य था। यह घोषणा बीएसई को प्रस्तुत किए जाने के अलावा मधुसूदन केला जैसे व्यक्तियों की जानकारी में भी लाई गई थी, जिनके बारे में ऐसा माना जाता था कि संभावित निवेशकों पर उनका प्रभाव है, ताकि उनकी सिफारिशों से अपेक्षित लाभ प्राप्त किया जा सके। सही मायनों में, निवेशकों को यह विश्वास दिलाया गया कि फतेहपुर कोयला ब्लॉक वास्तव में पक्ष को आवंटित किया गया था, जिससे मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उज्ज्वल भविष्य की छवि पड़ी। मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ निवेशकों के निवेश निर्णय पर इस तरह की धारणा का निवेश के पक्ष में प्रभाव पड़ा।

7.4 मधुसूदन केला को बीएसई में कथित झूठी घोषणा के आधार पर कोयला ब्लॉक के आवंटन के आधार पर अनुबंधित किया गया था और आगे उनकी सिफारिशों के आधार पर, निम्नलिखित पांच निवेशकों ने निम्नलिखित निवेश पर विचार किया:

क्र.सं.	निवेशक इकाई का नाम	खरीदे गए वरीयता वाले शेयर की संख्या

1.	डॉयचे सिक्वोरिटीज मॉरीशस लिमिटेड	25,00,000
2.	बीजेएम फाइनेंशियल वेंचर्स लिमिटेड	10,00,000
3.	दिव्या शक्ति व्यापार सेवाए लिमिटेड	12,50,000
4	बीआरओएमएलपी मॉरीशस होल्डिंग्स-II	6,03,000
5.	बीआरपीएल मॉरीशस होल्डिंग-II	8,97,000
	कुल मिलाकर	62,50,000

मधुसूदन केला ने दिनांक 19 नवम्बर, 2018 को अपनी गवाही में कहा था कि 17 नवम्बर, 2007 को बीएसई को दी गई घोषणा के बारे में उन्हें और पांच निवेशकों के साथ इस टीम को जानकारी थी और यह उसके नाम के आधार पर किया गया था क्योंकि उसके पास और निवेशकों के पास घोषणा की प्रामाणिकता या वास्तविकता का पता लगाने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था और बीएसई को झूठी घोषणा प्रस्तुत करने के माध्यम से पक्ष द्वारा बनाए गए प्रचार ने उन्हें मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड में उपरोक्त पांच निवेशकों को विशेष निवेश की सिफारिश करने के लिए प्रेरित किया और उनका निर्णय विवेकपूर्ण/वैध नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि उनके जैसे व्यापक अनुभव वाले निधि प्रबंधक, सामान्य रूप से कुछ विश्लेषणात्मक अध्ययन पर अपने सिफारिशों/संदर्भों को आधारित करते हैं, हालांकि, तत्काल मामले में रिपोर्ट और अध्ययन सही नहीं थे क्योंकि शेयरों में किया गया प्रचार मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से जानबूझकर कर किया गया था और प्रचार की गहराई इतनी थी कि इसे ठीक से निर्धारित नहीं किया जा सकता था कि यह प्रचार वास्तविक था या झूठा और अंततः उपरोक्त पांच निवेशकों द्वारा उनके द्वारा संभावित उचित परिश्रम के बाद भी निवेश किया गया था। उसने आगे कहा कि 118.75 करोड़ रुपये का लाभ उक्त झूठी घोषणा से उत्पन्न हुआ अनुचित लाभ था और मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से किसी भी पेशेवर औचित्य की अवहेलना की और बीएसई में घोषणा अवैध दोष थी।

7.5 एक को छोड़कर सभी निवेशकों ने अपने-अपने बयानों में यह भी

कहा था कि उन्हें बीएसई को कोयला ब्लॉक के आवंटन के बारे में गलत घोषणा पर विश्वास दिलाया गया था जिसके कारण मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर मूल्य में वृद्धि हुई और उन्हें 180/- रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर वरीयता के आधार पर मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए कहा गया और आगे कहा कि निवेश के लिए उनका निर्णय उचित नहीं था और चूंकि मूल्य में वृद्धि निरंतर नहीं हो सकती थी और उन्हें 39/- रुपये प्रति शेयर के मामूली मूल्य पर खरीदे गए इक्विटी शेयरों को बेचना पड़ा। यह ध्यान देने योग्य है कि 1 अप्रैल, 2007 को शेयरों का मूल्य भी 31 रुपये प्रति शेयर था।

7.6 बीएसई को झूठी घोषणा के कारण शेयर मूल्य में कृत्रिम वृद्धि के आधार पर प्रीमियम के आधार पर शेयर जारी करने के परिणामस्वरूप मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 118.75 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ हुआ। यह लाभ वास्तव में अनुसूचित अपराध के होने पर आधारित था, क्योंकि कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन करते समय पार्टी ने अपने वित्तीय आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया होता, तो फतेहपुर कोयला ब्लॉक के आवंटन के संबंध में बीएसई को कोई झूठी घोषणा नहीं की गई होती और आगे 118.75 करोड़ रुपये का लाभ नहीं होता।

7.7 मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आपराधिक गतिविधि के विस्तार के रूप में शेयर मूल्य में प्रचार लाने के लिए बीएसई में झूठी घोषणा प्रस्तुत की। सृजित प्रचार के परिणामस्वरूप उनका शेयर मूल्य बढ़ गया और पांच निवेशकों द्वारा अभिदान के माध्यम से 180 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर वरीयता के आधार पर इक्विटी शेयर जारी करके शेयर के बढ़े हुए मूल्य को नक़द कराया गया था। चूंकि यह पूरी प्रक्रिया आपराधिक गतिविधि पर आधारित थी और इसके परिणामस्वरूप 118.75 करोड़ रुपये तक का अपराध हुआ, जो पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन का अपराध था। मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अपराध के इस तरह के आगम का उपयोग उनकी विनिर्माण गतिविधियों के निरंतर विस्तार में किया गया।”

56. पूर्वोक्त पर निर्भर करते हुए, सक्षम प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे

कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त किए गए 118.75 करोड़ रुपये का निवेश अपराध के आगम के बराबर है। परिणामतः यह पैरा 8 में दी गई अचल और चल संपत्तियों के संबंध में पीएओ पारित करने के लिए प्रक्रिया करते हैं। पूर्वोक्त की अंतर्वस्तु पर ध्यान देने के बाद, न्यायालय उन प्रमुख प्रश्नों पर विचार करता है जो अवधारण के लिए उत्पन्न होते हैं।

### च. धारा 3 और 5 का दायरा

57. न्यायालय ने अधिनियम के तहत कार्रवाई की नींव को रेखांकित करने के लिए प्राथमिकी, पूरक आरोपपत्र के साथ-साथ ईसीआईआर की सामग्री को अधिकता से पुनः प्रस्तुत करना उचित और आवश्यक समझा था। विधेय अपराध के आधार का गठन करने वाले आरोपों की पहचान करने के लिए प्राथमिकी, पूरक आरोपपत्र के साथ-साथ ईसीआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं और दर्ज किए गए हैं, उसका पुनरुत्पादन भी अनिवार्य था। निर्विवाद रूप से, धन शोधन किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि और उससे व्युत्पन्न या अभिप्राप्त संपत्ति के बीच विद्यमान एक अविच्छेद्य श्रृंखला के आधार पर आगे बढ़ती है। यह "अपराध के आगम" की परिभाषा को पढ़ने से स्पष्ट होता है, जिसे धारा 2(1)(यू) में किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 2(1)(यू) का स्पष्टीकरण, जिसे 2019 के अधिनियम 23 के

आधार पर जोड़ा गया है, पूर्वोक्त स्थिति को स्पष्ट करता है और संपत्ति में शामिल करके 'अपराध के आगम' की अभिव्यक्ति की पहुंच को और विस्तारित करता है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त हो सकती है। अभिव्यक्ति "से सम्बन्धित" एक अनुसूचित अपराध या अनुसूचित अपराध से सम्बन्धित उस संबंध पर फिर से जोर देती है जो उस सम्पत्ति के बीच मौजूद होने चाहिए जिसे प्राप्त किया जा सकता है और आपराधिक गतिविधि जो पीएमएलए में निर्दिष्ट अनुसूचित अपराधों के घटकों को संतुष्ट करती है। धनशोधन का अपराध धारा 3 में उपवर्णित है जिसमें अपराध के आगम से संबंधित कोई प्रक्रिया या क्रियाकलाप अभिप्रेत है जिसमें उसके छिपाने, कब्जे, अधिग्रहण या उपयोग शामिल है और इसके अतिरिक्त उक्त संपत्ति के निष्कलंक होने का प्रक्षेपण भी शामिल है। अपराध अनिवार्य रूप से किसी प्रक्रिया या गतिविधि का है जो अपराध के आगम के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। उपर्युक्त अपराध की सामग्री को 2019 के अधिनियम 23 द्वारा धारा 3 में शामिल किए गए स्पष्टीकरण के आधार पर और स्पष्ट किया गया है और जो इस प्रकार है:-

“स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि -

(i) कोई व्यक्ति धनशोधन के अपराध का दोषी होगा यदि ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होने का प्रयास करेगा या जानते हुए सहायता करेगा या जानते हुए एक उसका पक्षकार बनेगा या वास्तव में अपराध के आगम से संबंधित निम्नलिखित प्रक्रियाओं या

गतिविधियों में से किसी एक या अधिक में अंतर्वलित होगा, अर्थात्:- -

- (क) छुपाना
- (ख) कब्जे में लेना
- (ग) अर्जन
- (घ) उपयोग करना
- (ङ) निष्कलंक संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना
- (च) किसी भी रूप में निष्कलंक संपत्ति के रूप में दावा करना

(ii) अपराध के आगम से संबंधित प्रक्रिया या गतिविधि एक सतत क्रियाकलाप है और तब तक जारी रहता है जब तक कि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध के आगम को छिपाकर या कब्जे में लेकर या अधिग्रहण करके या इसका उपयोग करके या इसे बेदाग संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करके या किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करके उसका लाभ उठा रहा है।”

58. पीएमएलए की धारा 5 में संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने की शक्ति निहित है। उपरोक्त प्रावधान अपराध के आगम का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी को सशक्त बनाता है। जब सक्षम प्राधिकारी अपने निपटान में उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण बनने पर कि किसी व्यक्ति के पास अपराध का आगम है और यह कि उस आगम को किसी भी तरह से छिपाने, स्थानांतरित करने या निपटाने की संभावना है और जिसके परिणामस्वरूप अंततः जल्दी से संबंधित निराशाजनक कार्यवाही हो सकती है, तो वह ऐसी संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने के लिए आगे बढ़ सकता है।



59. यहाँ उत्पन्न मुद्दों का मूल्यांकन करने के प्रयोजनों से यहाँ धारा 5 को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा:-

**5.धन शोधन में अंतर्वलित संपत्ति की कुर्की- 4 [(1) जहां निदेशक या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत ऐसे किसी अन्य अधिकारी, जो उपनिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, के पास उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास का कारण लेखबद्ध किया जाएगा) कि -**

(क) किसी व्यक्ति के कब्जे में अपराध के कोई आगम है; और

(ख) अपराध के ऐसे आगमों को छिपाए जाने, अंतरित किये जाने या उनका किसी ऐसी रीति में व्यवहार किए जाने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप इस अध्याय के अधीन अपराध के ऐसे आगमों के अधिहरण से संबंधित कोई कार्यवाहियां निष्फल हो सकती है, वहां, वह लिखित आदेश द्वारा, आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अनधित अवधि के लिए ऐसी संपत्ति को, ऐसी रिति में, जो विहित की जाए, अनन्तिम रूप से कुर्क कर सकेगा:

परंतु कुर्की का ऐसा आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि, यथास्थिति, अनुसूचित अपराध के संबंध में कोई रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट को अग्रेषित न कर दी गई हो या उस अनुसूची में वर्णित अपराध का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के लिए किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष कोई परिवाद फाइल न कर दिया गया हो अथवा किसी अन्य देश की तत्स्थानी विधि के अधीन वैसी ही कोई रिपोर्ट न कर दी गई हो अथवा परिवाद फाइल न कर दिया गया हो:

बशर्ते कि 1 [पहले परन्तुक] में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति की किसी संपत्ति की इस धारा के

अधीन कुर्की किया जा सकता है, यदि निदेशक या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी, जो उपनिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, के पास उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास का कारण लेखबद्ध किया जाएगा) कि यदि धन-शोधन में अंतर्वलित उस संपत्ति को इस अध्याय के अधीन तुरंत कुर्क नहीं किया जाता है तो संपत्ति की कुर्की न किए जाने से इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के निष्फल हो जाने की संभावना है।]

[परन्तु यह भी कि एक सौ अस्सी दिनों की अवधि की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, उस अवधि को, जिसके दौरान इस धारा के अधीन कार्यवाहियों पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई जाती है, बाहर रखा जाएगा और ऐसे स्थगन आदेश को समाप्त करने के आदेश की तारीख से तीस दिनों से अनधिक अतिरिक्त अवधि की गणना की जाएगी।]

(2) निदेशक या कोई अन्य अधिकारी जो उपनिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो उपधारा (1) के अधीन कुर्की के ठीक पश्चात, अपने कब्जे में की सामग्री के साथ उस उपधारा में निर्दिष्ट आदेश की प्रति सीलबंद लिफाफे में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को ऐसी रीति से अग्रेषित करेगा जो विहित की जाए और ऐसा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ऐसे आदेश और सामग्री को ऐसी अवधि तक रखेगा, जो विहित की जाए।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया कुर्की का प्रत्येक आदेश, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् या धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश की तारीख को, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रभावहीन हो जाएगा।

(4) इस धारा की कोई बात उपधारा (1) के

आधीन कुर्क की गई स्थावर संपत्ति के उपभोग में हितबद्ध व्यक्ति को ऐसे उपभोग से निवारित नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में, "हितबद्ध व्यक्ति" के अन्तर्गत संपत्ति में किसी हित का दावा करने वाले या दावा करने के हकदार सभी व्यक्ति हैं।

(5) निदेशक या कोई अन्य अधिकारी जो उपधारा (1) के अधीन किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करता है, ऐसी कुर्की से तीस दिनों की अवधि के भीतर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष ऐसी कुर्की के तथ्यों का कथन करते हुए एक परिवाद फाइल करेगा।

60. यह ध्यान देना उचित होगा कि धारा 5 को संशोधित करने और धन शोधन (संशोधन) अधिनियम, 2012 की रोकथाम द्वारा प्रतिस्थापित करने से पहले, पहले परंतुक में यह व्यवस्था की गई थी कि जब तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत सूचीबद्ध अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट अग्रेषित नहीं की जाती तब तक कुर्की का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। यह भी ध्यान देना भी प्रासंगिक होगा कि इसके पूर्वोक्त संशोधन से पहले भी धारा 5 में अनंतिम कुर्की की शक्ति को सीमित किया गया है जिसका प्रयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता तो ध्यान में रखकर किया जा सकता था, जिस पर अनुसूचित अपराध करने का आरोप लगा हो। धारा 5 के दूसरे प्रावधान में निहित संपत्तियों को कुर्क करने का आपातकालीन प्रावधान अब सक्षम

प्राधिकारी को किसी व्यक्ति पर संबंधित समय पर अनुसूचित अपराध करने का आरोप न लगाए जाने के बावजूद अस्थायी रूप से कुर्क करने का अधिकार देता है।

61. धारा 5, तथापि और इसके प्रारंभ से ही, उन संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने की शक्ति पर आधारित है जो अपराध के आगम का गठन करेगी। संपत्ति को अपराध के आगम के गठन के रूप में समझने के लिए, यह स्थापित करना अनिवार्य था, और अब भी है, कि उक्त संपत्ति अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई थी। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मुख्य रूप से प्रवर्तन निदेशालय पर पीएमएलए के तहत धन शोधन के अपराधों की जांच और पूछताछ करने का अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो आपराधिक गतिविधि से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गई पाई जा सकती है। जिस बात पर जोर देने की आवश्यकता है वह यह है कि किसी अनुसूचित अपराध या आपराधिक गतिविधि का किया जाना, जो किसी अनुसूचित अपराध के होने से संबंधित है या से संबंधित है, इस आधार पर संपत्ति के खिलाफ जाने के लिए एक गैर-आवश्यक या एक पूर्व शर्त है कि यह अपराध का आगम है।

62. पीएमएलए के प्रावधानों की वैधता पर **विजय मदनलाल** मामले में उच्चतम न्यायालय ने विस्तार से विचार किया था। **न्यायमूर्ति खानविलकर** ने पीठ गठित करने वाले तीन विद्वान न्यायाधीशों की ओर से बोलते हुए **“अपराध**

के आगम” अभिव्यक्ति की परिधि की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित मत

व्यक्त किया:

“250. 2002 अधिनियम की धारा 2(1)(यू) में अन्य सुसंगत परिभाषा “अपराध से आगम” है। यह परिभाषा अधिनियम के तहत सभी कार्रवाइयों के लिए आम है, अर्थात्, कृकी, न्यायनिर्णयन और दीवानी प्रकृति के साथ-साथ अभियोजन या आपराधिक कार्रवाई होने के कारण जब्ती। वित्त अधिनियम, 2015 और वित्त अधिनियम (संख्या 2), 2019 द्वारा संशोधन से पहले के मूल प्रावधान में किसी अनुसूचित अपराध (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 2 (1) (y) में उल्लिखित) या ऐसी किसी संपत्ति के मूल्य “से संबंधित” आपराधिक गतिविधि “के परिणामस्वरूप” किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त कोई संपत्ति (अधिनियम की धारा 2 (1) (v) में उल्लिखित) को शामिल किया गया था। वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से, इसमें ऐसी संपत्ति (अपराध के आगम के रूप में) को शामिल किया गया है जो देश के बाहर ली गई या आयोजित की गई है, तो देश के भीतर धारित मूल्य के बराबर सम्पत्ति और 2018 के अधिनियम 13 द्वारा आगे संशोधन करके, इसमें ऐसी संपत्ति को भी जोड़ा गया है जो विदेश में है। वित्त अधिनियम (संख्या 2), 2019 के संशोधन द्वारा आगे स्पष्टीकरण जोड़ा गया है जो स्पष्ट रूप से एक स्पष्टीकरण संशोधन है। यह अंतःस्थापित स्पष्टीकरण की सरल भाषा से ही स्पष्ट है। यह तथ्य कि इसमें कोई संपत्ति भी शामिल है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त की जा सकती है, मूल प्रावधान से परे नहीं है। उसमें, मुख्य प्रावधान में प्रयुक्त शब्द “सम्बन्धित” (से सम्बन्धित/के साथ करना है) शब्द “सम्बन्धित” शब्द का एक वर्तमान कृदंत है और “सम्बन्धित” शब्द केवल एक विश्लेषण है। मूल प्रावधान का जोर यह इंगित करने पर है कि कोई भी संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप व्युत्पन्न या अभिप्राप्त हुई है, उसे अपराध के आगम के रूप में माना जाए। दूसरे शब्दों में, संपत्ति धारा 2 (1)(v) में उल्लिखित किसी भी रूप में, अनुसूचित अपराध से सम्बन्धित या उससे सम्बन्धित आपराधिक गतिविधि से

जुड़ी हुई है या हो सकती है, उसे 2002 के अधिनियम के उद्देश्य के लिए अपराध के आगम के रूप में माना जाना चाहिए। यह अवश्य अनुसरण करना चाहिए कि 2019 में डाला गया स्पष्टीकरण केवल मुख्य प्रावधान से उभरने वाली स्थिति का केवल स्पष्टीकरण और पुनर्कथन है। [अर्थात् धारा 2 (1)(u)]

**251.** “अपराध के आगम”, धन-शोधन के अपराध को गठित करने वाले अवयवों के मूल होने के कारण, उस अभिव्यक्ति का कड़ाई से अर्थान्वयन किए जाने की आवश्यकता है। इसमें सामान्य कानून के तहत एक अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के संबंध में जांच एजेंसी द्वारा बरामद या कुर्क की गई सभी संपत्तियों को अपराध अपराध का आगम नहीं माना जा सकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां उस अपराध से निपटने वाली जांच एजेंसी द्वारा कुर्क की गई अनुसूचित अपराध के किए जाने में शामिल संपत्ति को 2002 अधिनियम की धारा 2 (1) (यू) के अर्थ में अपराध के आगम के रूप में पूरी तरह या आंशिक रूप से नहीं माना जा सकता है - जब तक कि कथित अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि “के परिणामस्वरूप” किसी व्यक्ति द्वारा पूरी संपत्ति या संपत्ति का कुछ हिस्सा व्युत्पन्न या अभिप्राप्त किया गया हो। अतः, अपराध का आगम होने के लिए संपत्ति को किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि “के परिणामस्वरूप” प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त किया जाना चाहिए। इसे अलग तरह से कहें तो अनुसूचित अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए साधन को संबंधित मामले (अपराध) में संपत्ति के रूप में कुर्क किया जा सकता है, फिर भी यह 2002 अधिनियम की धारा 2 (1) (यू) के अर्थ में अपराध का आगम नहीं हो सकता है। इसी तरह, कानूनी साधनों द्वारा अर्जित बेहिसाब संपत्ति का कब्जा कर उल्लंघन के लिए कार्रवाई योग्य हो सकता है और फिर भी, इसे अपराध के आगम के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि संबंधित कर कानून इस तरह के उल्लंघन को अपराध के रूप में निर्धारित नहीं करता है और इस तरह के अपराध को 2002 अधिनियम की अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता है। अपराध के आगम के रूप में माने जाने के लिए, अनुसूचित अपराध से जुड़ी संपत्ति को संबंधित अनुसूचित अपराध से संबंधित

आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा व्युत्पन्न या अभिप्राप्त किया जाना चाहिए। इस विभेद को 2002 के अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपराध के आगम के रूप में सूचीबद्ध अपराध में निर्दिष्ट किसी संपत्ति की गणना करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। किसी प्रक्रिया या गतिविधि के माध्यम से अपराध के आगम से निपटना अधिनियम की धारा 3 के तहत मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध है।”

63. जैसा कि **विजय मदनलाल** के निर्णय में दिखाई देने वाले पूर्वोक्त परिच्छेदों से स्पष्ट होगा, उच्चतम न्यायालय ने पाया था कि संपत्ति को अपराध ले आगम के रूप में माना जा रहा है, यह स्थापित किया जाना आवश्यक था कि यह एक अनुसूचित अपराध के किए जाने पर अभिप्राप्त किया गया था। संपत्ति का अधिग्रहण और पीएमएलए के तहत जांच या पड़ताल के लिए अर्हता प्राप्त करने से पहले यह माना जाता है कि यह किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप व्युत्पन्न या अभिप्राप्त किया गया था। इस बारे में विस्तार से बताते हुए आगे, उच्चतम न्यायालय ने **विजय मदनलाल** मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया:-

253. संक्षेप में, यह केवल ऐसी संपत्ति है जो किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की जाती है, जिसे अपराध का आगम माना जा सकता है। 2002 के अधिनियम के तहत अधिकारी इस धारणा पर धन शोधन के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं कि उनके द्वारा वसूल की गई संपत्ति अपराध का आगम होनी चाहिए और यह कि एक अनुसूचित अपराध किया गया है, जब तक कि वह क्षेत्राधिकार वाले पुलिस के पास पंजीकृत न हो या सक्षम फोरम के समक्ष शिकायत

के माध्यम से जांच लंबित न हो। अभिव्यक्ति के लिए, "व्युत्पन्न या अभिप्राप्त" पहले से किए गए किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि का संकेत है। इसी प्रकार, किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि में नामित व्यक्ति को किसी सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ आपराधिक मामले (अनुसूचित अपराध) को खारिज करने, बरी करने या रद्द करने के आदेश के कारण अंततः दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति या उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कथित अनुसूचित अपराध से जुड़ी संपत्ति के संबंध में धनशोधन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। केवल इस व्याख्या को 2002 के अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 3 के साथ पठित धारा 2 (1) (यू) के आधार पर देखा जा सकता है। कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाना इन प्रावधानों को फिर से लिखना और "अपराध का आगम" की परिभाषा की शर्त की स्पष्ट भाषा की अवहेलना करना होगा, जैसा कि यह अब तक प्राप्त करता है।"

64. धन शोधन रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2012 को पेश करते समय तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषण के निम्नलिखित उद्धरणों से भी धन शोधन के अपराध और एक पूर्वनिर्धारित अपराध के होने के बीच अमिट संबंध को रेखांकित किया गया है और जो **विजय मदनलाल** में भी देखा गया था। यह रिपोर्ट के पैरा 259 से स्पष्ट है जिसे यहां नीचे उद्धृत किया गया है:-

259. इस प्रकार, इस भाषण ने आने वाले वर्षों में धन शोधन के खिलाफ हमारी लड़ाई के लिए स्वर निर्धारित किया। इस कानून को 2002 में बनाया गया था, लेकिन 2005 में इसे लागू किया गया। बाद में, तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा एक भाषण दिया गया था, जिन्होंने राज्यसभा में दिनांक 17.12.2012 को धन शोधन रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2012 पेश किया था।



“श्री पी. चिदम्बरम: उपसभापति महोदय, मैं आदरणीय महोदय का आभारी हूँ। सदस्य, विशेष रूप से 10 माननीय सदस्य जिन्होंने इस विधेयक पर बात की है और विधेयक का समर्थन किया है। स्वाभाविक है कि कुछ सवाल उठेंगे, कुछ उत्पन्न हुए होंगे। उन बातों को स्पष्ट करना मेरा कर्तव्य है। महोदय, सबसे पहले, हमें यह याद रखना चाहिए कि धन शोधन एक बहुत ही तकनीकी रूप से परिभाषित अपराध है। आम बोलचाल की भाषा में हम धन शोधन को इस तरह नहीं समझते। यह तकनीकी रूप से परिभाषित अपराध है। यह अभिनिर्धारित करता है कि कोई विनिर्दिष्ट अपराध होना चाहिए और यह किसी अपराध के आगम से संबंधित है। यह धन शोधन का अपराध है। यह केवल काले धन को सफेद या सफेद धन को काले में बदलने से कही अधिक है। यह आयकर अधिनियम के तहत अपराध है। अनुसूची में परिभाषित एक अपराध अवश्य होना चाहिए। उस अपराध के परिणामस्वरूप, कुछ आगम होने चाहिए- यह नकदी हो सकती है, संपत्ति हो सकती है। और कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध के आगम से संबंधित किसी प्रक्रिया या गतिविधि में लिप्त है, शामिल है या सहायता करता है और इसे एक निष्कलंक संपत्ति के रूप में पेश करता है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी है। इसलिए, यह एक बहुत ही तकनीकी अपराध है। विधेय अपराध सभी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। जब तक कोई गंभीर अपराध नहीं होता, तब तक धन शोधन का अपराध नहीं हो सकता। शुरू में सोच यह थी कि जब तक किसी व्यक्ति को विधेय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता, आप उसे धन शोधन के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन वो सोच अब विकसित हो चुकी है। वित्तीय कार्यवाई कार्य बल अब इस विचार पर पहुंचा है कि यदि विधेय अपराध ने कुछ आगम उत्पन्न किए हैं और आप उस आगम में लिप्त रहे हैं, तो आप धन शोधन के अपराध के दोषी पाए जा सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कानून को उन कानूनों की तर्ज पर लाया जाए जिनको

विककब (वित्तीय कार्यवाई कार्य बल) ने प्रशस्त किया है और सभी देश अपने कानूनों को उसी तर्ज पर लाने के लिए बाध्य है। मैं अपने कुछ मित्रों को बताना चाहता हूँ कि यह विधेयक 2002 में पारित किया गया था। वर्ष 2002 में, हमने महसूस किया कि ये प्रावधान पर्याप्त हैं। कानून के कामकाज में हमने पाया कि प्रावधानों में कुछ समस्याएं हैं। हमने 2005 में इसमें संशोधन किया। हमने 2009 में इसमें संशोधन किया। हम अभी भी पाते हैं कि कुछ समस्याएं हैं। विककब (वित्तीय कार्यवाई कार्य बल) ने कुछ समस्याएं बताई हैं। और, हम 2012 में इसमें संशोधन कर रहे हैं। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह एक विकासवादी प्रक्रिया है। कानून इस तरह से विकसित होंगे, और हम 2012 में फिर से इसमें संशोधन कर रहे हैं।”

(जोर दिया गया)”

65. इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या धारा 3 के अधीन अपराध को एकल अपराध समझा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय ने **विजय मदनलाल** में निम्नलिखित मत व्यक्त किया:-

“281. अगला सवाल है: क्या धारा 3 के अधीन अपराध एकल अपराध है? वास्तव में, यह किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप संपत्ति के गलत और अवैध लाभ पर निर्भर करता है। फिर भी, यह ऐसी संपत्ति से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि से संबंधित है, जो धन शोधन का अपराध है। संपत्ति को 2002 के अधिनियम की धारा 2 (1)(यू) के तहत “अपराध के आगम” की परिभाषा के योग्य होना चाहिए। जैसाकि पहले कहा गया है, अनुसूचित अपराध से जुड़ी सभी या पूरी अपराध संपत्ति को अपराध के आगम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन धारा 2 (1) (यू) के तहत अपराध के आगम की परिभाषा को अर्हक बनाने वाली सभी संपत्तियां आवश्यक रूप से अपराध संपत्ति होंगी। वास्तव में, संबंधित व्यक्ति को दोषमुक्त किए जाने या अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के आरोप से मुक्त होने की स्थिति में, और यदि यह न्यायालय में स्थापित हो जाता है कि संबंधित

मामले में अपराध संपत्ति उसके अधिकार में है और उसके पास है, तो ऐसी संपत्ति को कल्पना की किसी भी सीमा तक अपराध सम्पत्ति और धारा 2 (1) (यू) के अर्थ में अपराध की *पूर्व परिणामी* आगम के रूप में कहा जा सकता है, जैसा कि आज है। दूसरी ओर, सूचीबद्ध अपराध के संबंध में विचारण में, न्यायालय ऐसी संपत्ति को सीधे लौटाने के लिए बाध्य होगा जो उसके सम्बन्धित है। तब सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा इस तरह के निर्णय के बावजूद ऐसी संपत्ति को अभी भी अपराध के आगम के रूप में मानना विरोधाभासी होगा। यह उस मामले पर फैसला सुनाने के लिए अनुसूचित अपराध का विचारण करने वाले संबंधित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर है।

**282.** यह नोट किया जाए कि 2002 अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धन शोधन के अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत अधिकारी का प्राधिकार केवल तभी शुरू होता है जब 2002 अधिनियम की धारा 2 (1) (यू) के अर्थ के भीतर अपराध का आगम मौजूद होता है और आगे यह किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है। अघोषित आय के अस्तित्व के मामले में भी और उसकी मात्रा के बावजूद, धारा 2 (1) (यू) के तहत “अपराध के आगम” की परिभाषा को आकर्षित किया जाएगा, जब तक कि संपत्ति किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप व्युत्पन्न या अभिप्राप्त नहीं की गई हो। यह संभव है कि किसी मामले में अघोषित संपत्ति की बड़ी मात्रा का पता चलने के बाद, अधिकृत अधिकारी को किसी अनुसूचित अपराध के पंजीकरण के लिए (2002 अधिनियम की धारा 66 (2) के तहत) समकालीन रूप से अधिकार क्षेत्र की पुलिस को सूचना भेजने की सलाह दी जाए, जिसमें लंबित मामले में आगे की जांच, यदि कोई हो, शामिल हो। इस तरह की सूचना मिलने पर, अधिकार क्षेत्र की पुलिस प्राथमिकी के माध्यम से मामला दर्ज करने के लिए बाध्य होगी, यदि यह एक संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध (एनसी मामले) के रूप में, जैसा भी मामला हो। यदि इस प्रकार रिपोर्ट किया गया अपराध एक अनुसूचित अपराध है, तो केवल उस स्थिति में, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बरामद की गई संपत्ति 2002 अधिनियम की धारा 2 (1) (यू) के तहत अपराध के आगम का हिस्सा होगी, जिससे वह उस संबंध में अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई कर सकेगा।” 2002

अधिनियम की धारा 2(1)(प) के तहत अपराध, जो उसे इस संबंध में अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है।

66. उपर्युक्त अनुच्छेद इस मूल स्थिति को दोहराते हैं कि अधिनियमिति के तहत सक्षम प्राधिकारी धनशोधन के अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए तभी सशक्त होंगे जब यह पाया जाए कि संपत्ति अनुसूची में शामिल या निर्दिष्ट किसी अपराध के किए जाने पर प्राप्त की गई थी। यह ध्यान देना प्रासंगिक हो जाता है कि पूर्वोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने पी.एम.एल.ए. की धारा 66(2) में निहित प्रावधानों पर भी ध्यान दिया और जो अधिनियमिति के तहत प्राधिकारियों को अपनी जानकारी देने और साझा करने के लिए सक्षम बनाता है जो अधिनियम के तहत जाँच और पूछताछ के दौरान स्वयं ही प्रकाश में आने वाली हो। धारा 66(2) का सार निम्नलिखित है:-

**“66. सूचना का प्रकटन**

xxx

xxx

xxx

“[(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निदेशक या अन्य प्राधिकारी की राय है कि उसके पास उपलब्ध सूचना या सामग्री के आधार पर तत्काल में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, तो निदेशक या ऐसा अन्य प्राधिकारी आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अभिकरण के साथ सूचना साझा करेगा।]”

67. इसके पश्चात् धारा 5 में जोड़े जाने वाले दूसरे परंतुक के महत्व को स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने **विजय मदनलाल के मामले** में निम्नलिखित प्रासंगिक मत व्यक्त किया:-

**“289.** दूसरा परंतुक, जैसा कि यह वित्त अधिनियम, 2015 से पहले मौजूद था, में यह कहा गया था कि उप-धारा(1) के खंड (ख) की किसी भी बात के

बावजूद, किसी भी व्यक्ति की कोई भी संपत्ति को उसी तरह से कुर्क किया जा सकता है और यह स्पष्टीकरण दर्ज किया जा सकता है कि संपत्ति की गैर-कुर्की से 2002 अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही को विफल करने की संभावना है। वित्त अधिनियम, 2015 के संशोधन द्वारा दूसरे परन्तुक में आने वाले शब्दों “खंड (ख)” के स्थान पर “पहले परन्तुक” शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है। यह परीसीमित परिवर्तन है लेकिन धनशोधन के अपराध में शामिल अपराध की आय से संबंधित प्रक्रिया या गतिविधि की रोकथाम और विनियमन के संबंध में विधायी इरादे को पूरा करने के लिए एक प्रभावी है। संशोधन से पहले, पहले परन्तुक को उचित रूप से एक बाधा के रूप में माना जाता था। इसमें, यहां तक कि अनंतिम कुर्की आदेश की कार्रवाई का आह्वान करने के लिए, अनुसूचित अपराध को दर्ज करना और इसकी जाँच को पूरा या उसमें ठोस प्रगति करना आवश्यक बना दिया गया था। यह इसके बावजूद है कि अपराध की आय को अंततः जब्त करने और उसे केंद्र सरकार में निहित करने की आवश्यकता थी। समय के अंतराल के कारण और अपराध की आय में हेरफेर करने के लिए संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध लाभ या अवसरों के कारण, वर्ष 2015 का संशोधन बाधा को दूर करने और अस्थायी कुर्की आदेश जारी करने के लिए निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी जो उप-निदेशक की रैंक से नीचे का ना हो को सशक्त बनाने के लिए लाया गया था। दूसरे परन्तुक के अनुसार, अधिकृत अधिकारी को संतुष्टि दर्ज करनी होगी और अपने कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर अपने विश्वास का कारण लिखित में बताना होगा कि धनशोधन में शामिल संपत्ति (अपराध की आय) यदि “तत्काल” कुर्क नहीं की गई है तो 2002 अधिनियम के तहत हुई कार्यवाही विफल हो जाएगी। यह धनशोधन के अपराध को प्रभावी रूप से रोकने और विनियमित करने के लिए संपत्ति को सुरक्षित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा महसूस की गई अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदानित है। अन्य शब्दों में, अधिकृत अधिकारी यांत्रिक रूप से संपत्ति की अस्थायी कुर्की (अपराध की आय) का सहारा नहीं ले सकता है। इस प्रकार, इस तरह की तत्काल कार्रवाई करने के पहले मुख्य प्रावधान के साथ-साथ दूसरे परन्तुक में भी आंतरिक सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसे उच्चतम रैंक के ईडी अधिकारी तक पूरा किया जाना है। हम यह समझने में विफल हैं कि 2002 के अधिनियम के अधिनियमन के पीछे के आशय और उद्देश्यों के संदर्भ में इस तरह के प्रावधान को अप्रासंगिक या कम से कम मनमाना कैसे कहा जा सकता है। ऐसे प्रावधान उन गतिविधि और प्रक्रिया के तंत्र के निवारण और

विनियमन को मजबूत बनाता है जो परिणामस्वरूप धनशोधन के अपराध के कृत्य को बढ़ावा देती हैं; और यह भी सुनिश्चित करने हेतु कि अपराध की आय का सही रूप से उपयोग हो सके साथ ही केंद्र सरकार में निहित किया जा सके जैसा कि 2002 अधिनियम में नियत है।

**290.** तथ्य के रूप में, 2015 के संशोधन से पहले, पहला परंतुक ऐसे प्राधिकृत अधिकारी, जो उप-निदेशक के रैंक से कम का नहीं है, के द्वारा भी ऐसे तत्काल उपाय करने के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करता था। हमें शीघ्रता से यह जोड़ना चाहिए कि सूक्ष्म भेद को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के लिए “अभियोजन” शुरू करने के लिए अनुसूचित अपराध का पंजीकरण पूर्व आवश्यकता है, लेकिन प्रारंभिक कार्रवाई शुरू करने के लिए धारा 5 के तहत कुर्की के लिए अनुसूचित अपराध के संबंध में पूर्व-पंजीकृत आपराधिक मामला होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मशीनरी उपबंधों का अर्थान्वयन इस प्रकार नहीं किया जा सकता है जो अंततः 2002 के अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को विफल कर देगा। इस तरह की व्यवस्था अकेले धनशोधन के अपराध को रोकने और नियंत्रित करने सहित अपराध की आय को सुरक्षित कर सकती है। इस प्रकार, प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी दिए गए मामले में यह अपेक्षा की जाएगी कि अत्यधिक गति से न्यायोचित कार्य कर वह सुनिश्चित करें कि अपराध की आय/संपत्ति 2002 अधिनियम के तहत सुनिश्चित कोई भी कार्यवाही विफल ना हो पाए। यदि क्षेत्राधिकार पुलिस के द्वारा पहले से ही अनुसूचित अपराध दर्ज नहीं है या मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत नहीं की गई है, तो प्राधिकृत अधिकारी के लिए यह उचित है कि वह 2002 अधिनियम की धारा 5 के तहत आगे की कार्यवाही चालू रख सकता है साथ ही उसी समय क्षेत्राधिकार प्राप्त पुलिस को 2002 अधिनियम की धारा 66(2) के तहत सूचना प्रदान कर संज्ञेय अपराध हेतु जानकारी दें और यदि क्षेत्राधिकार पुलिस इस सूचना पर जवाब देने में विफल होती है तो प्राधिकृत अधिकारी 2002 अधिनियम के तहत उचित उपाय का मार्ग चुन सकते हैं, जैसा विधि द्वारा स्वीकृत हो जो यह सुनिश्चित करे कि अपराधियों को सज़ा से मुक्ति ना मिले और अपराध की आय को सुरक्षित कर 2002 अधिनियम में दिए विधान के अनुसार उसको संभाला जाए। यह देखा जाना पर्याप्त है कि 2015 में लागू किए गए संशोधन में द्वितीय परंतुक में 2002 अधिनियम में मांगे गए उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध था।”

68. यह एक बार फिर से महत्वपूर्ण रूप से देखा गया है कि पीएमएलए की धारा 3 के तहत किसी अपराध के लिए अभियोजन शुरू करने के लिए अनुसूचित अपराध का पंजीकरण एक पूर्व आवश्यकता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई अनुसूचित अपराध पहले से ही पंजीकृत नहीं है तो यह सक्षम प्राधिकारी के ऊपर है कि वह अधिनियम की धारा 66(2) के अधीन क्षेत्राधिकार संबंधी पुलिस को सूचना भेजते हुए समकालीन रूप से धारा 5 के अधीन कार्यवाही चलाए। आगे वह संपत्ति जो कुर्क हुई है और अनुसूचित अपराध के बीच जो कड़ी मौजूद होनी चाहिए पर आगे और जोर डालते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि:-

“295. जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस पृष्ठभूमि में 2013 का संशोधन अधिनियम 2 अस्तित्व में आया था। संशोधित प्रावधानों के उद्देश्य को और कार्यान्वयन/प्रवर्तन एजेंसियों के अनुभव ध्यान में रखते हुए, धन शोधन की रोकथाम के संबंध में तंत्र को मजबूत करने के लिए आगे के परिवर्तन आवश्यक हो गए। यह मानना सही नहीं है कि दूसरे परंतुक के तहत संपत्ति (अनंतिम) की कुर्की, जैसा कि संशोधित किया गया है, का अनुसूचित अपराध से कोई संबंध नहीं है। जैसा कि धारा 5(1) में परिकल्पना की गई है कि इस तरह की कार्रवाई केवल अधिकृत अधिकारी के कब्जे में मौजूद उस सामग्री के आधार पर शुरू की जा सकती है जो इस बात का संकेत देती है कि किसी व्यक्ति के पास अपराध से प्राप्त राशि है। अपराध की आय होने की पूर्व शर्त यह है कि संपत्ति को किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त या व्युत्पन्न की गई है। धारा 5(1) का दायरा किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि में नामित अभियुक्त तक सीमित नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति पर लागू होगा (जरूरी नहीं कि उस पर अनुसूचित अपराध का आरोप लगाया गया हो), यदि वह अपराध की आय से संबंधित किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है। ऐसे व्यक्ति को अनंतिम कुर्की आदेश के परिणाम का सामना करने के अलावा 2002 अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध से संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दायर की जाने वाली शिकायत में आरोपी के रूप में नामित किया जा सकता है।

**296.** यह नोट किया जाए कि कुर्की केवल उस संपत्ति के संबंध में होनी चाहिए जो अपराध की आय प्रतीत होती है और संबंधित व्यक्ति की सभी संपत्तियों के संबंध में नहीं होनी चाहिए, जिन्हें अंततः धनशोधन के अपराध के लिए अभियोजन सहित अपराध की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 2002 अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने की प्रासंगिक तिथि-चाहे वह कुर्की और जब्ती या अभियोजन की हो, अपराध को सूचीबद्ध अपराध के रूप में शामिल करने और ऐसी तारीख के बाद अपराध की आय के संबंध में प्रक्रिया या गतिविधि को जारी रखने से जुड़ी हुई है। मूल आधार अपराध की आय से संबंधित प्रक्रिया और क्रियाकलाप करने की तारीख के आसपास है न कि उस तारीख के आसपास जिसको संपत्ति अनुसूचित अपराध से संबंधित या संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई है।

**297.** याचिगण का तर्क है कि दूसरा परंतुक आख्या (आरोप-पत्र) दाखिल करने के संबंध में पहले परंतुक में प्रदान किए गए सुरक्षा की अवहेलना में आपातकालीन कुर्की की अनुमति देता है जो स्पष्ट रूप से इस बात को नज़रंदाज़ करता है कि दूसरे परंतुक में सर्वोपरी खंड है और असाधारण परिस्थिति होने के कारण, यह “शीघ्र” कार्यवाही की मांग करता है ताकि संपत्ति 2002 अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही को विफल ना कर सके। स्वीकृत रूप में, प्राधिकृत अधिकारी को अपने कब्जे की सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने के लिए लिखित कारण अभिलिखित करने के लिए बाध्यकर बनाया गया है कि ऐसी तत्काल कार्रवाई अपरिहार्य है। इस अनुबंध में 2002 अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और आशयों के साथ युक्तियुक्त सांठगांठ।”

69. विधेय अपराध के किए जाने और धनशोधन के बीच आवश्यक संबंध **विजय मदनलाल के मामले** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट होता है कि यदि किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित कार्यवाही में नामित व्यक्ति को अंततः दोषमुक्त कर दिया जाता है या बरी कर दिया जाता है, तो धनशोधन के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस प्रकार यह अनिवार्य रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि एक बार कोई व्यक्ति विधेय अपराध से दोषमुक्त हो जाता है, तो ईडी के लिए यह स्वीकार्य नहीं होगा कि पीएमएलए



के तहत संपत्ति को भ्रष्ट मानते हुए अपराध के दायरे और क्षेत्र में देख कार्रवाई की जाए या जारी रखी जाए। आख्या के अनुच्छेद 467 में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करने की कार्यवाही करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया था:-

“467. उपर्युक्त विश्लेषण के आलोक में, हम अब मुद्दे के मूल बिंदुओं पर अपने निष्कर्ष को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित करते हैं:-

(i) यह प्रश्न कि क्या धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के कुछ संशोधन संसद द्वारा वित्त अधिनियम के माध्यम से नहीं लागू हो सकते थे इस निर्णय में जाँच नहीं की गई है। इसे आगे इस न्यायालय की बड़ी पीठ (सात न्यायाधीश) के *रोजर मैथ्यू* के मामले में निर्णय के बाद या साथ में जाँच हेतु अनिर्णीत छोड़ा गया है।

(ii) 2002 अधिनियम की धारा 2(1) के खंड (एनए) में “कार्यवाही” अभिव्यक्ति प्रासंगिक है और ईडी, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और विशेष न्यायालय के अधिकारियों द्वारा अपनाई गई जाँच प्रक्रिया को शामिल करने के लिए व्यापक अर्थ दिए जाने की आवश्यकता है।”

(iii) 2002 के अधिनियम की धारा 2(1) के खंड (एनए) में “जाँच” अभिव्यक्ति स्वयं को अधिनियम के तहत अपराध से संबंधित जाँच के मामले तक सीमित नहीं करती है और अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा की जाने वाली “पूछताछ” के कार्य के साथ विनिमेय है।

(iv) 2002 अधिनियम की धारा 2(1) के खंड (यू) में जोड़ा गया स्पष्टीकरण किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त संपत्ति पर नजर रखने और उस तक पहुंचने के मुख्य प्रावधान से आगे नहीं जाता है।

(v)(क) 2002 के अधिनियम की धारा 3 की पहुंच व्यापक है और यह अपराध की आय से निपटने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक प्रक्रिया और गतिविधि को ग्रहण करती है और औपचारिक अर्थव्यवस्था में दागी संपत्ति के एकीकरण के अंतिम कार्य तक ही सीमित नहीं है। 2019 के संशोधन के माध्यम से धारा 3 में शामिल स्पष्टीकरण धारा 3 के उद्देश्य का विस्तार नहीं करता है, बल्कि केवल स्पष्टीकरण की प्रकृति का है। यह “और” शब्द को स्पष्ट करता है जो “या” के रूप में व्यक्त या अधिकार जताती है जो एक स्पष्टीकरण संशोधन है या अन्यथा के रूप में पुरःस्थापित किया गया हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा।

(ख) उपर्युक्त से स्वतंत्र, हमारा मत स्पष्ट है कि धारा 3 में आने वाली “और” अभिव्यक्ति को “या” के रूप में समझा जाना चाहिए ताकि उक्त प्रावधान को पूरी तरह से लागू किया जा सके जिससे कि किसी के द्वारा की गई “प्रत्येक” प्रक्रिया या गतिविधि को शामिल किया जा सके। संपत्ति को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना अपने आप में धनशोधन का अपराध होगा, जो एक स्वतंत्र प्रक्रिया या गतिविधि है।

(ग) याचीगण द्वारा बताई गई व्याख्या, कि केवल प्रश्नगत संपत्ति को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने या दावा करने पर कि धारा 3 का अपराध पूर्ण होगा, अस्वीकार कर दी जाती है।

(घ) 2002 अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप संपत्ति के अवैध रूप से प्राप्त करने पर निर्भर करता है। यह ऐसी संपत्ति से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि से संबंधित है, जो धनशोधन का अपराध है। 2002 अधिनियम के तहत प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति पर काल्पनिक

आधार पर या इस धारणा पर मुकदमा नहीं चला सकते कि कोई अनुसूचित अपराध किया गया है, जब तक कि यह क्षेत्राधिकार पुलिस के पास इस प्रकार पंजीकृत न हो और/या सक्षम न्यायालय के समक्ष आपराधिक शिकायत के माध्यम से लंबित जाँच/मुकदमा न हो। यदि व्यक्ति को अंतिम रूप से अनुसूचित अपराध से उन्मोचित/बरी कर दिया जाता है या उसके खिलाफ आपराधिक मामला सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो उसके या ऐसी संपत्ति के लिए दावा करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ धन शोधन का कोई अपराध नहीं हो सकता है जो उस द्वारा से कथित अनुसूचित अपराध से जुड़ी संपत्ति है।

(vi) 2002 अधिनियम की धारा 5 संवैधानिक रूप से विधिमान्य है। यह व्यक्ति के हितों को सुरक्षित करने के लिए एक संतुलित व्यवस्था का प्रावधान करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि अपराध की आय 2002 अधिनियम के द्वारा प्रदत्त तरीके से निपटने के लिए उपलब्ध रहे। हमारे द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रक्रियात्मक बचाव सम्बंधित व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी उपाय है।

(vii) 2002 अधिनियम की धारा 8 के उप-खंड (4) की वैधता की चुनौती को भी धारा 8 के आहवाहन के तहत अस्वीकार कर दिया गया है, जो इसके ऊपर दिए गए अर्थ के अनुसार लागू और संचालित किया जा रहा है।

(viii) उपधारा (1) के परन्तुक को हटाने की चुनौती 2002 अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है। 2002 अधिनियम की धारा 17 के उप-धारा (1) के परन्तुक को हटाने की चुनौती को रद्द किया जाता है। धारा 17 और उसमें बनाए गए नियमों में कड़े सुरक्षा उपायों का प्रावधान है। इसके अलावा, 2005 के नियमों के नियम 3(2)

के परंतुक की पूर्व शर्त को इसके संशोधन के बाद धारा 17 में नहीं पढ़ा जा सकता। केन्द्र सरकार इस संबंध में उत्पन्न भ्रम को दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठा सकती है।

(ix) 2002 अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के परंतुक को हटाने की चुनौती को भी अस्वीकार कर दिया गया है। धारा 18 में भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय किए गए हैं। हम मानते हैं कि संशोधित उपबंध मनमानेपन के दोष से प्रभावित नहीं होता है।

(x) 2002 अधिनियम की धारा 19 की संवैधानिक वैधता को दी गई चुनौती को अस्वीकार किया गया है। धारा 19 में कठोर सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। यह उपबंध मनमानेपन के दोष से प्रभावित नहीं है।

(xi) 2002 अधिनियम की धारा 24 का य्क्तियुक्त संबंध 2002 के अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और आशयों को स्पष्ट रूप से मनमाना या असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है।

(xii)(क) 2002 अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (क) के परंतुक को निर्देशिका की प्रकृति का माना जाना चाहिए और इस उपबंध को भी इस अर्थ में पढ़ा गया है कि विशेष न्यायालय मामला दर मामला आधार पर न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है।

(ख) हम धारा 44 को मनमाना या असंवैधानिक होने की चुनौती में गुण नहीं पाते हैं। हालाँकि, इस धारा में निर्दिष्ट घटनाओं के बारे में संबंधित न्यायालय द्वारा और संबंधित प्राधिकारी द्वारा इस निर्णय में दी गई व्याख्या के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(xiii)(क) जिन कारणों से *निकेश ताराचंद शाह* मामले में इस न्यायालय ने 2002 अधिनियम की

धारा 45(1) की दोहरी शर्तों को, जैसा कि वह प्रासंगिक समय पर था, किसी भी तरह से असंवैधानिक घोषित करने से विधान पुस्तिका से उपबंध किसी रूप में नहीं विलोपित होगा; और संसद को इस न्यायालय द्वारा बताई गई खामी को ठीक करने के लिए अवसर प्राप्त था ताकि उसी अधिनियम को मौजूदा रूप में पुनर्जीवित कर सकें।

(ख) हम *निकेश ताराचंद शाह* की टिप्पणियों से सहमत नहीं हैं, जिसके द्वारा *करतार सिंह* मामले में संविधान पीठ के निर्णय से भिन्न व्याख्या की गई है; और अन्य टिप्पणियों जिसके द्वारा धनशोधन के अपराध की गंभीरता के संबंध में संसद की धारणा पर संदेह करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें यह भी शामिल है कि यह देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है।

(ग) 2002 अधिनियम की धारा 45 के रूप में उपबंध जैसा कि 2018 के संशोधन के बाद लागू है, तर्कसंगत है और 2002 अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और आशयों के साथ इसका युक्तियुक्त संबंध है और मनमानी या अतार्किकता की कमी से प्रभावित नहीं होता है।

(घ) जहाँ तक जमानत की मंजूरी के लिए प्रार्थना का संबंध है, कार्यवाहियों की प्रकृति का ध्यान रखे बिना, जिसमें 1973 संहिता की धारा 438 के अधीन या संवैधानिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को लागू करने पर भी, धारा 45 के अंतर्निहित सिद्धांत और कठोरता लागू हो सकती है।

(xiv) 1973 की संहिता की धारा 436क के लाभकारी उपबंध का आह्वान 2002 अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए अभियुक्त द्वारा लिया जा सकता है।

(xv)(क) 2002 अधिनियम की धारा 50 द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया अपराध की आय के विरुद्ध जाँच की प्रकृति की है और अभियोजन आरम्भ होने के लिए “जाँच” शब्द का अर्थ सख्त रूप से नहीं होगा; और 2002 अधिनियम (धारा 48 से संदर्भित) में प्राधिकार पुलिस अफसर नहीं हैं।

(ख) 2002 अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों द्वारा अभिलिखित कथन भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) या अनुच्छेद 21 द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं।

(xvi) 2002 अधिनियम की धारा 63 में गलत सूचना देने या सूचना देने में असफलता के संबंध में दंड का प्रावधान है जो मनमानेपन की कमी से पीड़ित नहीं है।

(xvii) 2002 अधिनियम की अनुसूची में किसी विशेष अपराध को शामिल या बाहर करना विधायी नीति का विषय है; और किसी भी विधेय अपराध की प्रकृति या वर्ग का अनुसूची या उसके अंतर्गत दिए निर्देश की वैधता को प्रभावित नहीं करता है।

(xviii)(क) 2002 अधिनियम द्वारा परिकल्पित विशेष तंत्र को ध्यान में रखते हुए, ईसीआईआर को 1973 संहिता के तहत प्राथमिकी के बराबर नहीं माना जा सकता है। ईसीआईआर प्रवर्तन निदेशालय का एक आंतरिक दस्तावेज है और यह तथ्य कि अनुसूचित अपराध के संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, धारा 48 में उल्लिखित अपराध की आय द्वारा प्राप्त संपत्ति की “अस्थायी कुर्की” हेतु पूछताछ/जाँच कर “सिविल कारवाई” शुरू करने के रास्ते में नहीं आता है।

(ख) ईसीआईआर की प्रति आपूर्ति हर मामले में सम्बंधित व्यक्ति को करना आवश्यक नहीं है, यह काफी होगा यदि गिरफ्तारी के समय प्रवर्तन

निदेशालय गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करें।

(ग) हालाँकि, जब गिरफ्तार व्यक्ति को विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है तो विशेष न्यायालय स्वतंत्र है कि वह प्रवर्तन निदेशालय के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा धन-शोधन के अपराध के संबंध में उसके निरंतर कारावास की आवश्यकता के मुद्दे का उत्तर देने हेतु प्रस्तुत प्रासंगिक अभिलेखों की जाँच करें।

(xix) यहाँ तक कि जब प्राधिकरण (प्रवर्तन निदेशालय कर्मचारी) के मार्गदर्शन हेतु प्रवर्तन निदेशालय का मैन्युअल जारी किया गया जिसे आंतरिक विभागीय दस्तावेज होने पर भी प्रकाशित नहीं किया जाता है तो, विभाग को अपनी वेबसाइट पर जानकारी रखने की इच्छा को टटोलना चाहिए जो अधिनियम के तहत अधिकारियों के प्राधिकार के दायरे और उनके द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों के साथ-साथ प्राधिकरण और विशेष न्यायालय के समक्ष संबंधित व्यक्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों/उपचारों को भी व्यापक रूप से रेखांकित कर सकता है।

(xx) याचीगण अपीलिय अधिकरण की रिक्तियों के कारण होने वाले अन्याय के ऊपर व्यक्त अपने गंभीर चिंता को लिए न्यायोचित हैं। हम कार्यकारिणी पर इस सन्दर्भ में सुधारात्मक उपाय करने का दवाब डालना आवश्यक मानते हैं।

(xxi) अनुसूचित अपराध की प्रकृति के संदर्भ में दंड की आनुपातिकता के बारे में तर्क पूरी तरह से निराधार है और खारिज कर दिया गया है।”

70. यह ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि दर्ज किए गए निष्कर्षों के खंड 'घ' में माननीय उच्चतम न्यायालय ने फिर से पीएमएलए के तहत अभियोजन के

पहलू पर जोर दिया, जिसे या तो काल्पनिक आधार पर या इस धारणा के आधार पर शुरू करने या जारी रखने की अनुमति नहीं है कि एक अनुसूचित अपराध किया गया है | श्रीमान मान्यवर ने अपने निष्कर्ष को दोहराया कि जहाँ कोई व्यक्ति अंतिम रूप से डिस्चार्ज हो जाता है या अनुसूचित अपराध से उन्मुक्त हो जाता है या जहाँ विधेय अपराध से संबंधित मामला खारिज हो जाता है, वहाँ धनशोधन का कोई भी अपराध नहीं बनेगा।

71. इस न्यायालय को प्रकाश इंडस्ट्रीज-I के मामले में एक अनंतिम कुर्की आदेश (PAO) से निपटने का अवसर मिला था जो गलत बयानी के आधार पर कोयला ब्लॉक आवंटन प्राप्त करने के इसी तरह के आरोपों के आधार पर किया गया था। धनशोधन और उसकी पूर्वापेक्षाओं के अपराध पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया और पाया कि भले ही धारा 3 अपनेआप में ही एक स्वतंत्र अपराध का सृजन करती है, जिससे संभवतः यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि धनशोधन का अपराध तब भी बना रहेगा, भले ही किसी व्यक्ति को अनुसूचित अपराध से संबंधित कार्यवाहियों में बरी कर दिया गया हो। इस प्रश्न पर विचार करते हुए न्यायालय ने प्रकाश इंडस्ट्रीज-I मामले में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया कि:-

*“49. हाल ही में एक न्यायालय के विद्वान न्यायधीश ने प्रवर्तन निदेशालय बनाम गगनदीप सिंह मामले में निम्नलिखित सिद्धांतों को बनाया है:-*

*“30. हालाँकि, धनशोधन के अपराध का मूल्यांकन उसे पृथक करके नहीं किया जा सकता परन्तु इसे पूरक उपबंधों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो कि, अधिनियम की अनुसूची में दिए अपराध हैं।*



पी.एम.एल.ए. के उपरोक्त उपबंधों के अवलोकन मात्र से पी.एम.एल.ए. के तहत अनुसूचित अपराध के होने और उसके परिणामस्वरूप धनशोधन के अपराध के बीच पूर्ण अपेक्षित संबंध को स्थापित करता है। धारा 3 की भाषा स्पष्ट रूप से यह इंगित करती है कि धनशोधन के अपराध में शामिल धन आवश्यक रूप से अपराध की आय है, जो अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध अपराधों के संबंध में एक आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न होता है। इसलिए, पी.एम.एल.ए. की धारा 3 के अपराध हेतु आवश्यक अवयव होते हैं, पहला अपराध की आय, दूसरा, अधिनियम की अनुसूची में विधेय अपराधों से उत्पन्न अपराध की आय और तीसरा, धनशोधन का अपराध करते समय ज्ञान के होने का तथ्य। वर्तमान मामले में, कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में, प्रत्यर्थागण को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21/25/29 और भा.दं.सं. की 420/468/471/120ख के तहत अपराधों के लिए आरोपित किया गया था, हालाँकि, अमृतसर के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने माना कि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री और साथ ही प्रत्यर्थागण के विरुद्ध लगाए गए आरोप मुख्य रूप से संदेह के आधार पर लगाए गए हैं। भले ही कुछ सामग्री, संपत्तियां व नकद बरामद और कुर्क/जब्त हुए हैं पर यह स्थापित नहीं हुआ है कि ऐसी संपत्तियां मादक पदार्थों की तस्करी कर अपराध की आय द्वारा प्राप्त की गई थीं।

31. इस विचार को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थागण के खिलाफ कोई अनुसूचित अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था, इस न्यायालय ने पाया कि प्रथमदृश्यता उनके खिलाफ पी.एम.एल.ए. में एक जाँच और कार्यवाही स्थापित नहीं की जा सकती थी।

41. मामले के तथ्यों, दी गई प्रस्तुतियों, अभिलेख पर दस्तावेजों, उद्धृत निर्णयों और आक्षेपित आदेश की अंतर्वस्तु को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस तर्क में बल पाता है कि चूंकि पी.एम.एल.ए. की अनुसूची में कोई विनिर्दिष्ट अपराध प्रत्यर्थागण के खिलाफ नहीं किया पाया गया था, इसलिए पी.एम.एल.ए. की धारा 3/4 के तहत भी अपराध उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि किसी अनुसूचित अपराध में शामिल होना धनशोधन के अपराध के लिए एक पूर्व आवश्यकता है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप को स्थापित नहीं कर पड़े और जो सामग्री प्रस्तुत की गई थी वह उनके विरुद्ध आरोप स्थापित करने के लिए काफी नहीं थे। इसके अलावा, आरोपों की विरचना के चरण पर, विद्वान अतिरिक्त सत्र

न्यायाधीश को केवल इस आशंका से संतुष्ट होना था कि क्या अभियुक्त व्यक्तियों ने साक्ष्य के व्यापक मूल्यांकन के बिना, उनके समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर अपराध किए थे। चूंकि अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिससे प्रत्यर्थागण पर संदेह की छाया पड़ती हो, इसलिए उन्हें अपराधों से उचित रूप से बरी कर दिया गया था। इसलिए, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश में कोई स्पष्ट त्रुटि, घोर अवैधता या अनौचित्य नहीं पाया गया है।

**59.** इस प्रकार यह न्यायालय इस निर्णायक निष्कर्ष पर पहुँचता है कि भले ही धनशोधन के अपराध को सही ढंग से एकल अपराध के रूप में वर्णित किया जा सकता है - धन शोधन के आरोपों के लिए पूर्व शर्त होने के अर्थ में अकेला अपराध अपने आप में उन कार्यवाहियों में अधिकार क्षेत्र नहीं डालेगा, जो किसी सक्षम अदालत के यह निर्णय देने के बाद भी अधिनियम के तहत शुरू की जा सकती हैं कि कोई भी आपराधिक अपराध नहीं किया गया है या ऐसी स्थितियां जहाँ प्राथमिक आरोपी को अपराध से बरी कर दिया गया है या कार्यवाही रद्द कर दी गई है। जब धनशोधन के अपराध को एकल अपराध के रूप में वर्णित किया जाता है, तो यह बताने की कोशिश की जाती है कि अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसका अलग से मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तथापि, न्यायालय स्वयं को यह अभिनिर्धारित करने में असमर्थ पाता है कि विनिर्दिष्ट अपराध के संबंध में आरोप अभिखंडित किए जाने या यह निष्कर्ष निकालने पर कि कोई अपराध नहीं बनता है, अभियुक्त को सक्षम न्यायालय द्वारा उन्मोचित किए जाने के पश्चात् भी धनशोधन का आरोप बना रहेगा। विधेय अपराध न केवल धनशोधन के आरोप के लिए ट्रिगर का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि वह बहुत ही नींव बनाता है जिस पर आरोप लगाया जाता है। धनशोधन के आरोप का पूरा ढांचा इस आरोप पर खड़ा किया जाता है कि किसी अपराध को अंजाम दिया गया है, इस तरह की गतिविधि से अपराध की आय हुई है और दागी संपत्ति को बेदाग बताया गया है। तथापि, एक बार गुण के आधार पर यह पाया जाता है कि अभियुक्त ने किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं किया था, तो संपत्ति को कानूनी रूप से अपराध की आय के रूप में नहीं माना जा सकता है या इसे आपराधिक गतिविधि से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

72. प्रकाश इंडस्ट्रीज-1 के मामले में, न्यायालय के विचार के लिए एक तर्क यह था कि धनशोधन का निर्धारण उन तथ्यों से उद्भूत व पैदा होता है जो उस समय हुए थे जब भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120ख को सूचीबद्ध अपराधों के रूप में शामिल नहीं किया गया था। उपरोक्त के आधार पर, यह तर्क दिया गया था कि पीएमएलए के तहत कार्यवाही शुरू करना संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन था। पूर्वोक्त प्रस्तुतीकरण पर विचार करते समय इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था:-

“64. वर्तमान मामले के तथ्यों में अनुच्छेद 20(1) के आधार पर संबोधित चुनौती का मूल्यांकन करते हुए, न्यायालय इस तथ्य को भी ध्यान में रखता है कि जिस अधिनियम से हम संदर्भित हैं, वह धनशोधन के कार्यों को दंडित करता है। यह दंड संहिता के तहत क्रमबद्ध या निर्धारित अपराध के लिए अलग से सजा का सृजन नहीं करता है। अधिनियम विधेय अपराध को दंडित नहीं करता है। वह अपराध केवल धनशोधन के आरोप लगाने के लिए आधार है। निर्विवाद रूप से, धनशोधन का अपराध एक विधेय अपराध के किए जाने पर निर्भर करता है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक लाभ प्राप्त या लिया जा सकता है। इसका मूल उद्देश्य उन लाभों को जब्त करना है जो आपराधिक गतिविधि और अनुसूचित अपराध के परिणामस्वरूप प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप अर्जित धन और परिसंपत्तियों की बुराई से लड़कर उसे दंडित करना है। तदनुसार, जहाँ एक ओर किसी व्यक्ति के खिलाफ धनशोधन के आरोप के लिए विधेय अपराध का होना अनिवार्य अपराध के रूप में वर्णित किया जा सकता है, वहीं यह एक ऐसा अपराध है जो अधिनियम के कारण स्वतंत्र रूप से सृजित किया गया है, जो 01 जुलाई, 2005 को लागू किया गया था। यह भी ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि विभिन्न कानूनों के तहत सृजित विभिन्न अपराधों के संबंध में दंड, जो अनुसूची में शामिल है जो 1 जुलाई 2005 से पहले अस्तित्व में थे, लेकिन धारा 3 में वर्णित धनशोधन का अपराध केवल उसी तारीख को अस्तित्व में आया। 1 जुलाई 2005 से पहले, निर्विवाद रूप से कोई कानून लागू नहीं था जिसने धन शोधन के लिए अपराध का कानूनी रूप से निर्माण या निर्धारित

किया और प्रत्यर्थागण को आपराधिक गतिविधि से प्राप्त अपराध की आय को कुर्क करने और जब्त करने के लिए सशक्त किया।

65. संविधान के अनुच्छेद 20(1) की रूपरेखा और अधिनियम की अंतर्निहित भावना को रेखांकित करने के बाद, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि धारा 3 में परिभाषित धनशोधन की कोई भी गतिविधि जो अधिनियम के प्रवर्तन से पहले की गई हो और पूरी की गई हो, अधिनियम के तहत कार्रवाई के अधीन नहीं किया जा सकता है। हालाँकि और उसी समय पर, यह भी अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि दिनांक 01 जुलाई 2005 के बाद किए गए धनशोधन का अपराध भी अधिनियम की कठोरता से गुज़रेगा इसके बावजूद कि विधेय अपराध उस दिनांक से पूर्व किया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 3 धनशोधन के लिए अपराध का सृजन करती है। न तो वह प्रावधान और न ही अधिनियम विधेय अपराध के मुकदमे से संबंधित है। इस प्रकार, कोई भी गतिविधि या प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति द्वारा 01 जुलाई, 2005 के बाद की जा सकती है, जिसके संदर्भ में अपराध की आय अर्जित की जाती है, कब्जे में ली जाती है या उपयोग की जाती है और/या बेदाग संपत्ति के रूप में पेश की जाती है, वह अभी भी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगी। यह इसलिए है क्योंकि यह अधिनियम के लागू होने के बाद की हुई धनशोधन की गतिविधि है जिस पर गौर किया जाना है ना कि विधेय अपराध। न्यायालय धारा 3 के स्पष्टीकरण (ii) को भी ध्यान में रखता है जो स्पष्ट करता है कि धनशोधन एक सतत गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कि व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अपराध की आय को छिपाकर, कब्जे, अधिग्रहण या उपयोग और/या उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करके अपराध की आय का आनंद लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि “आनंद लेने” शब्द का उपयोग जानबूझकर अपने उपयोग को प्रभावित आदेश और व्यक्त आदेश के लिए किया गया है वर्तमान और निरंतर स्वरूप। अतः, स्पष्टीकरण (ii) के पठन से यह भी स्पष्ट है कि अधिनियम के अधीन आरंभ की जा सकने वाली कार्रवाई का उद्देश्य आपराधिक रूप से अर्जित लाभों और मुनाफों और ऐसी गतिविधियाँ और प्रक्रियाएँ जो धनशोधन के विवरण का उत्तर देने वाली हो, जो अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् हुआ हो या उसमें लिप्त हो। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि किसी विधेय अपराध का होना कार्रवाई आरंभ करने का आधार होगा, किंतु वह तारीख जिस पर ऐसा

अपराध किया गया हो, वह बहुत कम महत्वपूर्ण होगी बशर्ते कि धनशोधन की कोई गतिविधि अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् की गई हो।

67. ए.के. शमसुद्दीन मामले में केरल उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रासंगिक मत व्यक्त किया:-

“6. अधिनियम के पूर्वोक्त उपबंधों से यह स्पष्ट है कि हालाँकि इस अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए किसी अनुसूचित अपराध का किया जाना एक बुनियादी पूर्व शर्त है, लेकिन धनशोधन का अपराध सूचीबद्ध अपराधों से स्वतंत्र है। अधिनियम की योजना इंगित करती है कि यह केवल सूचीबद्ध अपराध द्वारा अर्जित धन के शोधन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, अधिनियम केवल अपराध की आय की प्रक्रिया या गतिविधि से संबंधित है जिसमें उसे छिपाना, कब्जा, अधिग्रहण या उपयोग शामिल है। संविधान का अनुच्छेद 20(1) अपराध करने के समय लागू कानून के उल्लंघन को छोड़कर दोषसिद्धि को निषेध करता है। दूसरे शब्दों में, अधिनियम के लागू होने से पहले अनुसूचित अपराध करके अर्जित धन के शोधन के लिए अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन नहीं किया जा सकता। इसलिए अभियोजन के संदर्भ में अनुसूचित अपराधों के किए जाने का समय प्रासंगिक नहीं है। जो अभियोजन के संदर्भ में प्रासंगिक है वह धनशोधन की गतिविधि करने का समय है। इसलिए, इस तर्क में कोई तत्व नहीं है कि एक्सटेंशन पी.2 के अनुसार जाँच शुरू की गई थी और यह संविधान के अनुच्छेद 20(1) द्वारा प्रभावित है।”

73. संविधान के अनुच्छेद 20(1) के आधार पर तर्कों को अस्वीकार और नकारात्मक करने की कार्यवाही करते हुए, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया:-

72. न्यायालय ने यह माना कि यह तथ्य कि वह विधेय अपराध जिससे अपराध की आय में वृद्धि हुई है, वह 1 जुलाई 2005 से पहले किया गया था या इसे 1 जून 2009 को अनुसूची में शामिल किया गया था स्पष्ट रूप से निर्णायक नहीं होगा और किसी भी मामले में, उस अपराध

के किये जाने पर आधारित अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई बशर्ते कि अधिनियम के लागू होने के बाद धनशोधन का कार्य कथित रूप से किया गया हो, इसे संविधान के अनुच्छेद 20 (1) का उल्लंघन नहीं माना जा सकता या समझा जा सकता है। जब तक धन शोधन का कार्य अधिनियम के प्रवर्तन के बाद कथित रूप से किया गया है, तब तक इसके संबंध में शुरु की गई कार्रवाई स्पष्ट रूप से टिकाऊ होगी।

73. जैसा कि इसमें ऊपर बताया गया है, इस अधिनियम का उद्देश्य धनशोधन का अपराध है। यद्यपि विनिर्दिष्ट अपराध का किया जाना धन शोधन के अभिकथन के प्रतिवादी शर्त हो सकती है, केवल धनशोधन के क्रियाकलाप ही अधिकार क्षेत्र के अधीन आरंभ की गई अनुसूची की विधिमान्यता का अवधारण करेंगे।”

यह ध्यान देना उचित होगा कि पीएमएलए की धारा 3 से संदर्भित अपराध के लिए कार्यवाहियों का खींचना और अनुसूची में विधेय अपराधों को शामिल करने से पहले तथ्यों और आरोपों पर आधारित वे कार्यवाहियां ऐसी थीं जो **विजय मदनलाल** मामला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी नकारात्मकता की गई थी।

74. **प्रकाश इंडस्ट्रीज-1** में विचाराधीन एक अतिरिक्त प्रश्न यह था कि क्या कोयला ब्लॉक आवंटन स्वतंत्र रूप से धारा 2(1)(प) के दायरे में आ सकता है और अपराध से प्राप्त आय का गठन कर सकता है। उक्त प्रश्न पर विचार करते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था:-

**“1. क्या कोयला आवंटन अपराध से हुई आय है?**

91. इस प्रश्न से निपटने से पहले आवश्यक तथ्यों को दोहराना उचित होगा। जैसा कि इस निर्णय के परिचय के भाग में तथ्यों के अभिलेख से स्पष्ट है कि इन दोनों रिट याचिकाओं के तथ्य घटनाओं की श्रृंखला द्वारा बुने गए

हैं, वे मुख्य रूप से जनहित याचिका के पक्ष में चोटिया कोयला ब्लॉक के आवंटन के संबंध में सीबीआई द्वारा की गई आपराधिक जाँच और उस आवंटन के अनुसरण में निकाले गए कोयले के गलत उपयोग और डायवर्जन और अपराध की आय के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने की पृष्ठभूमि में उत्पन्न होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मनोहर लाल शर्मा मामले में 24 सितंबर 2014 को उपरोक्त आवंटन को रद्द कर दिया था। हालांकि, इस निर्णय से काफी के पहले सीबीआई ने 07 अप्रैल, 2010 को प्राथमिकी आरसी/एसी2/2010/A0001 दर्ज की थी, जिसमें कोयला आवंटन प्राप्त आदेश के साथ-साथ उक्त ब्लॉक से निकाले गए कोयले का मार्ग परिवर्तन आदेश के लिए जनहित याचिका द्वारा गलत प्रस्तुतीकरण का आरोप लगाया गया था। विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. ने 2012 की सी.सी. सं.3 में जनहित याचिका और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोप विरचित किए। उस आरोप-पत्र को इस न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका द्वारा चुनौती दी गई थी जिसने 5 सितंबर 2014 को प्राथमिकी के साथ-साथ प्रस्तुत परिणामी आरोप-पत्र को भी रद्द कर दिया था। यद्यपि न्यायालय का वह निर्णय 2015 के वि.अनु.या. (आप.) 2576/2015 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय वस्तु बनाता है जो वर्तमान में लंबित है, इस न्यायालय के निर्णय पर न तो रोक लगाई गई है और न ही स्थगन में रखा गया है।

**92.** प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू की गई और इन रिट याचिकाओं में आक्षेपित की गई कार्यवाहियाँ सीबीआई द्वारा 02 दिसंबर, 2016 को दर्ज की गई दूसरी प्राथमिकी से शुरू होती है और इसे

**आर.सी.221/2016/ई0035** के रूप में दर्ज किया गया था। दूसरी प्राथमिकी के संदर्भ में की गई जाँच का परिणाम 23 जनवरी 2020 को सक्षम न्यायालय के समक्ष एक आरोप पत्र सं. 1/2020 दायर करने के रूप में सामने आया है, जिसमें दंड संहिता की धारा 120ख के सहपठित 420 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया है। दूसरे आरोप-पत्र में मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया है कि याचीगण ने कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए अपने आवेदन के समर्थन में झूठे और जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए, बीआईएफआर के समक्ष लंबित कार्यवाही से संबंधित तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और इस प्रकार धोखे और बेईमानी से कोयला आवंटन प्राप्त किया। जैसा कि इसमें पहले उल्लेख किया गया है, उपर्युक्त आरोप-पत्र और उससे सम्बंधित कार्यवाही (विशेष अनुमति अपील आप. सं. 656-657/2022) को चुनौती देने का विषय-वस्तु बनाती है जिसमें 6 मई 2022 के एक आदेश द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। आक्षेपित कार्यवाहियाँ दूसरे आरोप-पत्र से उत्पन्न होती हैं और जनहित याचिका के संस्थानों और सहयोगी संस्थानों द्वारा प्राप्त सम्पत्ति के अस्थायी कुर्की से सम्बंधित हैं। यहां इस बात पर प्रकाश डालना आवश्यक है कि दूसरा आरोप-पत्र खुद को उन घटनाओं तक सीमित रखता है जो 4 सितंबर 2003 तक हुई थीं जब कोयला ब्लॉक जनहित याचिका को आवंटित किया गया था, आक्षेपित कारण बताओ नोटिस और अनंतिम कुर्की आदेश उस तारीख से पहले और बाद में अर्जित संपत्तियों को कवर करते हैं।

**93.** दूसरे आरोप-पत्र से पठन से पता चलता है कि याचीगण के खिलाफ लगाए गए प्रमुख आरोप कोयला



ब्लॉक के आवंटन के लिए उनके आवेदन के समर्थन में झूठे और जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने के हैं। यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा आवंटन प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत, झूठे और भ्रामक विवरण प्रदान किए गए थे। पूर्वोक्त आरोपों पर भा.दं.सं. की धारा 420 और 120ख से संबंधित अपराध करने का आरोप आधारित है। हालांकि यह न्यायालय का काम नहीं है कि वह इस बारे में टिप्पणी करे या कोई निष्कर्ष निकाले कि क्या उन अपराधों का किया जाना उपर्युक्त आरोपों से प्रमाणित है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह माना गया था कि उक्त आरोप किसी अनुसूचित अपराध और आपराधिक गतिविधि का गठन करते हैं, क्या आवंटन अधिनियम की धारा 2(1)(प) में परिभाषित अपराध की आय को दर्शाता या समझा जा सकता है।

**94.** श्री सिब्बल के इस कथन की सराहना के लिए कि आवंटन पत्र अधिनियम की धारा 2(1)(प) या 3 के दायरे में नहीं आता है, कोयला ब्लॉकों के आवंटन की प्रणाली के बारे में संक्षेप में बताना उचित होगा। *मनोहर लाल शर्मा* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन की प्रणाली की व्यापक समीक्षा की और बताया कि प्रक्रिया में निम्नलिखित कदम शामिल हैं। आवंटन पत्र ने प्राप्तकर्ता को पूर्वक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे की मंजूरी के लिए उपयुक्त राज्य सरकार को आवेदन करने में सक्षम बनाया, जो इस बात पर निर्भर करता है कि ब्लॉक की पहले खोज की गई थी या नहीं। इसके बाद आवेदक को विधिवत रूप से अनुमोदित एक खनन योजना की आवश्यकता थी। उस योजना की प्राप्ति पर राज्य सरकार को केंद्र की पूर्व सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी जिसके बाद पर्यावरणीय मंजूरी

और अन्य सांविधिक अनुमतियां प्राप्त करने पर उस सरकार द्वारा एक खनन पट्टा प्रदान किया जाएगा। आवंटन पत्र के आधार पर आबंटित किए गए अधिकार की प्रकृति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *मनोहर लाल शर्मा* में निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया गया:-

“75. हम विद्वान महान्यायवादी के इस कथन को प्रतिग्रहण करना करने में असमर्थ हैं कि कोयला ब्लॉक का आवंटन उदारता प्रदान करने के बराबर नहीं है। यह सही है कि आवंटन पत्र अपने आप में कोयला मिलने या खनन करने के लिए आवंटी को अधिकृत नहीं करता है, लेकिन फिर भी आवंटन पत्र आवंटी को पूर्वक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के लिए आवेदन करने का बहुत महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। हस्तक्षेप करने वालों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी आवंटन पत्र में आवंटियों को उनके अंतिम उपयोग संयंत्रों के लिए कोयला खानों का पट्टा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। बैंक वित्तीय संस्थानों, भूमि अधिग्रहण प्राधिकरणों, राजस्व प्राधिकरणों और विभिन्न अन्य संस्थाओं और राज्य सरकारों, जो अंततः पूर्वक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा देते हैं, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार द्वारा जारी आवंटन पत्र के आधार पर कार्य करते हैं। जैसा कि पहले देखा गया है, केंद्र सरकार द्वारा कोयला ब्लॉक के आवंटन के परिणामस्वरूप लाभार्थी का चयन होता है जो लाभार्थी को राज्य सरकार से पूर्वक्षण लाइसेंस और/या खनन पट्टा प्राप्त करने का हकदार बनाता है। जाहिर है, कोयला ब्लॉक का आवंटन उदारता प्रदान करने के बराबर है।

76. विद्वान महान्यायवादी ने इस स्थिति को स्वीकार किया कि आवंटन पत्र की अनुपस्थिति में, सीएमएन अधिनियम की धारा 3(3) के तहत पात्र व्यक्ति भी पूर्वक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे की मंजूरी के लिए राज्य सरकार को आवेदन नहीं कर सकता है। कोयला खदान का पूर्वक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने का अधिकार आवंटन पत्र पर निर्भर करता है। अतः आवंटन पत्र आबंटिती के पक्ष में एक मूल्यवान अधिकार प्रदान करता है। अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के आवंटन को दोहरी संवैधानिक कसौटियों का सामना करना पड़ता है, पहला, राज्य में निहित प्राकृतिक संसाधनों का वितरण आम लोगों की भलाई के लिए है और दूसरा कि आवंटन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है।”

95. इस प्रकार आवंटन-पत्र को सरकार द्वारा एक खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए उसके धारक को हकदार बनाने और इसके परिणामस्वरूप एक विशेष ब्लॉक में आने वाले खनिजों को प्राप्त करने के अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। इस प्रकार आवंटन पत्र का धारक खनिज प्राप्त करने के लिए पट्टे या अनुमति का हकदार बन गया, जो हमेशा राज्य में निहित था और जारी रहा। खनन पट्टे में उस राज्य द्वारा अधिकार प्रदान किया गया है जिसके स्वामित्व में भूमि है और उस संपत्ति का उपभोग करने के लिए खनिज भंडार, पट्टे में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर खनिज निकालने के लिए। **कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015** के प्रावधानों के तहत पट्टेदार की स्थिति अनिवार्य रूप से भूमि के स्वामित्व और खनिज भंडार के साथ समान बनी हुई है, जो उपयुक्त सरकार में निहित है और अकेले खनिज उत्खनन के लिए पट्टा प्राप्त करने का अधिकार है।

कोयला ब्लॉकों के आवंटन की प्रक्रिया और उनके आवंटन पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि किसी कोयला ब्लॉक के आवंटन को *निश्चित रूप से* न तो संपत्ति के रूप में समझा जा सकता है और न ही संपत्ति पर अधिकार प्रदान किया जा सकता है। यह ध्यान देना प्रासंगिक हो जाता है कि 'संपत्ति' अभिव्यक्ति को धारा 2(1)(v) द्वारा प्रत्येक विवरण की संपत्ति या संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यह आवंटन केंद्र द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके धारक को खनन पट्टे की मंजूरी के लिए संबंधित राज्य सरकार को आवेदन करने में सक्षम बनाता है। आवंटन को अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। यह इसका अनुवर्ती और परिणामी उपयोग होगा। आवंटन, मंजूर किए गए पट्टे का कार्यकरण, ऐसे प्रचालनों से राजस्व का सृजन और अनुचित रूप से प्राप्त किए गए मौद्रिक लाभों का निवेश जो संभवतः धनशोधन का आरोप लगा सकते हैं। यह वित्तीय लाभ है जो प्राप्त और मिल सकता है या ऐसे आवंटन से उत्पन्न आय जिसे धारा 2(1)(प) के दायरे में माना जा सकता है।

**97.** इसलिए यह स्पष्ट है कि यह अधिनियम अनिवार्य रूप से उन संपत्तियों और परिसंपत्तियों को जब्त करने का प्रयास करता है जो आपराधिक गतिविधि से प्राप्त की जा सकती हैं और जिन्हें उन प्रक्रियाओं द्वारा छिपाया और वैध ठहराया जा सकता है जिन्हें प्लेसमेंट, लेयरिंग और एकीकरण के रूप में वर्णित किया जाता है। यह अधिनियम आपराधिक गतिविधि से प्राप्त या व्युत्पन्न मौद्रिक लाभ को जब्त करने के उद्देश्य से प्रेरित है। जब इस दृष्टि से देखा जाता है तो यह स्पष्ट है कि इस

आवंटन को संभवतः स्वतः अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में नहीं देखा या समझा जा सकता है। यह उस आवंटन के उपयोग द्वारा प्राप्त और व्युत्पन्न अवैध लाभ और उन लाभों को, संपत्ति या संपत्ति में छिपाना या परिवर्तित करना है जिसे संभवतः परि-धनशोधन के कार्य के रूप में समझा जा सकता है।

### ज. आवंटन का अपराध की आय नहीं होने का प्रभाव

98. धनशोधन का सर्वोत्कृष्ट तत्व आपराधिक आय की सफाई/स्पष्टीकरण और इसे संपत्ति में परिवर्तित करना है, जैसा कि धारा 2(1)(v) में परिभाषित किया गया है। इसमें ऊपर दिए गए कारणों से न्यायालय इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवंटन अपराध के आगम का गठन नहीं करेगा। इसलिए यदि जाँच का दायरा केवल इन घटनाओं के क्रम के इस बिंदु तक सीमित किया जाता है [और जैसा कि न्यायालय को दूसरे आरोप-पत्र के दायरे के आलोक में करने के लिए अधिदेशित किया गया है], तो यह स्पष्ट है कि धनशोधन का आरोप बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं होगा। यह इसलिए कि कोयला ब्लॉक का आवंटन केवल खनिज निकालने के अधिकार प्राप्त करने की अनुमति का प्रस्तुतीकरण करता है। इसके बाद इसका उपयोग, कोयले का निष्कर्षण, धन का उत्पादन, इसका निवेश, संपत्तियों का अधिग्रहण सभी कार्रवाई हैं जो इसके बाद हुईं और 4 सितंबर 2003 के बाद की अवधि से संबंधित हैं। आरोप-पत्र जो आक्षेपित कार्यवाही का आधार बनता है खुद को केवल कोयला ब्लॉक के आवंटन तक की गतिविधियों तक सीमित रखता है। न्यायालय इस निर्विवाद तथ्य को भी ध्यान में रखता है कि आवंटन 4 सितंबर 2003 को किया गया था। उस समय और तारीख

तक, याचीगण के खिलाफ अपराध से प्राप्त आय का कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

**99.** 4 सितंबर 2003 को कोयला ब्लॉक के आवंटन तक की घटनाओं पर आधारित अधिनियम के आवाहन को बनाए रखने के लिए और आगे नहीं बढ़ने के लिए, प्रत्यर्थी के लिए यह स्थापित करना अनिवार्य था कि अपराध की आय उस तारीख को अर्जित या प्राप्त की गई थी ऐसा करने में वे बुरी तरह विफल रहे हैं। जैसा कि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है, अपराध की आय के सृजन के संबंध में आरोपों का विस्तार 4 सितंबर 2003 के बाद की गतिविधियों और घटनाओं से संबंधित है। धारा 2(1)(प) के दायरे के भीतर अधिनियम के तहत कार्यवाहियों की वैधता का मूल्यांकन करने के प्रयोजनों के लिए रिकॉर्ड किए गए कारणों का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

**100.** इससे न्यायालय इस अखंड निष्कर्ष पर पहुंचती है कि एक बार जब यह पाया जाता है कि कोयले का आवंटन अपराध की आय की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है, तो अधिनियम के तहत एक विपरीत धारणा के आधार पर शुरू की गई कार्यवाही भी आवश्यक रूप से बिखर जाएगी और विघटित हो जाएगी। उपर्युक्त निष्कर्ष एक आवश्यक अनुक्रम के रूप में न्यायालय में यह निष्कर्ष निकालता है कि आवंटन “अपराध की आय” का गठन नहीं करेगा।”

75. धारा 3 और कोयले के आवंटन के मुद्दे पर आगे कार्यवाही करते हुए, न्यायालय ने **प्रकाश इंडस्ट्रीज-1** में कानूनी स्थिति को निम्नानुसार स्पष्ट किया:-

### **ठ. “धारा 3 और कोयले का आवंटन**

**106.** अधिनियम के अधीन आरंभ की गई कार्यवाहियों की वैधता का तब धारा 3 में प्रयुक्त भाषा की पृष्ठभूमि में परीक्षण किया जा सकता है। धारा 3 के अधीन अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि इसका अर्थ अपराध के आगमों को छिपाने, कब्जे, अर्जन या उपयोग से संबंधित किसी प्रक्रिया या क्रियाकलाप में लिप्त होना या सहायता करना और/या इसे अदूषित संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना है। धारा 3 की रिश्ति के भीतर आने के लिए गतिविधि या प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो अपराध के आगम से जुड़ी हो। न्यायालय ने पहले ही पाया है कि आवंटन “अपराध की आय” की अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आएगा जैसा कि धारा 2(1)(प) में उपवर्णित है। धारा 3 के प्रवर्तन में आने की अनिवार्यता अपराध के आगमों की विद्यमानता है। धन शोधन की गतिविधि या प्रक्रिया, जो धारा 3 के तहत अपराध का एक आवश्यक तत्व है, अपराध की आय से स्थायी और अक्षम्य संबंध है। किसी आपराधिक अपराध के किए जाने की अनुपस्थिति में, अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाहियों की नींव निश्चित रूप से गिर जाएगी और स्वयं नष्ट हो जाएगी। इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक आपराधिक गतिविधि धारा 3 के दायरे में नहीं आती है। जबकि आपराधिक गतिविधि दंड संहिता के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध के किए जाने का प्रस्तुतीकरण करता है या साक्ष्य देता है, यह केवल अपराध के आगम के धनशोधन से संबंधित क्रियाकलाप है जो अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों की विषय-वस्तु बना सकता है। हालाँकि, एक बार जब ये पाया जाता है कि आवंटन अधिनियम के तहत परिभाषित अपराध की आय की अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आएगा तो धनशोधन का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होगा। पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 3 लागू होगा।

107. न्यायालय ने आगे यह नोट किया कि आवंटन और उससे प्राप्त या अर्जित की गई संपत्तियों से और उसके अनुसरण में सृजित राजस्व ही अपराध से प्राप्त आय की अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर आ सकता है। उन पैसों या अर्जित संपत्तियों को धारा 3 के दायरे में आता हुआ कहा जा सकता है, जब इन्हें छिपाया गया, रखा गया या उपयोग किया गया और/या उसके बाद बेदाग के रूप में अनुमानित/दावा किया गया। वह गतिविधि या प्रक्रिया जो ऊपर पाई गई है, वर्तमान आरोप-पत्र की विषय वस्तु नहीं है और किसी भी तरह से वे आरोप जहाँ तक वे पहले आरोप-पत्र में शामिल थे, पहले से ही इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं। किसी भी हालत में कोयला ब्लॉक का आवंटन अपने आप में धनशोधन नहीं माना जा सकता है”

76. यहां रूककर यह बताना प्रासंगिक होगा कि प्रकाश इंडस्ट्रीज-1 में अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) कोयला ब्लॉक का आवंटन प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत प्रस्तुतीकरण के आरोपों पर आधारित था। यहां कही बात के समान, यह कोयला ब्लॉक आवंटन प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए कथित रूप से किया गया गलत प्रस्तुतीकरण था जिसके कारण पीएओ पारित किए गए। उस विशेष मामले में कोयला ब्लॉक आवंटन का उपयोग खनिजों के खनन और निष्कर्षण के उद्देश्यों के लिए भी किया गया था। इस प्रकार निकाले गए कोयले और उसके मूल्य को अपराध की आय के रूप में माना गया। हालांकि, और बाद में, आवंटन के आधार पर कोयले की निकासी और ऐसी गतिविधियों से प्राप्त आय से संबंधित आरोप पत्र को रद्द कर दिया गया। इस पृष्ठभूमि में



न्यायालय से इस बात पर विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या पीएमएलए और पीएओ को केवल गलत प्रस्तुतीकरण या तथ्यों को छिपाकर प्राप्त आवंटन-पत्र के आधार पर बनाए रखा जा सकता है।

77. न्यायालय ने **प्रकाश इंडस्ट्रीज-1** में प्रत्यर्थी के विरुद्ध पाया और अभिनिर्धारित किया कि कोयले के आवंटन से संभवतः अपराध का आगम गठित नहीं किया जा सकता। यह निम्नलिखित निष्कर्षों से स्पष्ट है जो अनुच्छेद 117 में दर्ज किए गए हैं:-

**“ब.** कोयला के आवंटन को संभवतः अपराध की आय के रूप में नहीं देखा जा सकता है। उस दस्तावेज़ ने उसके धारक को एक खनन पट्टा प्राप्त करने में सक्षम बनाया। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि कोयले का आवंटन अधिनियम के तहत संपत्ति है। यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम मूल्यतः इस सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों को जब्त करने की माँग करता है जो आपराधिक गतिविधि द्वारा प्राप्त है और जिसे फिर छिपाया जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह केवल लाभ है जो आवंटन के उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है जिसे संभवतः अपराध की आय के रूप में देखा जा सकता है।

**भ.** आपराधिक गतिविधि से प्राप्त होने वाले लाभ को छिपाया जा सकता है या कलंकित होने का अनुमान लगाया जा सकता है, जो अधिनियम के तहत अपराध का विषय वस्तु बन सकती है। जब इसका उपयोग किया जाता था तभी अवैध लाभ का प्रश्न उठता था।

**म.** आक्षेपित कार्यवाही दूसरे आरोप पत्र पर आधारित है जो हमें 4 सितंबर 2003 तक जाँच को प्रतिबंधित करने के लिए

कहता है जब आवंटन किया गया था। इस प्रकार अधिनियम के तहत कार्यवाही उस आरोप-पत्र के दायरे से परे नहीं जा सकती है। अतः धनशोधन के अभिकथनों को उस तारीख तक केबिन में रखना होगा और बाड़ लगाना होगा। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अपराध किया गया है और 4 सितंबर 2003 को पूरा हुआ है। कोयला ब्लॉक का आवंटन अपने आप में किसी धन की प्राप्ति नहीं है। इस प्रकार, कोई भी घटना या अपराध जो कथित रूप से उस तारीख के बाद किया गया हो, स्पष्ट रूप से आक्षेपित कार्यवाहियों की वैधता के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए जाँच के दायरे से परे होगा।

य. यह पहलू इस मामले में एक महत्वपूर्ण मत को प्रस्तुत करता है क्योंकि आपराधिक गतिविधि जिस पर धनशोधन का आरोप लगाया गया है और उठाया गया है, वह कोयला ब्लॉक का आवंटन है। जैसा कि बताया गया है। जैसा उपरोक्त बताया है कि कोई आरोप नहीं है कि कोई अवैध मौद्रिक लाभ 4 सितंबर 2003 को लिया गया था या प्राप्त किया गया था। यह इस तथ्य के साथ मिलकर कि आवंटन स्वयं अपराध की आय का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, न्यायालय को इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर ले जाता है कि आक्षेपित कार्यवाहियां पूरी तरह से अवैध हैं।

क क. न्यायालय ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि पहला आरोप-पत्र और जिसमें कोयला निकालने के उद्देश्य से आवंटन के आरोपों, अवैध लाभ के लिए खनन खनिज का डायवर्जन, इस प्रकार अर्जित लाभ से संपत्तियों का अधिग्रहण और अन्य संबंधित आरोपों को पहले ही रद्द कर दिया गया है। जब तक वह न्यायिक घोषणा कायम रहती है, न्यायालय को आवश्यक रूप से यह स्वीकार करना होगा कि कोई आपराधिक गतिविधि नहीं की गई थी।

**ख ख.** कारण बताओ नोटिस और कुर्की के अनंतिम आदेश इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि 4 सितंबर, 2003 के बाद आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ और उसके परिणामस्वरूप सीधे अर्जित संपत्तियां अधिनियम के तहत कुर्क की जा सकती हैं। हालांकि, और जैसा कि इस न्यायालय ने पाया है कि 4 सितंबर 2003 के बाद की गतिविधियां अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए आधार नहीं बना सकती हैं क्योंकि आरोप पत्र केवल आवंटन की तारीख तक की घटनाओं तक ही सीमित है।

चूंकि फैसले के मुख्य भाग में दर्ज कारणों से, यह पहले से ही पाया गया है कि आवंटन अपराध की आय का गठन नहीं करेगा और 5 सितंबर 2014 के न्यायालय के फैसले के आलोक में, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त था, कुर्की को अस्थिर कर दिया गया है।”

78. इस प्रकार **प्रकाश इंडस्ट्रीज-1** का मामला भी एक ऐसा मामला था जो गलत बयानी और तथ्यों को जानबुझकर छिपाकर कोयला ब्लॉक आवंटन प्राप्त करने के आरोप पर आधारित था। जबकि उक्त निर्णय में यह पाया गया कि वास्तव में कोयला ब्लॉक पर काम किया गया था और उसका उपयोग किया गया था, इस तरह की गतिविधियों से उत्पन्न आय से संबंधित आरोप पत्र रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार जिस तारीख को पी.ओ.ए किये गए थे, उस दिन जो विधेयात्मक अपराध जो था वह केवल कोयला ब्लॉक आवंटन था। यह पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में था कि इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला था कि

प्रवर्तन निदेशालय कोयला ब्लॉक आवंटन से पहले की घटनाओं और आरोपों के आधार पर संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने की प्रक्रिया के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था।

79. यह याद रखना उचित होगा कि वर्तमान मामले में, पक्षकारों को यह स्वीकार किया गया था कि कोयला ब्लॉक का उपयोग नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी की ओर से यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए आवंटन के बल पर कोई कोयला नहीं निकाला गया था। पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में श्री चावला ने हिमाचल ईएमटीए में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर अत्यधिक भरोसा किया था। हिमाचल ईएमटीए का **निर्णय एक** से अधिक कारणों से **महत्वपूर्ण है। सबसे** पहले, इसमें कुर्की आदेश भी याचिकाकर्ता के पक्ष में एक कोयला ब्लॉक के आवंटन से उत्पन्न हुआ और यह आरोप लगाया गया कि इसे तथ्यों के गलत निरूपण द्वारा सुरक्षित किया गया था। पीएओ के संदर्भ में, प्रवर्तन निदेशालय ने खनन गतिविधियों को चलाने के लिए मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के साथ मिलकर गठित विशेष उद्देश्य वाहन में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए निवेशों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की थी। न्यायालय ने पीएओ में निहित प्रमुख आरोपों का ध्यान दे लिया था और इस आशय का निर्णय लिया था कि कोयला ब्लॉक गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त किया गया था और विशेष उद्देश्य वाहन में किए गए निवेश को अपराध की आय के रूप में देखा जाएगा। हमारे उद्देश्यों के लिए, यह ध्यान दे करना प्रासंगिक होगा कि जिस एक आधार पर पीएओ पर हमला किया गया था, वह

यह था कि चूंकि कोई खनन गतिविधि नहीं की गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि कोयला ब्लॉक के आवंटन से कोई लाभ प्राप्त किया गया था। नतीजतन यह तर्क दिया गया कि यह संभवतः नहीं कहा जा सकता कि अपराध की कोई भी आय उत्पन्न हुई थी। जबकि हिमाचल ई.एम.टी.ए में न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अभिनिर्धारित किया इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया:-

"17. धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 2 (ब) की भाषा से यह स्पष्ट है कि "अपराध से आय" शब्द किसी संपत्ति को संदर्भित करता है, जो आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा "व्युत्पन्न या अभिप्राप्त" की गई है। इसलिए, अनंतिम कुर्की का आदेश पारित करने के लिए, प्रवर्तन निदेशालय के पास यह विश्वास करना के लिए कारण होना आवश्यक था कि कुर्क की जाने वाली संपत्ति किसी अनुसूचित अपराध से उत्पन्न या प्राप्त की गई थी।

18. आक्षेपित आदेश को पढ़ने से संकेत मिलता है कि ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय संभवतः यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि एच.ई.पी.एल द्वारा किया गया निवेश किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप 'व्युत्पन्न या अभिप्राप्त किए गए। आक्षेपित आदेश में प्रवर्तन निदेशालय ने एच.ई.पी.एल के विरुद्ध लगये गए आरोपों पर विस्तार से चर्चा करी है। यह भी दर्ज किया गया है कि कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन दाखिल करते समय एच.ई.पी.एल की पूंजी 5 लाख रुपये थी जो कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन दाखिल आदेश के बाद बढ़कर 7.91 करोड़ रुपये हो गई थी।

एच.ई.पी.एल के संयुक्त उद्यम घटकों अर्थात् हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ई.एम.टी.ए द्वारा किए गए निवेश को एच.ई.पी.एल द्वारा सी.जी.एल के शेयरों को खरीदने सहित आगे निवेश किया गया था। इसे किसी भी तरह से अपराध की आय नहीं माना जा सकता है प्रवर्तन निदेशालय ने एच.ई.पी.एल में किए गए निवेश को इस आरोप पर कुर्की करने की मांग की है कि इसका इस्तेमाल एक अनुसूचित अपराध के लिए किया गया है। यह आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 7 और 16 से स्पष्ट है जो नीचे दिए गए हैं:

“7. और जबकि 7.91,00,000/- रुपये का निवेश कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए दाखिल करने के बाद किया गया था और इसका उपयोग अनुसूचित अपराध के लिए किया गया है। अर्थात् धोखाधड़ी के माध्यम से कोयला ब्लॉक का आवंटन और कथित आवंटन के आधार पर खनन पट्टा प्राप्त करना। इसके अलावा, पैरा 5 (xiv) के अनुसार बैंक खातों में 1,33,700/- रुपये की बाकी और सावधि जमा संख्या 015340100288/8 दिनांकित 4.7.2017 जो 11,86,710/- रुपये है।

\* \* \* \*

16. और जबकि निम्नलिखित रकमों का अनुसूचित अपराध के लिए जाने में उपयोग किया गया है और वे धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 2 (ब) और 2 (भ) के तहत अपराध आते हैं-

क्र.सं.	राशि रुपये में	टिप्पणियां
1.	2, 45, 00, 000	मेसर्स जी.सी.एल में मेसर्स एच.ई.पी.एल द्वारा निवेश

		और कारपोरेशन बैंक भवानीपुर शाखा, कोलकाता की खाता संख्या 510101003473693 में है।
2.	11, 86, 710	सावधि जमा राशियां स. 015340100288/8 दिनांकित 04.07. 2017 के रूप में रखी
3 .	1, 26, 540	खाता सं. 015320110 0424 में
4.	7, 160	खाता सं. 015320100 2578 में
कुल मिलाकर	2, 58, 20, 410”	

19. यह धारणा कि किसी अनुसूचित अपराध को करने में उपयोग की गई कोई भी राशि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 2 (1) (ब) के तहत परिभाषित अपराध की आय के दायरे में आएगी, मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। वर्तमान मामले में, एच.ई.पी.एल के खिलाफ आरोप है कि उसने गलत बयानी के आधार पर कोयला ब्लॉक का आवंटन प्राप्त किया था। हालांकि, इस पर कोई विवाद नहीं है कि ब्लॉक से कोयले का खनन शुरू नहीं हुआ था इसलिए एच.ई.पी.एल ने कोयला ब्लॉक से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने भी ऐसा कोई कारण

नहीं बताया है जिससे यह विश्वास किया जा सके कि एच.ई.पी.एल ने कोयला ब्लॉक के आवंटन से कोई अन्य लाभ प्राप्त किया था।”

80. यह ध्यान दें योग्य है कि न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिया गया उपरोक्त निर्णय एल. पी. ए. संख्या 588/2018 रूप में एक लेटर्स पेटेंट अपील की विषय-वस्तु बनाता है जिसमें 12 दिसंबर, 2018 को खण्ड पीठ ने यह प्रावधान किया था कि जबकि निर्णायक प्राधिकरण इस मामले में आगे बढ़ सकता है, अंतिम आदेश न्यायालय की अनुमति के बिना पारित नहीं किया जाएगा। खण्ड पीठ द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश पर हिमाचल ई.एम.टी.ए द्वारा वि.अनु.या (सि) संख्या 33919-33920/2018 के माध्यम से आक्षेप किया गया था जिसमें 11 जनवरी 2019 को धारा पीठ द्वारा पारित आदेश पर गौर किया गया था कि इसमें इसके बाद उपरोक्त आदेश को स्थगित कर दिया गया था। वर्तमान में यह मामला उस चरण में है। यह ध्यान करना पर्याप्त है कि लेटर्स पेटेंट अपील के साथ-साथ विशेष अनुमति याचिका पर पारित पूर्वोक्त आदेशों के बावजूद, दिए गए प्रमुख निर्णय पर न तो रोक लगाई गई है और न ही स्थगन में रखा गया है।

81. हिमाचल एमटा से संबंधित अध्याय को **बंद करते** समय, यह देखा जा सकता है कि आरोप आवेदक द्वारा विशेष उद्देश्य वाहन में कोयला ब्लॉक के लिए किए गए निवेश से संबंधित है। उस मामले के तथ्यों में, न्यायालय इस



निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि कोई खनन गतिविधि नहीं की गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि अपराध की कोई आय व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गई थी। यह ध्यान करना पर्याप्त है कि कथित निर्णय में न्यायालय का निष्कर्ष इस तथ्य पर आधारित प्रतीत होता है कि चूंकि कोई खनन गतिविधि नहीं की गई थी, इसलिए आवेदक द्वारा किए गए निवेशों को संभवतः आपराधिक गतिविधि से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त संपत्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता था। हालांकि, जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, पी.ए.ओ न केवल कोयला ब्लॉक के आवंटन पर आधारित है, बल्कि यह भी कि कथित आवंटन के आधार पर, याचिकाकर्ता ने निवेशकों को प्रेफरेंशियल शेयरों का आवंटन करने के लिए लुभाया और यह कि इस प्रकार अभिप्राप्त धन अपराध की आय के बराबर है। उक्त सीमा तक यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामला हिमाचल एमटा से भिन्न है।

#### ज. प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी गई शक्तियां

इसके बाद पी.एम.एल.ए. के सार और कार्य की प्रकृति है जो प्रवर्तन निदेशालय करने के लिए बाध्य है यह न्यायालय इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह अधिनियम मुख्य रूप से धन-शोधन के अपराधों के मामले से संबंधित है। अधिनियम की धारा 3 के संदर्भ में सृजित अपराध अनुसूचित अपराध के किए जाने से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। चूंकि, धारा 2 (1) (ब) *अपराध से आय* परिभाषा करता है जिसका अर्थ है कि अनुसूची में उल्लिखित और सन्निविष्ट अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप व्युत्पन्न या अभिप्राप्त संपत्ति के रूप में की गई है। **विजय मदनलाल के साथ-साथ प्रकाश**

**इंडस्ट्रीज-1** में प्रतिपादित सिद्धांतों से यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि धन-शोधन का आरोप किसी आपराधिक अपराध के किए जाने पर लगाया गया है। जैसा कि **प्रकाश इंडस्ट्रीज-1** मामले में न्यायालय ने कहा था कि आपराधिक अपराध के किए जाने की अनुपस्थिति में पी.एम.एल.ए के तहत शुरू की जा सकने वाली कार्यवाहियों की नींव 'निःसंदेह गिर जाएगी और स्वयं नष्ट हो जाएगी।'

83. न्यायालय ने पी.एम.एल.ए. के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए आधार बनाने वाले अपराधों की जाँच और सराहना आयाम करने के लिए मूल प्राथमिकी, पूरक आरोप पत्र के साथ-साथ ई.सी.आई.आर में लगाए गए आरोपों को व्यापक रूप से पुनः प्रस्तुत योग्य माना था। वे स्पष्ट रूप से सबूत होंगे कि वे फतेहपुर कोयला ब्लॉक के संबंध में आवंटन प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा गलत बयानी और गलत तथ्यों को प्रस्तुत करने के कथित कृत्यों तक ही सीमित हैं। महत्वपूर्ण रूप से, शेयर की कीमत और आय के हेरफेर के संबंध में आरोप जो याचिकाकर्ता द्वारा उन प्रेफरेंशियल शेयरों के आवंटन से प्राप्त किया गया हो सकता है, न तो प्राथमिकी, पूरक आरोप पत्र और न ही ई.सी.आई.आर का हिस्सा बना है। जो स्थिति सामने आती है वह यह है कि आज की तारीख में वे अपराध जिन्हें प्रेफरेंशियल शेयरों के आवंटन के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से किया गया कहा जा सकता है विधेय अपराधों के सम्बंध में की गई कार्यवाहियों के विषय मामले को नहीं बनाता है।

84. यह देखना प्रासंगिक हो जाता है कि प्रवर्तन निदेशालय पी.एम.एल.ए के तहत धन-शोधन से संबंधित अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए सशक्त है। यह न तो धारा 3 में शामिल अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध की जाँच करने या जाँच करने के लिए न तो प्राधिकार और न ही अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **विजय मदनलाल** मामले में की गई टिप्पणियां, अर्थात् पी.एम.एल.ए. के तहत प्राधिकारीगण इस धारणा पर धन शोधन के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का सहारा नहीं ले सकते कि कोई अनुसूचित अपराध किया गया महत्व रखता है। यह याद रखना प्रासंगिक होगा कि **विजय मदनलाल** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने रिपोर्ट के पैरा 253 में कहा था कि पी.एम.एल.ए. के तहत प्राधिकारीगण इस धारणा पर कार्रवाई का सहारा नहीं ले सकते कि संपत्ति अपराध से प्राप्त आय है या अनुसूचित अपराध किया गया है। उपर्युक्त के अलावा, यह भी पाया गया कि किसी अनुसूचित अपराध के किए जाने के संबंध में एक रिपोर्ट को पहले से ही क्षेत्राधिकार वाले पुलिस के पास पंजीकृत किया जाना चाहिए या सक्षम न्यायालय के समक्ष शिकायत के माध्यम से लंबित जाँच होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रासंगिता के साथ मत दिया था कि “व्युत्पन्न या अभिप्राप्त” अभिव्यक्ति को अनुसूचित अपराध “*पहले ही पूरा हो चुका*” से संबंधित आपराधिक क्रियाकलाप के संकेतक के रूप में समझा जाना जाएगा है यह भी माना गया कि धारा 3 के तहत अपराधों के लिए पी.एम.एल.ए. के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए

अनुसूचित अपराध का पंजीकरण एक पूर्व शर्त है। इन्होंने यह आगे मत व्यक्त किया गया था कि यदि धारा 5 के दूसरे परंतुक के संदर्भ में आपात कार्रवाई की आवश्यकता थी, तो यह मानना गलत होगा कि संपत्ति की अनंतिम कुर्की अनुसूचित अपराध के साथ सम्बन्ध पर भी अनुपस्थिति हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय प्रासंगिकता के साथ मत दिया था कि यदि प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन के अपराध की अपनी जाँच और पूछताछ के दौरान ऐसी सामग्री का पता लगाता है जो अन्यथा एक अनुसूचित अपराध का गठन करती है तो वह अधिकारियों को आवश्यक जानकारी दे सकता है अन्यथा उन आरोपों की जाँच कानून द्वारा दिए अधिकार से करेगा और इस पर विचार कर सकता है कि क्या वे एक विधेय अपराध का गठन करेंगे।

85. इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि पीएमएलए प्रवर्तन निदेशालय को केवल धारा 3 के अपराधों की जाँच करने का अधिकार देता है। जाँच करने और पूछताछ करने की इसकी शक्ति उस धारा में परिभाषित धन शोधन के अपराध तक सीमित है। हालांकि, इसे इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि यह उस सामग्री से यह मानने में सक्षम हो कि यह उस जाँच के दौरान इकट्ठा हो सकता है कि एक विधेय अपराध किया गया है। विधेय अपराध की आवश्यक रूप से जाँच की जानी चाहिए और उस संबंध में कानून द्वारा सशक्त प्राधिकारियों द्वारा विचारण चलाया जाना चाहिए। जैसा कि अनुसूची के अवलोकन से स्पष्ट होगा, यह विभिन्न कानूनों के तहत परिभाषित और सृजित

अपराधों को सूचीबद्ध करता है जो स्वतंत्र रूप से जाँच और परीक्षण पर विचारण करता हैं। इस तरह के अपराधों की जाँच और मुकदमा चलाने का प्राथमिक कार्य उन स्वतंत्र कानूनों के तहत गठित प्राधिकारियों में रहता है और निहित होता है। प्रवर्तन निदेशालय इन अपराधों के कथित किए जाने की जाँच करने या पूछताछ करने की शक्ति का दावा नहीं कर सकता है। किसी भी मामले में, यह इस अनुमान पर और अपने आप आगे नहीं बढ़ सकता है कि तथ्यों का एक विशेष निर्धारित किसी अनुसूचित अपराध के होने का सबूत देता है और उस राय के आधार पर पीएमएलए के तहत कार्रवाई शुरू करता है।

86. इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 5 के तहत कार्रवाई की शुरुआत सक्षम प्राधिकारी पर आधारित है, जिसके पास यह विश्वास करना का कारण है कि किसी व्यक्ति के पास अपराध से आय हैं। उक्त प्रावधान के तहत राय बनाने का संबंध अनुसूचित अपराध से नहीं है।

संपत्ति, प्रथमदृष्टया अपराध की आय के रूप में भी मान्यता प्राप्त करने के लिए को अनिवार्य रूप से "अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि" से पहले किया जाना चाहिए। यह अधिनियम की धारा 2 (1) (ब) में " के परिणाम स्वरूप" और "व्युत्पन्न" या अभिप्राप्त " के अभिव्यक्तियों के उपयोग से भी स्पष्ट है आपराधिक गतिविधि का सबूत या तो एक प्रथम सूचना रिपोर्ट, एक शिकायत या एक आरोप पत्र होगा जैसा कि विभिन्न कानूनों के तहत परिकल्पित किया गया है। हालांकि, इसके अभाव में प्रवर्तन निदेशालय के लिए

खुद को इस बात का मध्यस्थ बनाना पूरी तरह से अननुज्ञेय होगा कि क्या कोई अनुसूचित अपराध किया गया है।

### **झ धारा 66 (2) और इसका प्रभाव**

87. न्यायालय ने यह भी पाया कि धारा 5 का दूसरा प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट या दर्ज की गई शिकायत की अनुपस्थिति में भी संपत्ति को अंतरिम रूप से कुर्क करने के लिए आगे बढ़ने का अधिकार देता है लेकिन इसे उस परंतुक के सीमित उद्देश्य बिना नहीं पढ़ा जा सकता है। दूसरा परंतुक एक अर्थ में धन शोधन में शामिल संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को प्रदान की गई आपातकालीन शक्ति यदि उसकी राय है कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो अधिनियम के तहत कार्यवाही विफल हो जाएगी। उस शक्ति का प्रदत्त अधिकार, जिसका प्रयोग उसके अधीन अनुध्यात आपात स्थितियों में किया जाना है को संभवतः किसी अनुसूचित अपराध के होने का अनुमान लगाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय में अंतर्निहित शक्ति के स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है। विपरीत स्थिति को स्वीकार करना **विजय मदनलाल** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानूनी स्थिति की घोषणा के सीधे विपरीत होगा।

88. न्यायालय ने नोट किया कि विधायन ने एक विशेष संतुलन रखा है इस तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को उस सामग्री के आधार जो उसने अपनी जाँच के दौरान एकत्र की हो पर धारा 5 के

तहत आपात कदम उठाने के लिए सशक्त करके और इसी के साथ धारा 66 (2) के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित संस्था को आवश्यक जानकारी प्रेषित करने की बाध्यता के तहत रखते हुए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विजय मदनलाल में इसे समकालीन बाध्यता के रूप में वर्णित किया गया था जिसे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निर्वहन किया जाना है। उक्त स्थिति तब बनी रहती है जब अधिनियम की धारा 3 और 5 और एक अकेले अपराध के मुद्दे से निपटने के दौरान **विजय मदनलाल** में की गई प्रासंगिक टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित धारा 66 (2) ऐसी स्थिति का वर्णन करती है जहां भले ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट या शिकायत पंजीकृत नहीं की गई हो, प्रवर्तन निदेशालय को तभी दागी संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सशक्त किया जाएगा, यदि यह राय हो कि लिए गए आपातकालीन उपायों की अनुपस्थिति में, अपराध से आय को कुर्क और जब्त करने का अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा। हालांकि, यह अधिनियम प्रवर्तन निदेशालय को संबंधित संस्था को सूचित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दायित्व के तहत भी रखता है कि वह किसी अनुसूचित अपराध के होने के कारण के बारे में क्या दृष्टिकोण या सोच सकता है। इस बात पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है कि यद्यपि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अनिवार्य उपायों को अंगीकार किया जाना न्यायोचित हो सकता है और अधिनियम द्वारा इस प्रकार मंजूर किया गया है, फिर भी उन शक्तियों का अर्थ लगाना गलत होगा क्योंकि केवल प्रवर्तन निदेशालय न्यायनिर्णित या घोषित

करना का हकदार कि कोई विधेय अपराध किया गया है। न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रवर्तन निदेशालय को इस तरह की शक्ति प्रदान किए जाने को स्वीकार करने में असमर्थ है।

89. वर्तमान मामले के तथ्यों देखते हुए न्यायालय ने पाया कि आज तक प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत परिकल्पित कोई भी कदम उठाने में विफल रही है। जैसा कि धारा 66 की उप-धारा (2) के पठन से स्पष्ट होगा, यदि निदेशक या अन्य प्राधिकारी अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह राय बनाते हैं कि लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित संस्था के साथ उस जानकारी को साझा करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार धारा 66 (2) न्यायालय के इस निष्कर्ष को पुष्ट करती है कि प्रवर्तन निदेशालय को ऐसे अपराधों का विचारण करने की कोई स्वतंत्र शक्ति प्राप्त नहीं है जो किसी अन्य कानून के तहत अपराध के रूप में प्रमाणित हो सकते हैं या सूचीबद्ध हो सकते हैं। न्यायालय इस बात पर प्रकाश डालना चाहती है कि प्रवर्तन निदेशालय का अधिकार क्षेत्र और अधिकार इस बात पर विचार करने तक सीमित है कि क्या धन-शोधन का अपराध साबित होता है। यदि इसकी पूछताछ और जाँच के दौरान यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके कब्जे की सामग्री किसी अन्य अधिनियमित के तहत सृजित अपराध के किए जाने का साक्ष्य देती है तो वह आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित संस्था को उस संबंध में अपेक्षित सूचना देने



के लिए बाध्य होगा। किसी भी मामले में और धारा 66 (2) से स्वतंत्र, न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय को विचारण और जाँच करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त होने कि यह मान्यता देने में असमर्थ है कि क्या किसी अन्य कानून के तहत कोई अपराध किया गया है न ही ये और महत्वपूर्ण रूप से केवल इस धारणा पर पीएओ पारित नहीं कर सकता है कि कोई अपराध किसी अन्य कानून के तहत स्वतंत्र रूप से किया गया स्थापित किया गया है।

90. प्रेफरेंशियल शेयरों का आवंटन और उससे प्राप्त आय ही पीएओ का आधार है। हालांकि, इससे संबंधित कोई रिपोर्ट या शिकायत पंजीकृत नहीं है। वास्तव में, परेफरेंशियल शेयरों के आवंटन के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध के आरोप को नहीं दिखया गया है कि संबंधित संस्था द्वारा कभी जाँच की गई थी इस प्रकार यह संदेह से परे स्थापित है कि पीएओ प्रवर्तन निदेशालय की केवल एक धारणा पर टिका हुआ है कि परेफरेंशियल शेयरों का आवंटन करते समय याचिकाकर्ता द्वारा एक अनुसूचित अपराध किया गया था।

91. वर्तमान मामले के तथ्यों में न्यायालय ने नोट किया है कि सीबीआई ने 30 अप्रैल 2014 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद इसने 30 अगस्त, 2014 को अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी। एक विरोध याचिका दायर किए जाने के बाद, विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही रुकी रही जब तक सीबीआई ने 17 नवंबर 2021 को एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, न तो प्राथमिकी और न ही आरोपपत्र में परेफरेंशियल शेयरों के

आवंटन और उससे प्राप्त लाभों से संबंधित आरोप शामिल हैं | इसी तरह ईसीआईआर का पंजीकरण 29 दिसंबर 2014 को हुआ था। इसमें भी परेफरेंशिअल शेयरों आवंटन से संबंधित आरोप शामिल नहीं हैं। ईसीआईआर की कार्यवाहियों में और जैसा कि आदेश पत्र में दर्शाया गया है इस मामले को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आगे की जाँच किए जाने तक दिसंबर 2014 से लगातार स्थगित कर दिया गया है।

92. न्यायालय का मानना है कि 2014 से इन दोनों कार्यवाहियों के लंबित होने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई को कोई भी जानकारी देना सही, उचित या अनिवार्य नहीं समझा ताकि वह यह जाँच कर सके कि क्या प्रेफरेंशिअल शेयरों के आवंटन से भा.दं.सं. या किसी अन्य कानून के तहत अपराध होने का सबूत मिल सकता है। इस तथ्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि पीएओ स्वयं 29 नवंबर 2018 को बनाया गया था और इस प्रकार सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने और ईसीआईआर दर्ज करने के लगभग चार साल बाद हुआ। वास्तव में, और निर्विवाद रूप से, प्रवर्तन निदेशालय को प्रेफरेंशिअल शेयरों के आवंटन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करते हुए नहीं दिखाया गया था यहाँ तक वर्तमान याचिकाओं को निर्णय देने के लिए बंद कर दिया गया था।

93. न्यायालय ने यह भी कहा कि शेयरों का प्रेफरेंशिअल आवंटन 3 जनवरी, 2008 को किया गया था। प्रत्यर्थी का आरोप है कि कोयला खंड

आवंटन और इसका खुलासा उस समय बीएसई और अन्य नियामक प्राधिकरणों के समक्ष किया गया था। यह 02 जनवरी 2007 और 01 जनवरी 2008 के बीच याचिकाकर्ता के शेयर मूल्य में वृद्धि थी जो इसकी जाँच की विषय मामला बनाता है। इस अवधि के दौरान 118.75 करोड़ रुपये की प्रीमियम राशि भी प्राप्त की गई। न्यायालय को इस प्रकार एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जहां पीएओ उन घटनाओं पर आधारित था जो ईसीआईआर के जमा होने से छह साल पहले हुई थीं। सीबीआई द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट भ.द.स. के तहत एक अपराध के होने के रूप में शेयरों के प्रेफरेंशियल आवंटन से संबंधित आरोपों का संज्ञान नहीं लेती है। वास्तव में और अब तक चौदह साल से अधिक बीत जाने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय यह सुनिश्चित करने में शेयरों के प्रेफरेंशियल आवंटन से संबंधित पहलुओं पर विचारण, जाँच या पूछताछ के लिए सक्षम संस्था को कोई जानकारी देने में विफल रहा है कि क्या वे किसी अनुसूचित अपराध के होने के सबूत हैं। इस प्रकार, न्यायालय की सुविचारित राय में, उपरोक्त तथ्य आक्षेपित पीएओ को न केवल कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं बल्कि स्पष्ट रूप से मनमाना और अवैध भी बनाते हैं।

#### ट. गौण मुद्दे

94. श्री हुसैन ने तब तर्क दिया कि पीएओ घटनाओं और लेन-देन की एक श्रृंखला पर आधारित है, आपस में जुड़ी हुई है और आपस लपटी हुई है, जिससे अपराध की आय पैदा हुई है। विद्वान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि गलत

बयानी के कार्य उस समय से शुरू हुए जब याचिकाकर्ता ने कोयला खंड के आवंटन के लिए एक आवेदन किया और प्रेफरेंशियल शेयरों के आवंटन तक जारी रहा। यह तर्क दिया गया कि अपराध की आय को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और उत्पन्न करने का इरादा एक षड्यंत्र का हिस्सा था जो आवंटन के लिए आवेदन करने के समय से शुरू हुआ और प्रेफरेंशियल शेयरों के आवंटन तक जारी रहा। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि प्रकाश इंडस्ट्रीज-1 में प्राप्त तथ्यों के विपरीत, जहां आरोप कोयला खंड के आवंटन के बिंदु पर समाप्त हो गए थे, वर्तमान मामले में पीएओ अतिरिक्त तथ्यों और घटनाओं पर आधारित है जो कोयला खंड का आवंटन के बाद हुआ और इस प्रकार प्रवर्तन निदेशालय को अस्थायी कुर्की के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए सशक्त बनाता है।

95. यहां तक कि अगर न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि उक्त प्रस्तुति सही थी तो उसे आवश्यक रूप से पीएओ को दो बुनियादी स्तंभों पर आधारित मानना होगा: (क) कोयला खंड का आवंटन और प्रेफरेंशियल शेयरों की सदस्यता के लिए निवेशकों का आकर्षण। जहां तक प्रथम पहलू का संबंध है, निस्सन्देह इसका उत्तर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रकाश इंडस्ट्रीज-1 में न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों के आलोक में दिया जाना होगा। जैसा कि यहां ऊपर दिए गए ध्यान दिए उक्त निर्णय के अंशों से स्पष्ट होगा, यह न्यायालय निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा था कि कोयला खंड का आवंटन अपने आप में अपराध की आय का गठन नहीं करेगा। इस प्रकार जो प्रश्न विचारार्थ बना

रहता है वह यह है कि क्या पीएओ को प्रत्यर्थी के इस दावे पर कायम रखा जा सकता है कि प्रेफरेंशियल शेयरों का आवंटन भी एक तथ्य था जिसका संज्ञान संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने की शक्ति का उपयोग करने के प्रयोजनों के लिए लिया जा सकता था।

96. जहां तक इस पहलू का संबंध है यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उन आरोपों की अनुपस्थिति में एक अनुसूचित अपराध को बनाने के रूप में संज्ञान लिया गया है प्रवर्तन निदेशालय उपरोक्त पर अनंतिम कुर्की के अपने आदेश को आधारित नहीं कर सकता था। न्यायालय ने इस निर्णय के पूर्ववर्ती भागों में इस बात पर गौर किया है कि अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय की शक्ति को प्रयोग करने के लिए उपलब्ध होने के लिए किस हद तक मान्यता दी जा सकती है। न्यायालय ने, पूर्वोक्त कारणों से, स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि अधिनियम प्रवर्तन निदेशालय को ना तो इस धारणा पर आगे बढ़ने का अधिकार नहीं देता है कि एक अनुसूचित अपराध किया गया है और न ही यह कानून द्वारा सशक्त होने का विस्तार करता है कि किसी व्यक्ति की जाँच या आरोप लगाए यह राय बनाकर कि एक विधेय अपराध के होना प्रमाणित है। यह राय बनाने के लिए कि किसी विनिर्दिष्ट अपराध का किया जाना साक्ष्य है। जैसा कि इस निर्णय के पहले के हिस्सों में जोर दिया गया था प्रवर्तन निदेशालय को प्रदान की गई जाँच और पूछताछ की शक्ति धन शोधन के अपराध तक सीमित है। अनुसूचित अपराध और धन-शोधन के बीच

अटूट संबंध को संभवतः प्रवर्तन निदेशालय को स्वतंत्र रूप से जाँच करने या किसी विधेय या अनुसूचित अपराध का विचारण चलाने के लिए सशक्त बनाने के रूप में नहीं देखा जा सकता है। पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए और अनुसूचित अपराध से संबंधित आरोप पत्र बनाने वाले भाग को प्रेफरेंशिअल शेरों के आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए निवेशकों के कथित प्रलोभन की अनुपस्थिति में, न्यायालय श्री हुसैन के प्रस्तुतीकरण को स्वीकार करने में असमर्थ पाता है।

97. इस बात पर प्रत्यर्थी के पक्ष में मत रखने में न्यायालय खुद को असमर्थ पाती है। अतिरिक्त रूप से, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सक्षम संस्था को इस बात पर विचार करने, खोज करने या जांच करने के लिए बुलाए जाने की विफलता के कारण कि क्या प्रेफरेंशिअल शेरों के आवंटन से सच में अनुसूचित अपराध बनता है। आक्षेपित पीएओ को आपातकालीन कुर्की आदेश के अर्थ में नहीं माना जा सकता है यह ध्यान में रखा गया है कि आवंटन स्वयं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू की गई कार्रवाई से 11 साल पहले हुआ था। वास्तव में, 14 साल जाने के बाद भी, उस पहलू की न तो सक्षम संस्था द्वारा जाँच की गई है और न ही इस संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज की गई है। हालांकि यह आग्रह किया जा सकता है कि प्रवर्तन निदेशालय अधिनियम की धारा 66 (2) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए अभी भी स्वतंत्र है, लेकिन वह भी न्यायालय को वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रत्यर्थी के पक्ष में अभिनिर्धारित

करने के लिए विश्वास नहीं दिला पाता है यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि धारा 5 के तहत अनंतिम रूप से संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई आवश्यक रूप से तथ्यों और सामग्री के आधार पर की जाँच की जानी चाहिए जो उस दिन मौजूद है जब यह किया गया है। पीएओ को संभवतः इस आधार पर बनाए नहीं रखा जा सकता कि प्रवर्तन निदेशालय भविष्य में क्या करने का विकल्प चुन सकता है। किसी भी मामले में, किसी भी उपाय को प्रतिग्रहण करना करना पूरी तरह से अनुचित होगा कि प्रवर्तन निदेशालय प्रेफरेंशियल शेयरों के आवंटन के 15 साल बाद या तो 2018 में प्रभावित अनंतिम कुर्की को वैधता प्रदान करने या आक्षेपित पीएओ के सत्यापन के रूप में अपनाए जाने को चुन सकता है।

98. श्री हुसैन ने यह भी तर्क दिया कि यह अधिनियम प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन के अपराध को साबित करने के लिए सभी प्रासंगिक तथ्यों की जाँच करने का अधिकार देता है भले ही वे अतिरिक्त सूचीबद्ध अपराध हों। इस संबंध में यह तर्क दिया था कि यदि अपनी जाँच के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय को छोटे अनुसूची अपराधों की एक श्रृंखला मिलती है तो उसे धन शोधन के अपराध की सुनवाई कर रही न्यायालय के समक्ष उन महत्वपूर्ण तथ्यों को रखने से कोई नहीं रोक सकता है। न्यायालय निम्नलिखित कारणों से इस तर्क को बनाए रखने में अपने आप को असमर्थ पाया है।

99. प्रारंभ में, यह नोट किया जाना चाहिए कि अधिनियम के तहत गठित न्यायालयों को धन-शोधन के अपराध का विचारण करने के लिए प्रभारित किया

जाता है जो एक अनुसूचित अपराध से अलग होता है। एक उदाहरण के रूप में, यह नोट किया जा सकता है कि यदि अपनी जाँच या पूछताछ के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यह निष्कर्ष निकालता है कि तथ्यों का एक सेट भा.दं.सं. की धारा 406 या 415 के तहत अपराधों के होने का सबूत देता है तो स्पष्ट रूप से वे अपराध अधिनियम के अनुसार गठित न्यायालयों द्वारा विचारण नहीं किया जा सकता है उन अपराधों अधिनियम की योजना के तहत आवश्यक रूप से भारतीय दंड भा.दं.सं. के अधीन मान्यता प्राप्त सक्षम संस्थाओं द्वारा जाँच की जाएगी और उस अधिनियम के अधीन गठित न्यायालयों द्वारा विचारण किया जाएगा। इसके विपरीत मत रहना प्रवर्तन निदेशालय में शामिल उस प्राधिकारी को मान्यता देने के समान होगा जो न केवल धन शोधन के अपराधों बल्कि खुद अनुसूचित अपराधों पर विचारण करता है।

100. न्यायालय ने पाया कि उपरोक्त निष्कर्ष को **विजय मदनलाल** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से भी आधार मिलता है। अधिनियम की धारा 5 के दूसरा परंतुक को लागू करने की अनिवार्यताओं पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वित्त अधिनियम, 2015 के संदर्भ में धारा 5 में संशोधन किए जाने से पहले, धारा 5 का पहला परंतुक ने प्रवर्तन निदेशालय को *आपातकालीन कुर्की आदेशों* को प्रभावित करने से स्पष्ट रूप से रोक दिया था। दूसरा परंतुक अब प्रवर्तन निदेशालय को अधिनियम की धारा 66 (2) के आलोक में अधिकारिता संबंधी प्राधिकारी को सूचना भेजते समय अपराध से आय को अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए आपात कदम



उठाने के लिए सशक्त करता है। रिपोर्ट के पैराग्राफ 289 और 290 में दिखाई देने वाली पूर्वोक्त टिप्पणियां इस प्रकार स्पष्ट रूप से इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का समर्थन करती हैं जब यह माना जाता है कि प्रवर्तन निदेशालय के लिए अधिनियम के धारा 5 के दूसरे परंतुक के आधार पर आकस्मिक कदम उठाने के लिए खुला हो सकता है। यह आवश्यक जानकारी प्रेषित करने के अपने दायित्व से अलग नहीं करता है जो इसके अनुसार सक्षम संस्था द्वारा कानून के अनुसार जाँच और पूछताछ के लिए एक अनुसूचित अपराध के होने का सबूत होगा।

101. श्री हुसैन द्वारा यह अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत किया गया कि केवल यह तथ्य कि विधेय अपराध के संबंध में सीबीआई द्वारा आगे की जाँच की जा रही है, साथ ही ईसीआईआर और धारा 45 की शिकायत के संबंध में इसके द्वारा, यह **विपुल शीतल प्रसाद अग्रवाल बनाम गुजरात राज्य** में सर्वोच्च न्यायालय के मत को ध्यान रखते हुए विपरीत हस्तक्षेप को नेतृत्व नहीं कर सकता है न्यायमूर्ति चेलमेश्वर द्वारा उस निर्णय में एक सहमतिपूर्ण राय लिखते समय की गई टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए, श्री हुसैन ने कहा कि केवल इसलिए कि आगे की जाँच चल रही है इसका मतलब यह नहीं है कि धारा 173 (2) के तहत प्रस्तुत मूल आरोप पत्र अस्वीकार कर दिया गया है। इस संबंध में रिपोर्ट के पैराग्राफ 21 में दी गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया गया:-

“21. मेरी राय में, केवल जाँच अधिकारी द्वारा स्वयं या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के निर्देशों पर या संबंधित मजिस्ट्रेट जिसको रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी के द्वारा निर्देश के अनुसरण में आगे की जाँच करने का अर्थ यह नहीं है कि धारा 173 (2) के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट को छोड़ दिया जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है। केवल यह है कि या तो जाँच संस्था या संबंधित न्यायालय जाँच संस्था द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और उसकी राय है कि रिपोर्ट में इंगित अपराध के होने के आरोपों को बनाए रखने के लिए संभवतः कुछ और सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता है।”

102. यह न्यायालय इस बात को उचित मानती है कि वर्तमान निर्णय इस तथ्य पर आधारित नहीं है कि सीबीआई ने 2021 में एक आरोप पत्र दाखिल करने के बावजूद आगे की जाँच करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस न्यायालय ने भी अपने निष्कर्षों को किसी ऐसे प्रतिकूल निष्कर्ष पर आधारित नहीं किया है जो उपरोक्त तथ्य से निकाले जाने के लिए उत्तरदायी है। इस संबंध में यह देखने की जरूरत है कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को सक्षम न्यायालयों द्वारा दी गई स्वतंत्रता के संदर्भ में जाँच जारी रख सकते हैं, लेकिन उस जाँच की केवल लम्बित स्थिति उन आरोपों के आधार पर पीएओ को बनाए नहीं रख सकती है जो उन कार्यवाहियों हिस्सा नहीं हैं। चूंकि पीएओ और इसकी वैधता का मूल्यांकन उस सामग्री के आधार पर किया जाएगा जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने अपनी राय बनाई थी कि संपत्तियों से अपराध के आय बनती है।

103. इस न्यायालय ने वर्तमान मामले के तथ्यों में पाया है कि पीएओ अनिवार्य रूप से उन आरोपों पर आधारित है जो न तो सीबीआई और न ही ईसीआईआर द्वारा प्रस्तुत आरोपपत्र का हिस्सा हैं। पीएओ की वैधता इस प्रकार सामग्री के आधार पर जांच की जा सकती है जो विधेय अपराध को शामिल और गठित करता है। इसी प्रकार, श्री हुसैन का तर्क है कि जाँच संस्था के लिए अतिरिक्त और पूरक आरोपपत्र प्रस्तुत करना हमेशा खुला रहेगा, संभवतः अनंतिम कुर्की आदेशों को बनाए नहीं रखा जा सकता है। उपरोक्त प्रस्तुतीकरण पूरी तरह से अनुमानित होने के अलावा, यह केवल अतिरिक्त रूप से नोट किया जा सकता है कि पीएओ या इसकी वैधता का न्यायनिर्णयन इस आधार पर तय नहीं की जा सकती है कि जाँच संस्था अप्रत्याशित भविष्य में क्या कर सकती है।

104. श्री हुसैन ने तब प्रस्तुत किया था कि इन याचिकाओं में आक्षेपित पीएओ एक से अधिक आरोप पर आधारित है और इस प्रकार यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी पहुंचता है कि उनमें से एक अपराध की आय का गठन नहीं करेगा, तो इसे अपास्त या अभिखंडित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस संबंध में **श्रीकृष्ण (पी) लिमिटेड बनाम आइटी<sup>21</sup>** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था।

“14. आईटीओ बनाम मेवालाल द्वारका प्रसाद [(1989) 2 एससीसी 279:1989 एससीसी (कर) 266:(1989) 176 आईटीआर 529] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

यदि एक मद के संबंध में धारा 148 के तहत जारी किया गया नोटिस अच्छा है, तो इसे इस आधार पर अनुच्छेद 226 के तहत रद्द नहीं किया जा सकता है कि यह किसी अन्य मदों के संबंध में वैध नहीं हो सकता है। हालांकि, हमें इस कारण इस पहलू को विस्तार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे के समक्ष इस आशय का कोई तर्क नहीं दिया गया है कि चूंकि धारा 148 के तहत नोटिस कुछ प्रकट ऋणों के संबंध में उचित पाया गया है और अन्य ऋणों के संबंध में नहीं, इसलिए यह अमान्य है।”

105. यह ध्यान देना पर्याप्त है और जैसा कि इसमें ऊपर पाया गया है, पीएओ कोयला खंड के आवंटन और प्रेफरेंशियल शेयरों के आवंटन से याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त आय के आधार पर है। जहां तक पूर्ववर्ती का संबंध है अनंतिम कुर्की स्पष्ट रूप से प्रकाश इंडस्ट्रीज-1 में न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानूनी स्थिति के आलोक में टिकी नहीं रहेगी। जहाँ तक प्रेफरेंशियल शेयरों के आवंटन से प्राप्त आय का संबंध है, न्यायालय द्वारा उपरोक्त पैराग्राफ 89 से 93 में दर्ज कारणों को भी कानून में सिद्ध नहीं हो पाएगा। न्यायालय ने इस प्रकार अनिवार्य रूप से पाया है कि ये दो दिशा अधिनियम की धारा 3 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्ति के दायरे और विस्तार को ध्यान में रखते हुए न्यायिक जाँच का सामना नहीं कर सकती हैं।

#### ठ. तर्क धारा 8(3)(क)

106. यह न्यायालय को श्री चावला के इस तर्क पर विचार करने के लिए छोड़ देता है कि अधिनियम की धारा 45 के तहत शिकायत इस आधार पर

खारिज की जा सकती है कि यह प्रत्यर्थी ने धारा 8(3)(क) द्वारा रखी सीमा को पार का करने का स्पष्ट प्रयास किया। तर्क निम्नलिखित आधार पर आगे बढ़ा। श्री चावला ने न्यायालय का ध्यान धारा 8 (3) (क) में निर्धारित समय-सीमा और अनंतिम कुर्की आदेश की वैधता अवधि की ओर दिलाया। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, जैसा कि प्रावधान 2019 में इसके संशोधन से पहले था, एक कुर्की आदेश 270 दिनों से अधिक समय तक संचालित नहीं हो सकता था और इस प्रकार आक्षेपित पीएओ दिनांकित 29 नवंबर 2018 वाला 26 अगस्त 2019 को समाप्त हो जाता। इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि 2019 में संशोधन के बाद था, श्री चावला ने तर्क दिया कि पीएओ 27 मई 2022 से आगे काम नहीं कर सकता था। श्री चावला ने प्रस्तुत किया कि चूंकि पीएओ को 2019 में पेश किए गए संशोधनों से पहले ही जारी कर दिया गया था, इसलिए धारा 8 (3) (ए) अपने असंशोधित रूप में ही लागू होगी।

107. मूल रूप से यह निवेदन किया गया कि शिकायत 17 जुलाई, 2018 को दायर की गई थी, ताकि परिणामस्वरूप हुई वैधानिक चूक को केवल दूर किया जा सके। श्री चावला ने जोर देकर तर्क दिया कि शिकायत केवल विस्तारित वैधता का लाभ उठाने के लिए दर्ज की गई थी जो धारा 8 (3) (क) उन स्थितियों में विस्तार करती है जहाँ अधिनियम के तहत किसी अपराध से संबंधित कार्यवाही लंबित हो सकती है। यह प्रस्तुत किया गया कि 17 जुलाई, 2018 का आदेश अपने आप में इंगित करता है कि शिकायत केवल एक मजाक

थी और इसे केवल यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि आक्षेपित पीएओ व्यपगत न हो। श्री चावला ने दलील दी कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश की गई दलीलों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि शिकायत धारा 8 (3) (क) में पेश किए गए संशोधनों को दूर करने के लिए जल्दबाजी में दायर की गई थी। यह तर्क दिया गया था कि दाखिल शिकायत न केवल धारा 8 (3) (क) के तहत निहित भावना को पार करने का एक चालक प्रयास था बल्कि दुर्भावपूर्ण और मनमाना भी था।

108. 17 जुलाई, 2018 का आदेश इस संबंध में किए गए तथ्यात्मक दावों पर कुछ विश्वास कर सकता है, लेकिन न्यायालय की राय है कि इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए क्योंकि इन रिट याचिकाओं में न तो 17 जुलाई, 2018 का आदेश और न ही विवादित शिकायत से संबंधित कार्यवाहियों को आक्षेपित किया गया है। इसलिए इस संबंध में किसी टिप्पणी या किसी निष्कर्ष को प्रविष्ट या अभिलेख करना गलत होगा। न्यायालय ने इस प्रकार याचिकाकर्ता के लिए है कि यदि चुना गया है और सलाह दी गई है, तो वह उचित कार्यवाहियों में शिकायत की निंदा करने के लिए स्वतंत्र है और यदि कानून में अनुमत है, इस संबंध में संबंधित पक्षकारों के सभी तर्कों को ऐसी कार्यवाहियों में विचार करने के लिए स्वतंत्र रखा जाता है।

#### **ड. निष्कर्ष**

108. तदनुसार और उपरोक्त कारणों से, रिट याचिकाओं की अनुमति दी

जाएगी। ईसीआईआर/03/सीडीजेडओ/2014 में पारित दिनांक 29 नवंबर 2018 के पीएओ को अभिखंडित की जाएगी। अधिनियम की धारा 5 (5) के संदर्भ में 2018 की मूल शिकायत संख्या 1068 भी और परिणामस्वरूप अभिखंडित की जाएगी।

न्या. यशवंत वर्मा

24 जनवरी, 2023

एसयू/नेहा/बीएच/आरएसके

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।